तृतीय माला, खंड 59, अंक 21 मंगलवार, 23 अगस्त, 1966/1 भाद्र 1888 (शक)
Third Series, Vol. LIX No. 21 Tuesday, August 23, 1966/Bhadra 1, 1888 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र
Fifteenth Session]

Preservation Unit
18-6-94
Fumigated
On 4.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

(खंड 59 में अंक 21 से 32 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 21—32)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी / हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी / अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of the Lok Sabha Debates and contains Hindi / English translation of speeches etc. in English / Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

(तृतीय माला, खण्ड 59-पन्द्रहवां सत्र, 1966)

अंक 21—23 अगस्त, 1966/1 भाद्र, 1888 (शक)

No. 21—August 23, 1966 / Bhadra 1, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर तारांकित प्रश्न संख्या *. Q. Nos. विषय	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS SUBJECT	पृष्ठ/Pages
599. कृषि उत्पादन कार्यक्रम	Agricultural Production Programme	2-5
600. उत्तर प्रदेश और केरल में अखबारी कागज बनाने के कारखाने	Newsprint Plants in U.P. and Kerala	5-7
601. विशाखापत्तनम जहाज निर्माण कारखाना	Vishakhapatnam Shipyard	7-11
602. राज्यों के पैकज कार्यक्रम वाले जिले	Package Districts of States	11-13
603. भारतीय अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद	Translation of Indian Acts into Hindi	13-17
604. खाद्य तेलों के लाने ले जाने पर पाबन्दी	Restrictions on Movement of Edible Oils	17-22
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या	**Short Notice Question No.**	
15. वियतनाम में विसैन्यीकृत क्षेत्र पर बमबारी	Bombing of Demilitarised Zone in Vietnam	19
प्रश्नों के लिखित उत्तर **तारांकित प्रश्न संख्या**	**Written Answers to Question** **Starred Question No**	
605. विमान सेवाएं	Air Services	22
606. सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मिल मालिकों द्वारा मुनाफाखोरी	Profiteering by Mill Owners in Drought affected Areas	23
607. निर्वाह योग्य (सबसिस्टैन्ट) फार्म	Subsistence Farms	23-24
608. रिवर स्टीम नैविगेशन कम्पनी	River Steam Navigation Co.	24
609. ढोरों के लिए चारा	Feed for Cattle	24-25

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

त० प्र० सं० S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
610. राज्यों में चावल के दामों में वृद्धि	Enhancement of price of rice in States	25
611. एफ 28 फोक्कर फ्रैंडशिप विमान	F-28 Fokker Friendship Aircraft	25
612. सूखाग्रस्त राज्यों को तदर्थ अनुदान	Ad-hoc grant to Drought hit States	25-26
613. पश्चिम पाकिस्तान को चोरी छिपे चावल ले जाया जाना	Smuggling of Rice to West Pakistan	26
614. वयस्क मताधिकार	Adult Franchise	26
615. आसाम में वस्तु भाड़ा की दरें	Preight Structure in Assam	27
616. समन्वय का अभाव	Lack of Co-ordination	27-28
617. भूचाल	Earthquakes	28
618. चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन	Delimitation of Constituencies	28
619. अनाज का समाहार	Procurement of Foodgrains	28-29
620. खाद्यान्नों की खरीद कीमत	Procurement prices of Foodgrains	29
621. मैसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Turner Morrison & Company Ltd.	29-30
622. मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन	Conference of Chief Ministers	30
623. एकाधिकार जांच आयोग का प्रतिवेदन	Monopolies Enquiry Commission's Report	30-31
624. गो हत्या	Cow Slaughter	31
625. गाजीपुर और वाराणसी के हरिजनों के लिए उत्तर प्रदेश विधान सभा में स्थानों का आरक्षण	Reservation of Seats in U.P. Assembly for Harijans of Ghazipur and Varanasi	31-32
627. भारत और मलेशिया के बीच विमान सेवा	India Malaysia Air Service	
628. राज्यों में सहायता कार्य	Relief Works in States	32
अतारांकित प्रश्न संख्या	**Unstarred Question No.**	32-33
2961. दिल्ली की सरकारी बस्तियों में मतदाता	Voters in Government Colonies Delhi	33
2962. केरल में मौसम वेधशाला	Meteorological Observatory in Kerala	33
2963. बिहार में हाथ से धान कूटने का उद्योग	Hand Pounding Industry in Bihar	33-34

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2964.	केरल में मैनम चीनी की मिल को पट्टे पर भूमि	Lease of Land to Manom Sugar Mills in Kerala	34-35
2965,	केरल में नारियल के पेड़ों के स्थान पर पेड़ लगाना	Replacement of Coconut Trees in Kerala	35
2966.	केरल में चावल के दाम	Price of Rice in Kerala	35-36
2967.	वस्तुओं के दाम	Prices of Commodities	36
2968.	डबोलिम में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना	I.A.C. Dakota Damaged at Dabolim	36-37
2969.	नीदरलैंड से दुग्ध चूर्ण का उपहार	Gift of Milk Powder from Netherlands	37
2970.	एयर इंडिया का मैडिकल क्लीनिक, बम्बई	Air India's Medical Clinic, Bombay	37-38
2971.	केरल पंचायत कर्मचारी संस्था	Kerala Panchayat Employees Association	38
2972.	मध्य प्रदेश में सहकारी भंडार	Cooperative Stores in Madhya Pradesh	38
2973.	पैकेज प्रोग्राम योजना	Package Programme Scheme	38-39
2974.	त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनायें	Minor Irrigation Schemes in Tripura	39-40
2975.	त्रिपुरा में शीतागार (कोल्डस्टोरेज) केन्द्र	Cold Storage Centres in Tripura	40
2976.	जहाज डिजाइन केन्द्र	Ship Design Centre	40
2977.	केरल पर्यटन निगम	Kerala Tourist Corporation	40-41
2978.	त्रिवेन्द्रम तथा मंगलौर हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने की व्यवस्था	Night Landing Facilities at Trivandrum and Mangalore Ports	41
2979.	कालीकट के लिए विमान सेवा	Air Service to Calicut	41
2980.	दिल्ली के स्कूलों की बसें	Delhi School Buses	41-42
2981.	भोजन की आदतें	Food Habits	42
6982.	मध्य प्रदेश को पम्पिंग सेट का दिया जाना	Supply of Pumping Sets to Madhya Pradesh	42-43
298 .	मध्य प्रदेश में पैकेज कार्यक्रम	Package Programme in Madhya Pradesh	43-44
2984.	मध्य प्रदेश में चावल की मिलें	Rice Mills in Madhya Pradesh	44

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
2985.	काजू के रस से ब्रांडी बनाना Manufacture of Brandy from Cashew Juice	44
2986.	कृषि ऋण की कमी Shortage of Agricultural Credit	44
2987.	दिल्ली में पशु चिकित्सा अस्पताल Veterinary Hospitals in Delhi	44-45
2988.	केरल के लिये स्विट्जरलैंड सरकार से सहायता Swiss Government's Aid to Kerala	45
2989.	अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह संबंधी नौवहन समिति Shipping Committee for Andaman and Nicobar Islands	45
2990.	कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर, नैनीताल को केन्द्रीय सहायता Central Assistance to Agricultural University, Pant Nagar, Naini Tal	45-46
2991.	चम्बल घाटी में वन लगाना Afforestation of Chambal Valley	46
2992.	गांवों के स्कूलों में उद्यान क्लब Garden Clubs in Rural Schools	46-47
2993.	केरल में मत्स्य पालन निगम की स्थापना Establishment of fisheries Corporation in Kerala	47
2994.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर पुल Bridges on National Highway No. 6	47-48
2995.	हिन्दी में विधेयक Bills in Hindi	48
2996.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध के पाउडर का प्रयोग Use of powdered Milk by D.M.S.	48-49
2997.	पूरक खाद्य पदार्थ बनाना Development of Subsidiary Foodstuffs	49
2998.	बड़े हवाई अड्डे Major Aerodromes	49
2999.	बिहार में पर्यटन केन्द्र Tourist Centres in Bihar	49-50
3000.	गंगा पर पटना में पुल Bridge over the Ganges at Patna	50-51
3001.	राष्ट्रमंडलीय अपील न्यायलय Commonwealth Court of Appeal	51
3002.	दिल्ली में मुर्गी दाने की अत्यधिक कमी Scarcity of Poultry Feed in Delhi	51
3003.	बीजों का प्रमाणीकरण Certification of Seeds	52
3004.	खाद्य तेलों पर मूल्य नियंत्रण Price Control on Edible Oils	52

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3005.	अनाज के मूल्यों में वृद्धि	Increase in Prices of Foodgrains	53
3006.	राज्यों की समाहार योजनाएं	Procurement Schemes of States	53
3007.	सीमावर्ती सड़कों का विकास	Development of Border Roads	53-54
3008.	1966 की खरीफ की फसल	Kharif Crop (1966)	54-55
3009.	प्रशिक्षण विमान का मानकीकरण	Standardisation of Trainer Aircraft	55
3010.	पंचायती राज प्रणाली	Panchayati Raj System	56
3011.	अकाल ग्रस्त क्षेत्रों को सहायता	Relief to Famine Stricken Areas	56-57
3012,	मुकदमों में निर्धन लोगों को सहायता	Litigation Assistance to the Poor	57
3013.	काठमण्डू हवाई अड्डे पर इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का क्षतिग्रस्त होना	I.A.C. Dakota Damaged at Kathmandu Airport	57
3014.	तलाक प्राप्त महिलाओं के लिये निर्वाह भत्ता	Maintenance Allowance to Divorced Women	57-58
3015.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के मुख्यालय में गैर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Non-Government Staff in Headquarters of Indian Council of Agricultural Research	58
3016.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति	Appointment of Non-Government Staff in Indian Council of Agricultural Research	58-59
3017.	कृषि विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की बैठक	Meeting of Senior Staff Council in Deptt. of Agriculture	59
3018.	सड़क निर्माण कार्यों के लिए विदेशी सहायता	External Assistance for Road Works	59
3019.	सड़क परिवहन का विकास	Development of Road Transport	60
3020.	नौवहन टनभार	Shipping Tonnage	60
3021.	कूड़ा खाद (कम्पोस्ट) का उत्पादन	Production of Compost	60-61
3022.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक और विमान परिचारिका के बीच विवाद	I.A.C. Pilot Air Hostess Dispute	61

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3023.	भूमि का उपयोग Utilisation of Land	61-62
3024.	किसानों से समाहार और उगाही (लेवी) Procurement and Levy from Farmers	62
3025.	उत्तर बिहार में सड़कें Roads in North Bihar	62-63
3026.	मिलावट वाले गेहूँ की सप्लाई Supply of Adulterated Wheat	63
3027.	चुनाव याचिकाएं Election Petitions	63-64
3028.	दीमकों को नष्ट करने के सम्बन्ध में अनुसन्धान Research on Destruction of White Ants	64
3029.	दिल्ली में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि Rise in Prices of Foodgrains in Delhi	64
3030.	कलकत्ता के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगे Demands of Port and Dock Workers, Calcutta	65
3031.	आकाशवाणी से राजनीति विषयक प्रसारण Political Broadcasts over All-India Radio	65
3032.	कनाडा से बेकरी उपकरण Bakeries from Canada	65-66
3033.	सहकारी समितियों के लिये बैंकों से ऋण Loans from Banks for Cooperatives	66
3034.	अमरीकी खाद्यान्नों का आयात मूल्य Import Price of American Foodgrains	66-67
3035.	अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को मिलाने वाला जलमार्ग Waterway to Connect Arabian Sea and Bay of Bengal	67-68
3036	सोयाबीन के तेल का आयात Import of Soya Bean Oil	68
3037.	चीनी की कमी Scarcity of Sugar	68
3038.	राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम National Agricultural Service Corporation	69
3039.	मैसर्स हिल्टेज के सहयोग से बम्बई में होटल Hotel in Bombay with Hiltons Collaboration	69
3040.	केन्द्रीय अधिकारी कालेज (सेंट्रल स्टाफ कालेज) Central Staff College	69-70
3041.	बच्चों को गोद लेने सम्बन्धी विधि Law on Adoption of Children	70

ता० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3042.	उपभोक्ता सहकारी समितियां Consumer Cooperative Societies	70-71
3043.	पंजाब में पंचायती राज्य का मूल्यांकना Evaluation of Panchayati Raj in Punjab	71
3044.	हल्दिया परियोजना Haldia Project	71-72
3045.	पंजाब में चीनी का कारखाना Sugar Factory in Punjab	72
3046.	आसाम में बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें Roads Damaged by Floods in Assam	72
3047.	हिन्दुस्तान जहाज निर्माण कारखान, विशाखापत्तनम Hindustan Shipyard Visakhapatnam	72-73
3048.	राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति National Foodgrains Policy Committee	73
3049.	श्रीनगर में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के फोक्कर फ्रैंडशिप विमान की दुर्घटना Accident to I.A.C. Fokker Friendship at Srinagar	73-74
3050.	हाथ से धान कूटने का उद्योग Hand Pounding Industry	74
3051.	कानूनी तकनीकी शब्दावलि के हिन्दी समानार्थक शब्द Hindi substitutes for Legal Technical terms	74-75
3052.	लाख विकास परिषद् Lac Development Council	75
3053.	डीजल से चलने वाले पम्पिग सैटों द्वारा सिंचाई Irrigation by Diesel Pumping Sets	75
3054.	रेगिस्तान विकास बोर्ड Desert Development Board	76
3055.	शांति के लिये अमरीकी खाद्य योजना U.S. Food for Peace Plan	76
3056.	रेगिस्तान विकास बोर्ड Dosert Development Board	76
3057.	अकाली दल के लिए चुनाव चिन्ह Election Symbol to Akali Dal	76-77
3058.	कुल्लू घाटी केन्द्रीय भेंड़ पालन फार्म Central Sheep Breeding Farm in Kulu Valley	77-78
3059.	गहन खेती अभियान Intensive Cultivation Drive	78
3060.	व्यापारी नौवेड़ा अधिकारी Merchant Navy Officers	79
3061.	भागीरथी से मिट्टी निकालना Dredging of Bhagirathi	79
3062,	फ्रांस से दुग्ध चूर्ण Milk Powder from France	80
3063.	बाजपुर नैनीताल सड़क Bazpur-National Road	80
3064.	दिल्ली का चिड़ियाघर Delhi Zoo	80

प्र० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3065,	मत्स्य उद्योग का विकास Development of Fishery Industry	81
3066,	पौधों की कलम लगाना Grafting of Plants	81-82
3067.	कोणार्क के सूर्य मन्दिर का पर्यटन केन्द्र के रूप विकास Development of Sun Temple at Konark as Tourist Centre	82
3068.	दुधारू गाय तथा भैंस के संरक्षण की योजना Scheme to save Milch cows and Buffaloes	82-83
3069.	कृषि उत्पादन Agricultural Production	83
3070.	हिल्सा मछली का उत्पादन Production of 'Hilsa'	83-84
3071.	अकालग्रस्त क्षेत्र में सहायताकार्य Relief Works in Famine Areas	84
3072.	क्वांटास के विमान का विवश होकर नीचे उतरना Emergency landing of Quantas Plane	84-85
3073.	मैसूर को चीनी का संभरण Supply of Sugar to Mysore	85-86
3074.	सहकारी चीनी मिल, केरल Cooperative Sugar Factory, Kerala	86
3075.	पालघाट में पैकेज प्रोग्राम Package Programme in Palghat	86
3076.	धान का समाहार Procurement of Paddy	86-87
3078.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमा किके गये अनाज का खराब हो जाना Damage to Foodgrains stocked by the Food Corporation of India	87
3079.	मद्रास में भूमिगत जल की खोज Exploration of Underground Water in Madras	87
3080.	बरेली में सहकारी भंडार Cooperative Stores in Bareilly	87-88
3081.	पंचायत सेवकों के वेतन Salaries of Panchyat Sevaks	88-89
3082.	मैसर्स हिल्टंस के मध्य (लग्ज़री) होटल Luxury Hotels by Hiltons	89
3083	चीनी की मिलों सम्बन्धी समिति Committee on Sugar Factories	89
3085.	व्यवहार प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1963 Civil Procedure (Amendment) Act, 1963	89-90
3086.	आयातित गेहूँ का खराब हो जाना Damage to Imported Wheat	90

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3087.	अफगानिस्तान की यात्रा के लिये 'पी' फार्म 'P Form for Travel to A'fghanistan	90-91
3088.	केरल में पंचायत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता D.A. to Panchayat Employees in Kerala	91
3089.	केरल में चावल परोसने पर प्रतिबन्ध Ban on Serving of Rice in Kerala	91
3090.	केरल में नौका निर्माण कारखाना Boat Building Yard in Kerala	91-92
3091.	मैसूर राज्य में पर्यटन Tourism in Mysore State	92-93
3092.	मछुओं के जहाज़ों को दुर्घटना Accident to Fishermen's Ships	93
3093.	कोचीन पत्तन Cochin Port	93-94
3094.	केरल क्षेत्रीय डेयरी पशुशाला Regional Dairy Cattle Farm in Kerala	94-95
3095.	आंन्ध्र प्रदेश द्वारा चावल देना Rice Supply by Andhra Pradesh	95
3096.	केरल को चावल का सम्भरण Rice Supply to Kerala	95-96
3097.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच करार Indo-Pak. Air Agreement on International Airline flights	96
3098.	अमरीका द्वारा गेहूँ के सम्भरण में कटौती Cut in Wheat Supply by U.S.A.	96-97
3099.	डम डम हवाई अड्डे पर विमान को क्षति Aircraft damaged at Dum Dum Airport	97
3100.	चावल के उत्पादन का लक्ष्य Target for Rice Production	97-98
3101.	केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था Central Marine Fisheries Research Institue	98
3102.	केरल में काली मिर्च तथा अदरक से लिये नर्सरी Nursery for Pepper and Ginger in Kerala	98
3103.	केरल में चावल का उत्पादन Rice Production in Kerala	98-99
3104.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मैकेनिक Mechanics in I.A.C.	99
3105.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के मैकेनिक Mechanics in I.A.C.	99-100
3106.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में मैकनिकों की पदोन्नति Promotion of Mechanics in I.A.C.	100-101

अ० प्र० सं० U. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/Pages
3107.	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में मैकनिकों की नियुक्ति Appointment of Mechanics in I.A.C.	101
3108.	दिल्ली परिवहन की बसों पर हिन्दी मार्ग पट्ट Hindi Route Plates on D.T.U. Buses	101-102
3106.	रोलर फ्लोर मिल Roller Flour Mills	102
3110.	पटसन की फसल Jute Crop	102
3112.	पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले माल पर भाड़े की दरें Freight rates on West bound Cargo	103
3113.	उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास खंडों का समाप्त किया जाना Abolition of C.D. Blocks in U.P.	103
3114	बेपुर बन्दरगाह Beypore Port	103
3115.	अनाज के संग्रहभाण्डो (सिलो) का निर्माण Manufacture of Grain Silos	104
3116.	दिल्ली में गोदामों में अनाज भरना Stocking of Foodgrains in Godowns of Delhi	104
3117.	बीज खरीदने के लिये राज़ सहायता Subsidy for Purchase of seeds	105
3118.	हुगली नदी के तल से मिट्टी आदि निकालना Dredging the River Hooghly	105-106
3119.	हुगली नदी के तल से मिट्टी आदि निकालना Dredging the River Hooghly	106-107
3120.	गुलबकावली Water Hyacinth	107
3121.	गिलगिट से होकर विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में पाकिस्तान और रूस के बीच करार Agreement beween Pakistan and U.S.S.R. to start Air Service through Gilgit	107-108
3122.	तैचुंग नेटिव-1 धान की फसल Taichung Native-1 Paddy Crop	108
3123.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का लोकसभा में प्रतिनिधित्व Representation in Lok Sabha for Pakistan occupied Kashmir	108-109
3123 क	राजस्थान में भूमिगत जल Subterranean Water in Rajasthan	109-110
3123-ख	औषधियों का वितरण Distribution of Drugs	110
3123-ग	पाकिस्तान द्वारा रोके गये जहाजों का छोड़ा जाना Release of Detained Ships by Pakistan	110
3123-घ	उड़ीसा में ग्रामदान आन्दोलन Gramdan Movement in Orissa	110-111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Pages
जीतपाल के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege Against Shri Jit Paul	
व्यक्ति मद्रास द्वारा खेद का प्रकाशित करना	Publication of regret by Navasakthi of Madras	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	
ग्रामोद्योग तथा भवन, नई दिल्ली, द्वारा घटिया शहद और दियासलाइयां बेचे जाने के बारे में वक्तव्य	Statemont Re. Sale of Sub-Standar l Honey and Match-boxes by Khadi and Gramod-yog Bhavan, New Delhi	
श्री मनुभाई शाह	Shri Manudhai Shah	
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	
छपनवां प्रतिवेदन	Fifty sixth Report	
गोवध पर रोक के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Ban on Cow Slaughter	
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri Subramaniam	
स्वर्णकारों के मांगों की बारे में	Re. Demands of Goldsmiths	
अध्यापकों की सेवा शर्तों के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Service Cond-itions of Teachers	
श्री मु० क० चागला	Shri M.C. Chagla	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1966-67	Demands for Supplementary Grants (General), 1966-67	
श्री त्यागी	Shri Tyagi	
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	
श्री ब० रा० भगत	Shri B.R. Bhagat	
अनुसूचित जन जाति :तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Thirteenth Report of Commissioner for Sched-uled Castes and Scheduled Tribes	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/Page
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	
श्री दशरथ देव	Shri Dasartha Deb	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	
श्री कजरोलकर	Shri Kajrolkar	
श्री मौर्य	Shri Maurya	
श्री तुला राम	Shri Tula Ram	
श्री माते	Shri Mate	
विमान निगमों के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re. Air Corporations	
श्री दाजी	Shri Daji	
श्री संजीव रेड्डी	Shri Sanjiva Reddy	

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 23 अगस्त, 1966 / 1, भाद्र, 1888 (शक)

Tuesday, August 23, 1966 / Bhadra 1, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या 599 के बारे में

Re. Question No. 599

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में प्रश्न लिये जायेंगे । श्री म० ला० द्विवेदी ।

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न संख्या 599 ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार विभाग.....

श्री म० ला० द्विवेदी : प्रश्न की मूल सूचना हिन्दी में दी गई थी लेकिन उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : जब साथ-साथ अनुवाद की व्यवस्था है फिर इस प्रकार हिन्दी के बारे में जोर देना उचित नहीं है । लेकिन जब प्रश्न की सूचना हिन्दी में दी गई हो, तब जो मन्त्री हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं उन्हें हिन्दी में उत्तर देने का प्रयत्न करना चाहिये ।

Shri Bhagwat jha Azad : This is a Question of con vention.

श्री शिव नारायण : जब प्रश्न की सूचना हिन्दी में दी गई हो तो उत्तर हिन्दी में ही दिया जाना चाहिये ।

श्री कंडप्पन : हमें उत्तर अंग्रेजी में मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय किसी भी भाषा में बोल सकते हैं । यह उनकी इच्छा पर है ।

श्री श्यामधर मिश्र : यदि आदेश यह है कि जिन प्रश्नों की सूचना हिन्दी में दी गई हो, उनका उत्तर हिन्दी में दिया जाना चाहिये तब, क्योंकि मैं हिन्दी जानता हूँ इसलिए भविष्य में मैं हिन्दी में उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा । लेकिन इस समय मेरे पास इस प्रश्न का हिन्दी अनुवाद नहीं है । अतः मैं इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में पढ़ूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री म० ला० द्विवेदी प्रश्न पूछा रहे हैं या नहीं ?

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, Sir, I withdraw my question. I do not want to put my question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: The original notice of question was given in Hindi then why the answer is not given in Hindi?

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस समय उनके पास प्रश्न का हिन्दी अनुवाद नहीं है । बाकी मैंने कह दिया है कि जो मन्त्री हिन्दी में उत्तर दे सकते हैं और जब कि नोटिस हिन्दी में हो तो वह हिन्दी में उसका उत्तर देने की कोशिश किया करें ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अब जब कि प्रश्न पूछा जा चुका है, मन्त्री महोदय उसका उत्तर दें ।

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा : श्री म० ला० द्विवेदी प्रश्न पूछ चुके हैं और अब उसका उत्तर दिया जाना चाहिये ।

Agricultural Production Programme

\+

*599. **Shri M.L. Dwivedi:** **Shri S C. Samanta :**

Shri Subodh Hansda: **Shri Bhagwat Jha Azad:**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any efforts have been made or are proposed to be made to bring about proper coordination between the Community Development and the Food and Agriculture Departments of the ministry for effective implementation of agricultural production programmes;

(b) : whether effective coordination has been established with the Ministry of Irrigation and Power for quick availability of water fort he implementation of these programmes; and

(c) if not, the reasons therefor?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता के विभाग एक मन्त्री के अधीन कर दिए गए हैं । सचिव भी कृषि तथा सामुदायिक विकास के विभागों के लिए सम्मिलित है ।

(ख) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्री की अध्यक्षता में खाद्य तथा कृषि एक मंत्रिमण्डल समिति स्थापित कर दी गई है और सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री

उसके एक सदस्य हैं। वह कृषि उत्पादन मण्डल के भी एक सदस्य हैं। साथ ही जल की उपयुक्तता जैसे विशेष ममालों के हेतु खाद्य तथा कृषि और सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालयों के बीच समन्वय के लिए सचिवों की एक समिति बनाई जा रही है। विशेष परियोजनाओं के लिए दोनों मन्त्रालयों में विचार-विनिमय होते रहते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

Shri Bhagwat Jha Azad . As the Minister has not followed the convention, I will not ask any Supplementary.

श्री श्रीनारायण दास : केन्द्र में जो व्यवस्था की गई है, क्या राज्यों में भी ऐसी ही व्यवस्था की गई है ? यदि हाँ, तो वहां क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस मामले पर हाल में मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार हुआ था और उन्होंने इस कार्यवाही की सराहना की। यह कार्य पूर्वतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है कि इन सब विभागों को मिला कर एक किया जाय। राज्य पृथक रुप से इस बारे में ध्यान दे रहे हैं।

Shri Yudhvir Singh: All these matters relate to States. I want to know whether this condition has been done only in this centre some directions have also been issued to States or some such procedure has been evolved so that there can be necessary coordination?

Shri Shyam Dhar Mishra: So far as co-ordination is concerned, to some extent there is coordination. Recently a team comprising of officers from Reserve Bank, Planning Commission and Ministry of Agriculture visited nine States for this purpose. The improvements have been suggested to remove dragbacks in certain States. So far as co-ordination in the departments on the lines of Centre is concerned, a conference was held and the Chief Ministers' have given their opinion thereupon. They appreciated the action but it is to be implemented in accordance with the situation in each state.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि कृषि उत्पादन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये विभिन्न मन्त्रालयों के कार्यों में समन्वय करने के लिये खाद्य तथा कृषि मन्त्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। इस समिति का गठन होने के बाद से इसकी कितनी बैठकें हुई हैं और इसकी कितनी सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया है ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह मन्त्रिमण्डलीय समिति है। मेरे पास यह रिकार्ड नहीं है कि इसकी कितनी बैठकें हुईं लेकिन जो भी निर्णय किये जाते हैं उन्हें क्रियान्वित किया जाता है।

श्री वासुदेवन नायर : क्या मन्त्री महोदय को सिंचाई और विद्युत मन्त्री, डा० कु० ल० राव द्वारा दिये गये इन सुझावों का पता है कि यदि चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के लिये उपयुक्त आंबटन किया गया तो केरल जैसे कमी वाले राज्यों को फालतू खाद्यानों वाला राज्य बनाया जा सकता है ? उन्होंने मेरे राज्य के बारे में सिंचाई के लिये 30 करोड़ रुपये की योजना के सम्बन्ध में कुछ ठोस सुझाव दिये हैं। क्या मन्त्री महोदय ने इन प्रस्तावों पर विचार

कर लिया है और क्या सिंचाई मन्त्रालय के सहयोग से उन्होंने इन प्रस्तावों को योजना आयोग के समक्ष रखा है और इसके लिये उनकी मंजूरी प्राप्त कर ली है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह मामला योजना आयोग के समक्ष है । हमें सब बातों को देखते हुए निर्णय करना है कि सिंचाई परियोजनाओं का काम किस हद तक किया जा सकता है और सिंचाई-साधनों के लिये आवंटन में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए ।

Shrimati Jayaben Shah: What benefit was got after the coordination committee was formed? I also want to know whether minor irrigation work will be taken up in states too?

Shri Shyam Dhar Misra: In States coordination has been done. There are two types of committees. One comprises of ministers of Development and Agricultural department. Similarly there is an officer of the level of Development Commissioner under whom departments of agriculture and irrigation are working. There is also a Committee on the district level on the lines of Centre. There has been benefit of this coordination so far as minor irrigation is concerned, in the Centre this is under the Ministry of Agriculture but everywhere it is not so. In some States it is under the Ministry of Irrigation and in some States it is under the Ministry of Agriculture.

Shri Buta Singh: Unless there is coordination in villages, it has no fruitful results as Community Development people in villages do not care for the recommendations of the Agricultural Department resulting in non-availability of fertiliser, cement and power to the farmer. I want to know the measures being taken by Government to establish coordination between these two Departments. Secondly, what is the amount allocated by Government in the Fourth Five Year Plan for the Agriculture Production programme?

Shri Shyam Dhar Misra: We cannot claim that there is sufficient coordination in villages but the Panchyat Raj institution is being geared up fully so that they take over the agricultural programme and B.L.Ws should look towards agriculture through B.D.Os. Extension Officers in blocks under the Agricultural Department are appointed in a way so that there is cooperation and coordination between the Agricultural Department and the Community Development Department.

श्री बूटा सिंह : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : एक भाग का उत्तर दिया गया है वह काफी है । अगला प्रश्न ।

श्री शिकरे : यह प्रश्न उत्तर प्रदेश और केरल में अखबारी कागज के कारखानों के बारे में है । मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर उद्योग मन्त्री अथवा वाणिज्य मन्त्री द्वारा दिया जाय ।

श्री रंगा : श्री बूटा सिंह का प्रश्न बड़ा संगत है । आप यह कैसे कहते हैं कि एक भाग का उत्तर पर्याप्त है ।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय इसका उत्तर दें कि चौथी योजना में कितनी धनराशि नियत की गई है ।

श्री श्यामधर मिश्र : अभी योजना पर विचार किया जाना है । लेकिन संभवत : समूचे कृषि क्षेत्र के लिये 2400 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं ।

श्री त्यागी : यह रकम कुछ भी नहीं है । इसे भी वापस ले लीजिये । हम इस प्रकार कृषि की उपेक्षा नहीं होने देंगे ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूँ । कृषि कार्यों के लिये 2400 या 2500 करोड़ रुपये रखे गये हैं लेकिन कृषि के लिये सिंचाई, उर्वरक, बिजली, ट्रैक्टर आदि की भी व्यवस्था करनी होती है । यदि इन सब बातों पर ध्यान दिया जाये तो कृषि कार्यों पर 5300 करोड़ रुपये खर्च होगा । **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर हम चर्चा कर सकते हैं । लेकिन मैं इस प्रश्न पर 15 मिनट से अधिक समय नहीं दे सकता । अगला प्रश्न ।

उत्तर प्रदेश और केरल में अखबारी कागज बनाने के कारखाने

\+

*600. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री श्रीनारायण दास : **श्री रामपुरे :**

श्रीमती जयावेन शाह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के दो विशेषज्ञों ने अखबारी कागज बनाने के लिये उत्तर प्रदेश में हल्द्वानी में और केरल में त्रावनकोर में एक-एक कारखाना लगाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन / विश्व बैंक मिशन केरल तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों में अवश्य गया था किन्तु उसने अभी कोई सिफारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Shri Yashpal Sahib: There is no school of paper technology in the country There is one small college at Saharanpur but that is not sufficient. Thousands of boys want to get admission there but hardly 50 students get the admission. How long Government would depend on other countries? By what time we shall become self-sufficient in this respect?

श्री शिन्दे : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है । खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का वनों से कच्चे माल के संभरण से सम्बन्ध है और अन्य बातों से नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अखबारी कागज के दो कारखानों की स्थापना के बारे में है और उनका सम्बन्ध कच्चे माल से है ।

Shri Yashpal Singh: As per the report received by the Government, which places have been selected in Kerala and U. P. ?

श्री शिन्दे : जैसा मैं बता चुका हूं, इस दल ने केरल और उत्तर प्रदेश समेत भारत के कुछ राज्यों का दौरा किया । वे हमारे बागान कार्यक्रम और बनों के कच्चे माल की क्षमता से

प्रभावित हुए। उन्होंने कोई प्रतिवेदन नहीं दिया। वे अपना प्रतिवेदन विश्व बैंक को देंगे और संभवतः उसके बाद वह हमें मिल जाये।

श्री श्रीनारायण दास : भारत ने इस दल को निमंत्रित किया था या विश्व बैंक ने स्वयं इस दल को भेजा ? वह सरकार को अपना प्रतिवेदन कब देंगे ?

श्री शिन्दे : कुल चार प्रतिनिधियों ने, जिममें से तीन खाद्य तथा कृषि संगठन के थे और एक विश्व बैंक का प्रतिनिधि था, कुछ राज्यों का दौरा किया। आरम्भ में हमने विश्व बैंक को सुझाव दिया था कि वे भारत में कुछ वन-आधारित उद्योग, मुख्यतः कागज लुग्दी उद्योग स्थापित करने की संभावना की जांच करें।

Shri Vishwa Nath Pandey: The Hon. Minister has just now said that two experts from World Bank visited U.P. They have so far not submitted their report. I want to know whether that team visited Gorakhpur and Deoria where forest and mills exist and which is most suitable for establishing paper factory?

श्री शिन्दे : मैं समझता हूं कि ऐसे उद्योग स्थापित करने के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है; यदि कुछ पार्टियां या राज्य सरकार इस मामले में कार्यवाही करने को राजी हों, तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री शिकरे : समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि कुछ आइस क्रीम निर्माता आइस क्रीम में ब्लॉटिंग पेपर मिलाने के कारण पकड़े गये हैं और इस प्रकार कागज और खाद्य-पदार्थों में कुछ सम्बन्ध है। क्या इसी कारण इस प्रश्न को उद्योग और संभरण मंत्रालय की वजाय इस मंत्रालय के नाम भेजा गया है ? ..... **(अन्तर्बाधा)**

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अखबारी कागज़ के लिये काफी कच्चा माल उपलब्ध है, यदि हां, तो क्या विश्व बैंक के दल को यह बात बतला दी गई थी और इस दल के निर्देश-पद क्या थे ?

श्री शिन्दे : इस दल ने उत्तर प्रदेश का भ्रमण किया और पता लगा कि उत्तर प्रदेश बागान कार्यक्रम बड़े संतोषजनक ढंग से चल रहा है। उन्हें इस बात से बड़ी खुशी हुई कि उत्तर प्रदेश में वन-कच्चा माल बहुत है जो वन-आधारित उद्योगों के लिये बड़ा लाभदायक होगा।

श्री वासुदेवन नायर : मंत्री महोदय का कहना है कि उनके मंत्रालय का कच्चे माल से सम्बन्ध है। क्या केरल वन विभाग का यूकेलिप्टस प्लान्टेशन के लिये कोई ठोस प्रस्ताव है ताकि वे निकट भविष्य में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित कर सकें ?

श्री शिन्दे : यूकेलिप्टस और अन्य प्रकार के पौधे लगाने का हमारा एक अखिल-भारत कार्यक्रम है जो 10 वर्ष की अवधि में पूरा हो सकता है। इस कार्यक्रम में केरल भी शामिल है।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस दल ने केवल केरल और उत्तर प्रदेश में ही सर्वेक्षण किया है अथवा बिहार जैसे अन्य क्षेत्रों में भी सर्वेक्षण किया है ?

श्री शिन्दे : इस दल ने कई राज्यों का, जैसे मध्य प्रदेश, मैसूर, केरल आदि का दौरा किया लेकिन उन्होंने बिहार का दौरा नहीं किया।

श्री अ० प्र० शर्मा : उन्होंने बिहार का दौरा क्यों नहीं किया ? बिहार में कच्चा माल बहुत है ।

श्री जयपाल सिंह : कई वर्षों से यह बात सुनी जा रही है कि गन्ने की खोई से कागज बनाने के बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं । पता नहीं वे जंगलों के बारे में क्यों सोच रहे हैं और गन्ने की खोई से कागज बनाने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं ?

श्री शिन्दे : यह सच है कि चीनी कारखानों में बनाई जा रही गन्ने की खोई का कागज की लुग्दी बनाने के लिये कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है । सरकार ने गन्ने की खोई पर आधारित अनेक उद्योगों के लिये लाइसेंस दिये हैं लेकिन दुर्भाग्य से बहुत थोड़े कारखाने लगाये गये हैं । इस मामले में कुछ तकनीकी कठिनाई है और सरकार को इस बारे में जानकारी है यद्यपि हमारे मंत्रालय का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री जयपाल सिंह : तकनीकी कठिनाइयां क्या हैं ? अन्य देशों में भी तो कठिनाइयां हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें ये महसूस हो रही होंगी ।

श्री कृ० चं० पंत : मंत्री महोदय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में वन विकास कार्यक्रम के कारण सरकार ने इन विशेषज्ञों को बताया कि वहां पर वन-आधारित इन उद्योगों के विकास के लिये संभावना है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस आधार पर, विशेषज्ञों की सिफारिशों की अपेक्षा करके, सरकार यह महसूस करती है कि इस प्रकार के कारखाने इस प्रश्न में बताये गये स्थानों पर लगाये जायें ?

श्री शिन्दे : मैं बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से है जहां ये उद्योग लगाये जा सकते हैं । यदि मेरी जानकारी सही है तो इस उद्योग की स्थापना के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है । अब इनकी स्थापना करना राज्य सरकार और सम्बन्धित पार्टियों पर है ।

विशाखापत्तनम जहाज-निर्माण कारखाना

\+

*601. **डा० राम मनोहर लोहिया** : **श्री राम सेवक यादव** :

श्री बागड़ी : **श्री किशन पटनायक** :

श्री मधु लिमये : **श्री ह० चा० लिंग रेड्डी** :

श्री मौर्य : **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम जहाज-निर्माण कारखाने में जहाजों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) देश में अब तक कितने जहाजों का निर्माण किया जा चुका है ;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अन्य देशों के साथ भारत में निर्मित जहाजों को उन्हें बेचने के बारे में भी कोई करार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) विशाखापत्तनम जहाज-निर्माण कारखाने में, जिसमें भारत सरकार द्वारा 1952 में इसको अपने नियंत्रण में लिये जाने से पूर्व 8000 टन के पुराने 'जाला' किस्म के मालवाही जहाज बनते थे, अब आधुनिक तरीकों के 12500 टन के लाइनर मालवाही जहाज बनाये जा सकते हैं ।

(ख) 39 समुद्री जहाज ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Dr. Ram Manohar Lohia: What is the cost of production of one ship manufactured at Vishakhapatnam in comparison to Japan and America on an average of one tonne or 12000 tonnes, as indicated? What are the comparitive figures of labour and material like iron, wood etc.

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : हमारे पास विशाखापत्तनम में बने जर्मन नमूने के और जापानी नमूने के जहाजों के बारे में आंकड़े हैं । जहां तक उत्पादन-लागत का सम्बन्ध है, मैं पृथक से अमरीका के बारे में तो नहीं बता सकता लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग 146 लाख रुपये हैं (अवमूल्यन से पूर्व) जबकि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में औसत उत्पादन-लागत लगभग 210 लाख रुपये है । अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और भारतीय मूल्य के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार राज-सहायता देती है ।

Dr. Ram Manohar Lohia: What are the reasons of such high cost of production at Vishakhapatnam when labour, wood, iron etc. all the materials are very cheap and whether Government propose to find out some way to restrict the sale of ships inside India by foreign shipbuilding companies?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : भारत तकनीकी रूप से ब्रिटेन, जापान और अमरीका की तरह से आगे बढ़ा हुआ नहीं है । हमारे जहाजों की लागत इसलिये अधिक है कि हमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्से विदेशों से मंगाने पड़ते हैं और उस पर विदेशी मुद्रा खर्च होती है । इसलिये उन देशों की अपेक्षा हमारे जहाजों की लागत अधिक बैठती है ।

Dr.R am Manohar Lohia: Other material is cheap here.

श्री संजीव रेड्डी : यह सच है कि लकड़ी और मजदूरी सस्ती है । लेकिन हमें अधिक मजदूर लगाने पड़ते हैं । अभी हमारी उत्पादन क्षमता इतनी नहीं हुई है कि हम एक वर्ष में छः जहाज बना सकें । इसलिये भी उत्पान-लागत कुछ अधिक है । जब हम एक वर्ष में छः जहाज बनाने लगेंगे तो उत्पादन-लागत कम हो जायेगी ।

Dr. Ram Manohr Lohia : Certain facilities are gienv to foreign companies for Selling their Ships here.

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं । हम इसको सुव्यवस्थित करने और वहां पर स्टैंडर्ड जहाज बनाने और उत्पादन-लागत कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं । विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान

शिपयार्ड में बनाये जा रहे जहाजों के अतिरिक्त कई गैर सरकारी कम्पनियां अन्य देशों से भी जहाज खरीदती हैं।

श्री हेम बरुआ : हाल ही में ब्रिटेन से एक जहाज खरीदा गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं।

श्री शिकरे : क्या यह सच है कि विशाखापत्तनम जहाज निर्माण कारखाने में उत्पादन-लागत अधिक होने का वास्तविक कारण यह है कि अभी तक हमने भारतीय विशेषज्ञों द्वारा बनाये गये एक भी नमूने को नहीं अपनाया है और यह शिपयार्ड स्थानीय योग्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने की बजाय उनको निरुत्साहित कर रहे हैं और फलस्वरूप युवक इंजीनियर तक वहां नोकरी छोड़ रहे हैं ? अभी तक इस शिपयार्ड में कोई काम का जहाज नहीं बना है क्योंकि 8000 टन का मालवाही जहाज कुछ नहीं होता। वास्तविक कारण यह है कि वे विदेशों से नमूना मंगाने पर ही बहुत धन खर्च करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या अधिक उत्पादन लागत की यही मुख्य कारण है ?

श्री संजीव रेड्डी : यह भी एक कारण हैं। अत: अब नीति के तौर पर यह निर्माण किया गया है कि हिन्दुस्तान शिपयार्ड में आगे से 12500 टन भार के लाइनर किस्म के जहाज बनाये जायें। जबकि अधिक टन भार के जहाज कोचीन शिपयार्ड में बनायें जायें। अत: जब हम स्टैण्डर्ड जहाज बनाने आरम्भ कर देगें तो उत्पादन लागत कम हो सकेगी।

श्री शिकरे : अपने नमूने को कब अपनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति।

श्री शिवाजी राव देशमुख : क्या यह सच है कि विशाखा पत्तनम में उत्पादन लागत अधिक होने का सबसे बड़ा कारण वर्धा में भारी प्लेट इस्पात कारखाने की स्थापना न करना है ?

श्री संजीव रेड्डी : हम भारी प्लेट इस्पात का आयात कर रहे हैं जिससे लागत में वृद्धि हुई है।

श्री दी० चं० शर्मा : एक बार इस संस्था के मैनेजिंग डाईरेक्टर को जहाज बनाने के बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये फ्रांस भेजा गया था। तकनीकी जानकारी प्राप्त कर जब वह वापस आये तो उन्हें एक मन्त्रालय का सचिव बना दिया गया। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसे जहाज-निर्माण का ज्ञान हो और जिसे इस बारे में तकनीकी जानकारी प्राप्त हो ताकि उसे इस संस्था का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाय अथवा यह कार्य आई० सी० एस० लोगों पर ही छोड़ा जाता है जो जब चाहें अच्छी नौकरी मिलने पर यह पद छोड़कर चल देते हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं। मैनेजिंग डायरेक्टर एक तकनीशन है। उनका नाम "श्री रौथ" है जिन्होंने 40 वर्ष जहाज-निर्माण मे तकनीशन के रूप में बिताये हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन जहाज बनाने में व्यतीत किया है।

Shri Gulshan: How many sea-going ships are manufactured in a year at Vishakhapatnam and the number to be manufactured in future?

श्री संजीव रेड्डी : 39 समुद्री जहाज बनाये गये हैं ।

श्री वासुदेवन नायर : 14 वर्षों में ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां । हमारे पास लगभग दस जहाजों के आर्डर हैं और हम इनका निर्माण जारी रखेंगे ।

Shri Gulshan: I asked as to how many ships have been manufactured in a year and.....

Mr. Speaker : He has said that so many have been manufactured in 14 years.

श्रीमती शारदा मुकर्जी : इस शिपयार्ड में एक सेवा-निवृत्त ब्रिटिश रीयर एडमिरल को तकनीकी सलाहकार के रूप में रखा गया था और अन्य सलाहकार ब्रिटिश सलाहकार है जो हमें यह बताने आये हैं कि सामग्री-नियन्त्रण समेत सामान्य नक्शा और उत्पादन-कार्यक्रम किस प्रकार तैयार किया जाये । क्या मैं जान सकती हूँ कि जब जापान ने हालके वर्ष में इतनी अधिक प्रगति कर ली है और ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं ? क्या इसका एक कारण यह भी है कि ब्रिटिश तरीका पुराना है ? हम जापानी तरीके को अपनाने की बजाय ब्रिटिश तरीका क्यों अपना रहे हैं ?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : यह बात सच नहीं है । शिपयार्ड में श्री दयाशंकर और उनके साथी-भारतीय सलाहकार हैं जो शिपयार्ड के पुनर्गठन और नक्शे बनाने के बारे में सलाह देते हैं ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : क्या यह इस कारण है कि ब्रिटिश सलाहकार भारत नहीं आये ?

श्री संजीव रेड्डी : हाल के वर्षों में नहीं ।

श्री वासुदेवन नायर : क्या सरकार ने कभी इन रिपोर्टों की जांच की है कि विशाखापत्तनम में इस दयनीय स्थिति का कारण यह है कि इस शिपयार्ड में ऐसे व्यक्ति काम कर रहे हैं जो विदेशों से जहाजों का संभरण चाहते हैं और जिन्होंने हमारे शिपयार्ड उत्पादन कार्यक्रम मन्द करने के लिये कार्यवाही की है ?

श्री संजीव रेड्डी : जी नहीं । तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम इसके लिये पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं दे सके और इसलिये हम आयात किये जाने वाले सामान को इकट्ठा नहीं कर सके । इससे इस वर्ष जहाजों के निर्माण में बिलम्ब हुआ है ।

Shri Rameshwaranand: The hon. Minister has just now said that when we start constructing more ships, the cost of production will go down. Is it one of the reasons for high cost of production that officers there on high posts are foreigners or more educated and they are paid more money and comparitively lessere ducated and and talented people in our country have not been put on proper jobs?

श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह : लागत अधिक होने का एक कारण यह है कि बहुत सा सहायक सामान आयात करना पड़ता है । अब केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित की गई एक स्थायी जहाज सहायक उद्योग समिति के प्रयत्नों के कारण हम भारतीय उद्योगपतियों को इस व्यवसाय को अपनाने और आवश्यक कारखाने स्थापित करने के बारे में कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री विश्वनाथ पाण्डेय।

Package Districts of States

***602. Shri Vishwa Nath Pandey:** **Shri P. R. Chakraverti:**
Shri H. C. Linga Reddy: **Shri Narasimha Reddy:**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1188 on the 19th April, 1966 and state:

(a) whether the package districts of all the States have yielded good crop this year; and

(b) if so, how much production has been increased in comparision to the last year?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra):

(a) & (b) As result of the wide-spread drought in the country during 1965-66, the crops in the I. A. D. P. districts were also adversely affected, as in the rest of the country, and production generally suffered. The magnitude of decline, as compared to the previous year 1964-65, varied from crop to crop and from district to district. The position in respect of the principal foodcrops, as compared to 1964-65, is summarised below:

(i) **Rice :** There was overall decrease of 24% in the average yield of rice in the IADP districts put together. In the district of West Godavari (Andhra Pradesh), however, there was a slight increase of 2% in the yield rate of rice.

(ii) **Wheat** : Wheat is a major crop in five I. A. D. P. districts viz., Ludhiana (Punjab), Aligarh (U. P.), Pali (Rajasthan), Shahabad (Bihar) and Bhandara (Maharashtra). The average yield rate of wheat in the districts put together registered a nominal decrease of 2.6% during 1965-66 over 1964-65. However, there was an increase of 20% in the yield in Shahabad district (Bihar).

(iii) **Maize** : Maize is an important crop in the districts of Ludhiana (Punjab), Aligarh (U. P.) and Pali (Rajasthan). There was an overall increase of 35.3% in the average yield of maize in 1965-66 over the preceding year.

(iv) **Jowar :** Jowar is widely grown in Pali (Rajasthan), Surat (Gujarat) and Bhandara (Maharashtra) districts. Its over-all yield per hectare in these districts suffered a reduction of 2.5% during 1965-66 as compared to the previous year.

(v) **Bajra:** The yields have been reported from two districts viz, Aligarh and Pali. In the former, there was an increase in yield rate of 22%, while in the latter there was a decline of 12%.

Shri Vishwa Nath Pandey: From the Statement it appears that package programme has been implemented in a few States only in the country and the purpose of intensive cultivation is to promote agriculture. I want to know the number of States and districts in the country where intensive cultivation has been started, the amount spent and the increase in cultivation

Shri Shyam Dhar Misra : It has been implemented in one district of every state except Kerala where it has been started in two districts. The intensive cultivation was started on a pilot basis five years ago. When the results were satisfactory, it was started under I.A. programme in 132 districts. High Yielding Variety programme will be implemented for foodgrains in 32.5 million acres in the Fourth Plan. Taking all these into one, there will be intensive cultivation in hundreds of million acre in the Fourth Plan.

Shri Vishwa Nath Pandey: May I know whether any progress is being made in commensurate with expenses involved?

Shri Shyam Dhar Misra: A committee made evaluations. Their conclusions are that an expense of one rupee has returned about two and a half rupees and the production has also increased.

Shri Vishwa Nath Pandey: What is the contribution of the Centre in the amount spent on intensive cultivation in States? What is the share of Centre and State in it?

Shri Shyam Dhar Misra: Whatever amount is being spent that is under the State Plan. Centre gives subsidy in seed and other things and the rest is spent from the State Plan allocations.

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : मन्त्री महोदय ने बताया है कि पैकेज कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पादन काफी हुआ है। क्या सरकार का यह इरादा है कि इस कार्यक्रम को देश भर में लागू किया जाये ?

श्री श्यामधर मिश्र : मैंने बताया कि पैकेज कार्यक्रम केवल 15-16 जिलों में आरम्भ किया गया है। अब इसको लगभग 123 जिलों में लागू किया जा रहा है जिसमें लगभग एक हजार खंड होंगे। (**अन्तर्बाधा**)

श्रीमती रेणुका राय : पैकेज जिलों में भू-पट्टा सम्बन्धी लेगन्स्टील रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहती हूँ कि पैकेज क्षेत्रों में ऐसे कौन से पैकेज क्षेत्र हैं जहाँ भूमि सुधार व्यवस्था में परिवर्तन हो गया है और इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार भू-पट्टा पद्धति में सुधार हुआ है।

श्री श्यामधर मिश्र : इस प्रश्न के सम्बन्ध में सारे तथ्य मेरे पास नहीं है। जहां तक मुझे याद है उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में भूमि सुधार हुआ है। कुछ अन्य राज्यों में भी सुधार हुये हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What is the amount of assistance given by the Centre during the last 5 years for the intensive cultivation programme started by them in all the states the country?

Shri Shyam Dhar Misra: This programme is implemented by the States. Centre gives subsidy.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: What is the amount of assistance given during the last five years?

Shri Shyam Dhar Misra: It is different for individual schemes. I want notice for that.

Shri Bibhuti Mishra: The Hon. Minister has just now said that one rupee returns about two and a half rupees. What are the expenses, among expenditure on establishment and labour, included in these two and a half rupees? Has the scheme proved to be a failure? My experience is this.

Shri Shyam Dhar Misra: This is not my opinion. This is the opinion of the Committee after they made evaluations. So far his personal experience is concerned, I cannot say anything.

श्री बाकर अली मिर्जा : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि इस अमरीकी विशेषज्ञ का प्रतिवेदन विशिष्ट रूप से पैकेज कार्यक्रम के बारे में था और क्या उनको यह भी पता है कि

इस विशेषज्ञ ने बताया है कि अनुचित भू-पट्टा पद्धति के कारण, भागीदारी फसल के कारण और भूमि सुधार की आवश्यकता के कारण उन क्षेत्रों में, विशेषत: तंजौर जिले में उत्पादन कम होता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जहां कहीं पट्टाधारी हैं जिनके पट्टे की सुरक्षा नहीं है, उन्हें ऋण नहीं मिल सकता और इसलिये वे उत्पादन के लिये अपेक्षित खाद आदि नहीं डाल सकते। इस बारे में एक बड़ी लाभप्रद रिपोर्ट है जिस पर विभिन्न राज्य सरकारों ने कार्य आरम्भ किया है और विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार में की गई प्रगति की ओर ध्यान देने के लिये एक अखिल-भारत समिति भी हैं। लेकिन इन सबके बावजूद मैं यह मानता हूं कि हमने कोई विशेष प्रगति नहीं की है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सरकार इस पैकेज जिला कार्यक्रम को सभी राज्यों में लागू करेगी और यदि हां, तो इस पर होने वाला खर्च कौन करेगा ? यह व्यय केन्द्र द्वारा किया जायेगा अथवा राज्यों द्वारा ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह एक राज्य-योजना में सम्मिलित योजना होगी। इस कार्यक्रम पर राज्य सरकारों द्वारा योजना में सम्मिलित योजनाओं के अन्तर्गत व्यय किया जाएगा।

Translation of Indian Acts Into Hindi

***603. Shri Sidheshwar Prashad :**

Will the **Minister of Law** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1334 on the 26th April, 1966 and state:

(a) progress made regarding the translation of Indian Acts into Hindi;

(b) steps taken to speed up the translation of these Acts in oiher Indian Languages; and

(c) the broad outlines of programme prepared to get all the Acts translated into Hindi and other Indian languages?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने में आजतक हुई प्रगति दर्शित करने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 6857/66]

(ख) राजभाषा (विधायी) आयोग से प्रार्थना की गई है कि वह वर्तमान कर्मचारीवृन्द के साथ ही जितने अधिक केन्द्रीय अधिनियमों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना संभव हो, करे। जून, 1966 में यथा पुनर्गठित आयोग ने इस प्रयोजन के लिए पहले से ही एक अल्पावधि कार्यक्रम तैयार किया है और इसके अनुसार, वर्तमान कर्मचारी वृन्द ने काम करना पहिले ही आरम्भ कर दिया है।

(ग) केन्द्रीय अधिनियमों और नियमों का प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर तैयार करने के बारे में राजभाषा (विधायी) आयोग का एक वार्षिक कार्यक्रम है। सभी केन्द्रीय अधिनियमों और नियमों का प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर तैयार करने और केन्द्रीय अधिनियमों के विभिन्न राजभाषाओं में अनुवाद करने सम्बन्धी स्कीम विचाराधीन है।

Shri Sidheshwar Prasad: I want to know why the number of members of this Legislative Commission has not been increased when the translation work of rules and Acts into Hindi and other languages is going on. In view of the slow progress of work, how many years are likely to be taken to complete the work of translation?

Tne Minister of Law (Shri G.S. Pathak): Their number has been increased this year. At present there are 9 permanent Members. Seven are already working and two are to be appointed. There are 16 part-time members in the commission out of whom 13 are working and 3 are yet to be appointed. It is premature to say as to when the work will be completed. The programme is prepared annually. At present also the programme is there before the commission and they have been requested to expedite the work.

Shri Sidheshwar Prasad: The translation of rules into Hindi by Legislative Commission is not the authoritative version. For that purpose some other action is taken which results in delay. What action has been taken by Government to make the rules and acts authoritative? What steps are being taking by Government to remove difficulties in making Hindi translation an authoritative version of Bills introduced in Parliament?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : विवरण में पहली सूची में उन 28 अधिनियमों के नाम दिए गये हैं जिनको आयोग ने अन्तिम रूप दे दिया है। फिर विधेयकों की सूची है। अनेक विधेयक राज्यों को परिचालित किये जा रहे हैं और सब राज्य इस अनुवाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें समय तो लगता ही है। हिन्दी वाले राज्यों में भी ऐसा नहीं है कि हर कोई समान शब्दावलि से सहमत हो। उदाहरण के तौर पर हमने सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम और संविदा अधिनियम के अनुवाद विभिन्न राज्यों को भेजे हैं और उनसे अपने विचार भेजने को कहा है लेकिन उन्होंने अभी तक उत्तर नहीं भेजे हैं। एक विधि शब्दावलि है और एक अनुपूरक शब्दावलि भी जारी की गई है इसका मतलब है लगभग 12 लाख रुपये प्रति वर्ष। इसमें धन का भी सवाल है।

Shri Sidheshwar Prasad : Sir, my question has not been replied. He told us difficulties. I asked about the action being taken by Government to remove these difficulties.

Shri G. S. Pathak: The Chairman of the Commission is trying to remove these difficulties and I also have a talk with him now and then.

श्री कन्डप्पन : अब जब कि सरकार ने सभी राष्ट्रीय भषाओं को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं का माध्यम स्वीकार कर लिया है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि सभी केन्द्रीय अधिनियमों का साथ साथ सभी राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाये। इस बारे में अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, वहां एक आयोग है। जैसा मन्त्री महोदय ने बताया है हमने कुछ हद तक अंश कालिक सदस्यों को हटा दिया है। हम यह करते हैं कि राज्यों से अपने सचिव या कुछ वरिष्ठ अधिकारी भेजने को कहते हैं....

श्री कन्डप्पन : अन्य भाषाओं में अभी तक कौन कौन से कानूनों का अनुवाद किया गया है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : यह सब सूची में दिया गया है ।

श्री भागवत झा आजाद : ऐसे बहुत से अधिनियम हैं जिनका तमिल, बंगला, तेलुगु, उड़िया, मराठी और हिन्दी में भी अनुवाद नहीं किया गया है । क्या मन्त्री महोदय इस बात से संतुष्ट हैं कि सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम और संविदा अधिनियम के अनुवाद से इन वर्षों में प्रगति काफी हुई हैं ? अधिनियमों का अधिक सख्या में प्रादेशिक भाषाओं और हिन्दी में अनुवाद करने और उन्हें राज्यों को भेजने के बारे में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जैसा मन्त्री महोदय ने बताया है बंगाली, मराठी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, तमिल आदि भाषाओं में भी अनुवाद करना आवश्यक है । हम उन्हें राज्यों को भेज रहे हैं और उनमें से अधिकांश ने ये हमे वापस नहीं भेजे हैं ?

श्री कन्डप्पन् : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । विवरण में लिखा है ;

"उन अधिनियमों की सूची जिनके प्रादेशिक भाषा में अनुवाद पाठ राज्य सरकारों को भेजे गये हैं ।"

क्या इसका यह मतलब है कि तकनीकी शब्दों की शब्दावलि हिन्दी और पाठों के लिये एक ही है ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : हम कुछ शब्द बनाने का प्रयत्न करते हैं । उदाहरणत: तमिल के लिये तमिल अनुवादक हैं । मद्रास में भी एक समिति है और जहां तक मुझे याद है, मुख्य न्यायाधीश का भी इससे सम्बन्ध है ; वे इसकी जांच करते हैं और वापस हमें भेज देते हैं । कुछ अधिनियम उन्होंने अभी तक वापस नहीं भेजे हैं ।

Shri Yashpal Singh: The Government have not stated the reasons that why translators are not available. Why the Government do not advertise for that? There is no use of having part-time translators. Why it is being tried to club Hindi with other regional languages because due to this the translation work is lagging behind? We are not getting Hindi text of Bills introduced here. When the work is likely to be completed?

Mr. Speaker : Who said about part-time translators?

Shri Yashpal Singh : They said that full-time translators are not available.

Mr. Speaker: He said that members are part-time.

Shri Yashpal Singh: The difficulties should be placed before the House.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि सदस्यों को जो विधेयक दिये जाते हैं उनको वे हिन्दी में नहीं दिये जाते हैं । इनको हिन्दी में देना कब सम्भव होगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : वे तैयार किये जा रहे हैं । कुछ विधेयक हिन्दी में आ रहे हैं । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का यह तात्पर्य है कि उनमें से किसी का भी हिन्दी पाठ नहीं मिल रहा है ।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार कामगार लोगों के हित के लिये श्रम सम्बन्धी कानूनों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने को प्राथमिकता देगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मै समझता हूँ कि एक अधिनियम औद्योगिक विवाद अधिनियम है ।

Shri Buta Singh: Some time back the former Chief Justice, Shri Gajendragadkar gave a warning to Government and students while inaugurating convocation of the Bombay University. Has that warning come to the notice of the Hon. Minister and if so, what is his reaction thereto?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : हमें इसका पता है । वह एक समान भाषा की आवश्यकता के बारे में कह रहे थे । जहां तक तकनीकी शब्दों का सम्बन्ध है, उनकी एक भाषा होनी चाहिये और वह अंग्रेजी के बारे में उल्लेख कर रहे थे ।

Shri M. L. Dwivedi: Prior to independence when there was no provincial languages, translation of Central Acts was available and now what are the reasons the Government is putting the responsibility on States instead of getting them translated at the Centre and the public is not getting their texts in regional languages? What are the reasons that Bills here are not made available simultaneously?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहां तक मद्रास और बंगाल का सम्बन्ध है, वे दिल्ली से भेजे गये अनुवाद स्वीकार नहीं कर रहे हैं । वे हमसे 12 लाख रुपये का अनुदान चाहते हैं । अतः हम यहां पर उनके व्यक्तियों को यहां रखने और कुछ अधिनियमों को अनुवाद के लिये वहां भेजने के बारे में एक तरीका निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन इन सब में समय लगता है ।

श्री मुहम्मद ताहिर : इस सूची में उर्दू का नाम नहीं है । उर्दू संविधान में लिखित चौदह भाषाओं में से एक है । क्या मैं जान सकता हूं कि जब अधिनियमों का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, क्या उनका उर्दू में भी अनुवाद किया जायेगा ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है, कुछ कानूनी शब्द उर्दू में हैं । उदाहरणतः 'प्लेन्टिफ' और 'डिफेन्डेट' के लिये उर्दू में 'मुद्दई' और 'मुद्दालह' शब्द हैं जब कि हिन्दी में 'वादी' और 'प्रतिवादी' शब्द हैं । इस प्रकार हम कुछ हिन्दी के और कुछ उर्दू के शब्द बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री मुहम्मद ताहिर : उर्दू में भी कानूनी शब्द हैं जैसे 'अदालत' शब्द एक उर्दू शब्द है ।

Shri Prakash Vir Shastri : When there is an Official Language (Legislative) Commission, what is the difficulty for introducing Bills in both the languages and after the adoption of the Official Language Bill why the decision is not being implemented regarding laws?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : मैंने विधेयकों की एक सूची पेश कर दी है ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि संसद में पेश किये जाने वाले हर विधेयक को हिन्दी में भी पेश किया जाय और वह उसका प्राधिकृत पाठ होना चाहिए ।

Shri G. S. Pathak : The Government are trying to see that all the Bills introduced, are translated into Hindi and so far 43 Bills have been translated. It is also seen that the translation is done by the Commission.

Shri Prakash Vir Shastri : So far Hindi texts of Bills introduced are not authoritative version as that is simply translation. Under the Official Languages Bill when such arrangements will be made that Bills in Hindi are authorised version?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : ऐसी बात नहीं है । अभी कुछ देर पहले मेरे साथी श्री श्यामधर मिश्र को कुछ तकनीकी शब्दों का अनुवाद करने में कठिनाई हो रही थी । उदाहरणतः 'कॉटन सेस बिल' में कुछ शब्दों का अनुवाद करना बड़ा कठिन है । अतः विलम्ब तकनीकी शब्दों के कारण होता है जिसके लिये कोई शब्द नहीं मिले हैं । अन्यथा विधेयक हिन्दी में भी पेश किये जा रहे हैं ।

Restrictions on Movement of Edible Oils

***604. Shri Bibhuti Mishra: Shri K. N. Tiwary:**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have now imposed restrictions on the movement of edible oils from Gujarat to other States:

(b) if so, whether it is a fact that there is dissatisfaction in other States due to these restrictions; and

(c) if so, the steps taken by the Central Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) :

(a) Yes Sir. The restrictions apply to groundnut and groundnut oil.

(b) Due to overall shortfall in production of groundnuts in the country (including Gujarat) this year and in the absence of exports from Gujarat, there has been scarcity of groundnut oil outside Gujarat and this has caused some difficulty to other States.

(c) Food Corporation of India has been authorised to make purchases of agreed quantities of groundnut oil in Gujarat markets and move the same to other parts of the country on a regulated basis. Soyabean and Sunflower oil have been imported from the U. S. A. and the U. S. S. R. to meet the needs of the Vanaspathi Industry and thus reduce the pressure on groundnut oil.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that Government of Gujarat imposed restrictions on the movement of oil from Gujarat because there is shortage of foodgrains and they are not getting that from surplus States?

Shri Shyam Dhar Misra : That is not the position. The matter has been discussed with them several times. It is true that this year the production of groundnut oil and groundnut seed is much less everywhere including Gujarat. They think that if they export it, they themselves will feel difficulty.

Shri Bibhuti Mishra: Are Government formulating any such scheme that oil is sent to States from Gujarat proportionately in reduced quantity in view of the lesser production?

Shri Shyam Dhar Mishra: The Food Corporation of India was asked to purchase 12 thousand tonnes. They have purchased 6 thousand tonnes. This will be supplied to various States.

Shri K. N. Tiwary: Is every State authorised to impose restrictions on any items in their areas or there is some policy of the Central Government in this respect

that restrictions should be imposed only after consulting them? Due to non-availability of this oil the prices of Vanaspati ghee have risen. What action has been taken by Government to maintain supplies so that their prices are not increased?

Shri Shyam Dhar Misra: It is a fact that the prices of groundnut oil and seed have increased almost to double and that is why, as I have already stated, about 26 thousand tonnes are being imported from U. S. S. R so that vanaspati manufacturing factories are not closed. One of the reasons for imposing restrictions on the movement from one state to another is to see that there should not be any shortage and the prices are not increased.

Shri K. N. Tiwary: Is every state independent to impose restrictions or are restrictions imposed in accordance with policy of the Central Government?

Shri Shyam Dhar Misra : Nobody is independent, they do after consulting the Centra.

श्री पु० र० पटेल : देश में यह भावना बड़ी प्रबल है कि खाद्यान्नों, तेलों और अन्य वस्तुओं पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्धों के कारण ही ये सब कठिनाईयां हुई हैं। क्या सरकार इन प्रतिबन्धों को हटा कर राज्यों में आपसी कटुता को समाप्त करने के बारे में सोच रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मंत्री महोदय ने इस सामान्य प्रश्न का उत्तर दिया है। यह काम एक समिति को सौंपा गया है। वह इस बारे में शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन दे देगी।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या किसी अन्य राज्य ने भी खाद्य तेलों के लाने-ले जाने पर इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबन्ध लगाये हैं ? यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : किसी ने नहीं।

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh : Has the Hon. Minister come to know, during his visit to Gujarat, that groundnut producing farmers in Saurashtra had to suffer such a great loss that they are demanding independent State for Saurashtra?

Shri shyam Dhar Misra: This point did not come before me in this way.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Has it come to the notice of the Government that the price of mustard oil and groundnut oil there is 3 rupees per kilogram while in other State the price is 6 rupees per kilogram. At what price this has been purchased from there and what is the profit Govt. would earn thereupon?

Shri Shyam Dhar Misra : These figures are not with me. I want notice for that.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : उन्होंने प्रश्न के पहले भाग का उत्तर नहीं दिया है। प्रश्न का पहला भाग गुजरात में और अन्य रज्यों में चालू मूल्यों के बारे में है। इस बारे में उनका क्या उत्तर है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मेरे पास राजकोट, हैदराबाद, मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली इन छः स्थानों के बारे में महीने के अन्त के चालू मूंगफली के तेल के थोक मूल्य हैं। राजकोट में मूल्य 30 रुपये था ; हैदराबाद में 510 रुपये; मद्रास में 493 रुपये ; बम्बई में 530 रुपये ; कानपुर में 418 रुपये ; और दिल्ली में 477 रुपये था।

———

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

वियतनाम में विसैन्यीकृत क्षेत्र पर बमबारी

अल्प सूचना

प्रश्न संख्या 15. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वियतनाम में विसैन्यीकृत क्षेत्र पर अमरीकी विमानों द्वारा की गई बमबारी के समाचार पर सरकार की इस दृष्टि से क्या प्रतिक्रिया है कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का प्रधान है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : वियतनाम में 17वीं अक्षांश रेखा के दोनों ओर विसैन्यीकृत क्षेत्र के उलंघन, विशेषत: अमरीकी जहाजों द्वारा बमबारी, के समाचार पर भारत सरकार को गम्भीर चिन्ता हुई है। यह पता लगा है कि अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ऐसे उलंघनों के बारे में दोनों ओर से प्राप्त शिकायतों पर विचार कर रहा है।

श्री प्र० चं० बरुआ : जैसा कि प्रधान मंत्री ने एक जेनेवा प्रकार के सम्मेलन का सुझाव दिया था, अमरीका ने वियतनाम में शांति के लिए भारतीय प्रयास का स्वागत किया था और रूस भी इस बात से इस शर्त पर सहमत था कि यह बात हनोई में स्वीकार्य हो, तो विसैन्यीकृत क्षेत्र पर बमबारी के कारण वियतनाम में स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का मंत्रि-स्तर पर एक मिशन हनोई भेजने का है ताकि डा० हो० ची० सिंह को इस प्रस्ताव की वांछनियता और संभाव्यता के बारे में बताया जाये और यदि हां, तो इस मामले में हनोई से बातचीत करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हमारा अभी कोई उच्चस्तरीय दल हनोई भेजने का विचार नहीं है। हम उस सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्योंकि भारत वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष है और वह कोई प्रभावी कार्य नहीं कर सकता, क्या सरकार ने इस बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से कोई सहायता अथवा हस्तक्षेप की मांग की है ताकि इन दलों में बातचीत कराई जा सके अथवा सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष-पद छोड़ने का कोई विचार है ?

श्री दिनेश सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य को ये सुझाव किसने दिये लेकिन जहां तक इस आयोग का सम्बन्ध है, यह 1954 के जेनेवा समझौते के अनुसार बनाया गया है। इस मामले को इस समय राष्ट्र संघ में उठाने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री वासुदेवन नायर : 6 अगस्त को पौलैण्ड सरकार ने एक वक्तव्य जारी कर कम्बोडिया में दक्षिण वियतनाम सीमा पर एक गांव में अमरीकी विमानों द्वारा आक्रमण किये जाने के बारे में, जब कि आयोग बमबारी की एक पहली शिकायत के बारे में घटनास्थल का निरीक्षण

कर रहा था, चिन्ता प्रकट की गयी है । उसमें कहा गया है कि विमानों ने गांव पर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बमबारी की और राकेटों और मशीन गनों से आक्रमण किया और जिसने प्रत्यक्ष रूप से आयोग के सदस्यों की सुरक्षा के लिये खतरा पैदा हुआ । आयोग में आगे कहा गया है कि उन्होंने इस बारे में भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग में भारतीय प्रतिनिधियों का ध्यान दिलाया है और प्रार्थना की है कि इस प्रकार की कार्यवाही का विरोध किया जाये । क्या उनको उस आयोग में एक साथी-देश से यह वक्तव्य मिल गया है और क्या हमारी सरकार ने आयोग के सदस्यों पर इस प्रकार के आक्रमण के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ?

श्री दिनेश सिंह : इसका विसैन्यीकृत क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही यह वह आयोग है, यह आयोग तो कम्बोडिया में है । तथापि, इस बारे में अमरीका का ध्यान दिलाया गया है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : वियतनाम में विसैन्यीकृत क्षेत्र में प्रभावोत्पादक विमान-भेदी कार्यवाही करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के पास क्या सशस्त्र सहायता है ?

श्री दिनेश सिंह : कोई शस्त्र नहीं हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : यद्यपि उत्तर वियतनाम पर अमरीकी युद्ध विमानों द्वारा बमबारी की निन्दा की जाती है, क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग ने हाल ही में हनोई का दौरा किया था और अपने प्रस्तावों पर डा० हो० ची० मिन्ह का प्रत्युत्तर असंतोषजनक पाया और यदि हां, तो क्या यह विश्वास करने के कोई कारण हैं कि चीन उत्तर वियतनाम सरकार को भारत द्वारा प्रस्तावित शांति प्रस्तावों को न मानने के लिये उकसा रहा है ?

श्री दिनेश सिंह : आयोग के हनोई का दौरा करने का कोई प्रश्न नहीं है, आयोग तो हनोई में ही है । केवल उसका अध्यक्ष यहां-वहां जाता है । उन्होंने उस सरकार से कुछ बातचीत की थी और मैं यह नहीं कहता कि वहां की सरकार इन बातों पर विचार करने को तैयार नहीं है । मैं यह नहीं बता सकता कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष ने उस सरकार से क्या बातचीत की ।

श्री हरि विष्णु कामत : इसमें क्या कठिनाई है । समाचार-पत्रों में समाचार छपा है । उन्होंने वहां समाचार-पत्र-संवाददाताओं से भी बातचीत की थी । वे किसके हित में इन बातों को छिपा रहे हैं, अपने हित में, दल के हित में, सरकार के हित में अथवा जनता के हित में या चीन के हित में ?

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी : मंत्री महोदय का कहना है कि हमारी सरकार ने अमरीकी सेना द्वारा विसैन्यीकृत क्षेत्र पर बमबारी की ओर अमरीका सरकार का ध्यान दिलाया है । इसका उन्होंने क्या उत्तर दिया । इस पर उन्होंने खेद प्रकट किया अथवा उन्होंने यह कहा कि वे इस पर ध्यान देंगे ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य को पता है कि ऐसे मामले में क्या तरीका अपनाया

जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग अपना प्रतिवेदन साथी-अध्यक्ष को देता है ; वह इन मामलों में प्रत्यक्ष रूप से अन्य सरकारों से कुछ नहीं कहता जहां तक बमबारी का सम्बन्ध है, मैं बता चुका हूं कि हमने क्या किया है। हमने इस बारे में चिंता प्रकट की है।

Shri Bhagwat Jha Azad : The U. S. war planes have bombed the area not only once but the bombing is being continued and the Government have also drawn the attention of U. S. Government towards that. I want to know whether the U. S. Government have said that they would not bomb the demilitarized zone hereafter.

Shri Dinesh Singh : They have not said that they would not resort to bombing.

श्री स० मो० बनर्जी : हमारे देश द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद और वहां पर अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के होते हुए तनाव बना हुआ है और अमरीकी युद्ध लीलुयों ने अनियंत्रित बमबारी शुरू कर दी है। भारत कब तक इस प्रकार रहेगा और यदि वे हमारी प्रार्थना को नहीं मानते तो क्या वह नियंत्रण आयोग से हट जाएगा ?

श्री दिनेश सिंह : जी, नहीं हम नियंत्रण आयोग को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आयोग का विघटन न कर दिया जाये या यह पूरी तरह बेकार सिद्ध न हो जाय।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी तक हमारे प्रधान मंत्री वियतनाम के संकट को सुलझाने के लिए किये गये प्रस्तावों का हनोई और पेकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, हमारी सरकार ने राष्ट्रपति दिगाल से यह अनुरोध क्यों नहीं किया है कि वह वियतनाम की समस्या सुलझाने के लिये विश्व शांति के हित में एक सम्मेलन बुलाये क्यों कि संसार में एक वह ही ऐसा व्यक्ति है जो यदि एक बैठक बुलाये तो हनोई और पेकिंग दोनों देश उसे सहयोग देंगे ?

श्री दिनेश सिंह : पता नहीं माननीय सदस्य यह कैसे समझते हैं कि यदि राष्ट्रपति दिगाल कोई बैठक बुलाते हैं तो पेकिंग और हनोई-दोनों देश इसमें शामिल होंगे। हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मैंने कहा कि संसार में आज राष्ट्रपति दिगाल ही ऐसा व्यक्ति है कि यदि वह वियतनाम के बारे में एक सम्मेलन का आयोजन करे तो उस सम्मेलन में हनोई और पेकिंग दोनों देश शामिल होंगे। अभी तक हनोई और पेकिंग ने हमारे प्रधान मन्त्री के सुझावों को नहीं माना है क्योंकि चीन हमारे विरुद्ध है। उनका कहना है कि सरकार को यह जानकारी है कि राष्ट्रपति दिगाल ने एक सम्मेलन करने का प्रस्ताव रखा है.... (**अन्तर्बाधा**)।

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यदि राष्ट्रपति दिगाल एक सम्मेलन बुलायें तो वे दोनों देश इसमें शामिल होंगे।

श्री हेम बरुआ : हमारी सरकार ने अभी तक राष्ट्रपति दिगाल से ऐसा सम्मेलन बुलाने को क्यों नहीं कहा है ?

अध्यक्ष महोदय : भारत सरकार ने उनको किसी अन्य मामले में कोई और बैठक करने को क्यों नहीं कहा । यह भिन्न मामला है ।

श्री दिनेश सिंह : सरकार ने अभी ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा ।

श्री दी० चं० शर्मा : विसैन्यीकृत क्षेत्र पर काफी समय से बमबारी की जा रही है । और इसके लिये दोनों पक्ष दोषी हैं—अमरीकी और पेकिंग द्वारा समर्थित हनोई । क्या यह इसलिये नहीं है कि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण आयोग में व्यक्तियों की संख्या अपर्याप्त है, उनके पास विसैन्यीकृत क्षेत्र की सुरक्षा के लिये साधन भी अपर्याप्त है और उनके पास ऐसे भी कोई साधन नहीं हैं जिनसे वे ठीक समय पर इन बमबारों के आने के बारे में पता लगा सकें ।

श्री दिनेश सिंह : यह सच है कि हमारे पास उपकरण नहीं हैं । विसैन्यीकृत क्षेत्र की सुरक्षा हमारा उत्तरदायित्व नहीं है । यदि उस क्षेत्र का उलंघन किया जाता है तो हमें अध्यक्ष को उलंघन के बारे में रिपोर्ट देनी होती है । यदि कोई उलंघन होता है तो हमारा काम वहां पर लोगों को भगाने के लिये लड़ना नहीं है बल्कि केवल उनको सूचित करना है ।

जब इन प्रश्नों में इतने अधिक अनुमान लगाये जाते हैं तो मेरे लिये, सरकार के प्रतिनिधि के नाते इनका उत्तर देना कठिन हो जाता है । अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हनोई सरकार को पेकिंग का समर्थन प्राप्त है । मैं इस बात को नहीं मानता ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

विमान सेवाएं

*605. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने सार्वजनिक उपयोगिता तथा अत्यावश्यक सेवा की व्यवस्था के विचार से बड़े बड़े नगरों तथा दूरवर्ती स्थानों द्वारा सम्पर्क करने हेतु विमान सेवाओं को चलाने की अपनी नीति पर पुनर्विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ; और

(ग) इस आधार पर कौन-कौन सी सेवायें आरम्भ की जायेंगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) कारपोरेशन ने विमान सेवाओं की व्यवस्था करने में सार्वजनिक उपयोगिता के पहलू को हमेशा ध्यान में रखा है । इसने मार्केट सर्वेक्षण भी किये हैं लेकिन उपस्करों तथा विमान-कर्मीदल की कमी के कारण कारपोरेशन इस समय बहुत सी नई विमान सेवाओं की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं है ।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में मिल मालिकों द्वारा मुनाफाखोरी

*606. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चलने वाले मिलों के मालिकों ने मुनाफाखोरी शुरू कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने इन क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में उसका कारोबार किस प्रकार का है और उसे किस हद तक किया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) ऐसा कोई मुनाफाखोरी का मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम विभिन्न राज्यों में अपनी शाखाओं के माध्यम से काम कर रहा है । इनमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान राज्य शामिल हैं जो कि कभी से प्रभावित हैं ।

(घ) जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम में विहित है, निगम के कार्यों में खाद्यन्नों और अन्य खाद्य पदार्थों की खरीद, संचयन, संचलन, परिवहन, वितरण और विक्री सम्बन्धी कार्य शामिल हैं । निगम किसी न किसी रूप में ये कार्य कर रहा है ।

निर्वाह-योग्य (सबसिस्टैन्ट) फार्म

*607. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्वाह-योग्य (सबसिस्टेंस) फार्मों की तुलना में फालतू अन्न वाले राज्यों, फालतू अन्न वाले जिलों और फालतू अन्न वाले फार्मों के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर दिये हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों में फालतू अन्न वाले फार्मों की अनुमानित प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) क्या सरकार ने निर्वाह-योग्य फार्मों को फालतू अन्न वाले फार्मों में परिवर्तित करने का कोई क्रमबद्ध कार्यक्रम बनाया है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र):

(क) से (ग) किसी विशेष राज्य में अथवा किसी राज्य के किसी विशेष जिले में खाद्यान्न कितना फालतू है एवं वहाँ खाद्यान्न की कितनी कमी है यह वहाँ के उस विशेष वर्षा के उत्पादन तथा वहाँ की आवश्यकता पर निर्भर है। विभिन्न राज्यों के लोगों की खाद्यान्न संबंधी आदतों में बहुत अधिक अन्तर होने के कारण किसी विशेष राज्य की आवश्यकताओं का सैद्धांतिक अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए हालके वर्षों में प्रत्येक राज्य में की जाने वाली आयात तथा वहां से होने वाली निर्यात और वहां के उत्पादन का अनुमान लगा कर वहां खाद्यान्न की बहुतायत अथवा कमी का अनुमान लगाने की व्यवहारिक नीति अपनाई गई है। फालतू अन्न वाले फार्मों तथा निर्वाह योग्य फार्मों की संख्या तथा उनकी प्रतिशतता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपज को बढ़ाकर उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि प्राप्त करने से प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिससे फार्मों में और अधिक फालतू अनाज उपलब्ध होने की संभावना है।

रिवर स्टीम नैवीगेशन कम्पनी

*608. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री रिवर स्टीम नैविगेशन कम्पनी के बारे में 26 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1349 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कम्पनी के कार्य को ठप्प करने अथवा उसका परिसमापन करने अथवा पश्चिम बंगाल और आसाम के बीच इसके कार्य को पूर्ववत चालू करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) मामला अभी विचाराधीन है।

ढोरों के लिए चारा

*609. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में पशुओं को चराने के लिये नियत की गई भूमि को कृषि भूमि के रूप में बदला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इनके बदले में पशुओं के लिये पर्याप्त चारे की व्यवस्था करने हेतु अन्य कार्यवाही करने के लिये कहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) पूछी गई सूचना राज्य सरकार से इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटलपर रख दी जायेगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों में चावल के दामों में वृद्धि

*610. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० च० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार द्वारा सप्लाई किये जाने वाले राशन के चावल का मूल्य सभी राज्यों में बढ़ाने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या मूल्य में की जाने वाली इस वृद्धि का पश्चिम बंगाल में जहां मूल्य पहले ही अधिक हैं, उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

एफ-28 फोक्कर फ्रैंडशिप विमान

*611. **श्री दे० द० पुरी :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़िया किस्म के एफ-28 फोक्कर फ्रैंडशिप विमान खरीदने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बात का पक्का निश्चय कर लिया है कि यह विमान भारतीय हालात में उपयोगी सिद्ध होंगे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सूखाग्रस्त राज्यों को तदर्थ अनुदान

*612. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने सूखा-ग्रस्त राज्यों को तदर्थ वित्तीय नियतन किया है ताकि वे सूखा पीड़ित किसानों से कृषि ऋण की वसूली का काम स्थगित कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो सूखा-ग्रस्त राज्यों के लिये इस प्रकार कुल कितना धन नियत किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को उनके शीर्ष सहकारी बैंकों की स्थिरीकरण निधियों को मजबूत बनाने के लिये ऋण दिये हैं, ताकि वे काश्तकार सदस्यों द्वारा सहकारी समितियों से लिये गये अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित कर सकें। इस तरह वापसी अदायगी का प्रक्रम स्थगित हो सकेगा और वे नये ऋण ले सकेंगे।

(ख) चालू वर्ष में आठ राज्यों को मन्जूर किये गये ऋणों की कुल राशि 6,775 करोड़ रुपये हैं।

पश्चिम पाकिस्तान की चोरी-छिपे चावल ले जाया जाना

*613. **श्री बूटा सिंह :** **श्री नारायण रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम-पाकिस्तान को बरास्ता राजस्थान चोरी छिपे चावल ले जाये जाने के मामलों का हाल में पता लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वयस्क मताधिकार

*614. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ लोगों ने वयस्क मताधिकार व्यवस्था की समाप्ति की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरुप पाठक) : (क) सरकार को ऐसी किसी मांग की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आसाम में वस्तु-भाड़ा की दरें

*615. **श्री राम चन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री आसाम में परिवहन सम्बन्धी वस्तु-भाड़े के बारे में 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1596 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उस क्षेत्र में सड़क, रेल तथा नदी मार्गों के सम्बन्ध में वस्तु-भाड़े की दरों में ताल-मेल करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। मामला अभी विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है ।

समन्वय का अनुभव

*616. **श्री गुलशन :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 जून, 1966 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि जिस केन्द्रीय अध्ययन दल ने हाल में कुछ राज्यों का दौरा किया था उसने यह देखा है कि कृषि उत्पादन से सम्बन्धित विभागों में समन्वय नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिये, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके, यदि सरकार ने कोई कार्यवाही की है तो क्या ; और

(ग) अध्ययन दल के निष्कर्षों पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) खरीफ के मौसम में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण तथा अन्य आदानों के ऋण के वितरण के प्रबन्धों का अध्ययन करने के लिये केन्द्रीय दलों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया था । दलों ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे मामलों के बारे में लिखा था जहां समन्वय संतोषजनक था । दलों ने आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में कृषि सम्बन्धी कार्य करने वाले कुछ विभागों में समन्वय की कमी के बारे में भी लिखा था । राज्य सरकारों को रिपोर्ट की प्रतियां भेज दी गई थीं और राज्यों ने अधिक उत्पादनशील किस्मों के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक ज़िले में ज़िला स्तर पर समन्वय समि-

तियां स्थापित करने के बारे में इन त्रुटियों को दूर करने के लिये कार्यवाही करना स्वीकार कर लिया है ।

भूचाल

*617. **श्री राम हरख यादव :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री काजरोलकर : **श्री दिगे :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 जून, 1966 को सायंकाल के समय सारे उत्तर भारत में भुचाल के भारी झटके आये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो भूचाल तथा उसके उत्केन्द्र (एपी सेन्टर) का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि जान व माल की कोई हानि हुई है तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 27 जून, 1966 की शाम को मामूली से लेकर मध्यम तीव्रता के भूकम्प के झटके उत्तरी भारत के बहुत से स्थानों पर महसूस किये गये ।

(ख) भूकम्प का अधिकेन्द्र (एपी सेन्टर) पश्चिम नेपाल क्षेत्र में दिल्ली से लगभग 370 किलोमीटर दूर $29\frac{1}{2}^{\circ}$ अक्षांश उत्तर और 81° देशान्तर पूर्व के निकट था ।

(ग) नैनीताल में कुछ इमारतों पर दरारों के अलावा भारत में किसी जान व माल के नुकशान की सूचना नहीं मिली है । समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार, नेपाल में उत्केन्द्र खण्ड (एपी सेन्ट्रेल ट्रैक्ट) के निकट कुछ नुकसान हुआ और लगभग 100 व्यक्ति मारे गय ।

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन

*618. **श्री हेमराज :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् विधान सभा तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के नये सिरे से परिसीमन के लिये आदेश देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा ?

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) और (ख) पंजाब के पुनर्गठन के लिये एक विधेयक लोक सभा में शीघ्र ही पुनःस्थापित किया जायेगा । विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिये आवश्यक उपबन्ध विधेयक में किया जायेगा । विधेयक के पारित होते ही, परिसीमन का काम परिसीमन आयोग द्वारा किया जायेगा ।

अनाज का समाहार

*619. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी विपणन सम्बन्धी दांतेवाला समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की है कि खाद्यान्न तथा अन्य कृषि-जन्य वस्तुओं के समाहार के लिये सहकारी विपणन समितियों को निश्चित रूप से प्राथमिकता दी जानी चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशें मोटे तौर पर मौजूदा नीति के अनुरूप ही हैं । तथापि, सिफारिशों पर विशिष्ट रूप से अभी तक कोई निर्णय नहीं लिये गये हैं, चूंकि समिति ने केवल सिफारिशों का अन्तरिम सार ही पेश किया है और इसकी पूरी रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है ।

Procurement Prices of Foodgrains

*620. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Government to fix procurement prices of foodgrains in their respective States ; and

(b) if so, on what basis ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Communia, Development & Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) State Governments have been delegated powers to fix procurement prices of foodgrains in their respective States, after obtaining concurrence of the Central Government.

(b) While fixing procurement prices due consideration is given to the controlled prices if any' likely post-harvest prices, minimum prices fixed by Government, marketing and processing costs etc. and other relevant factors.

मैसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

*621. **श्री जसवन्त मेहता** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड का प्रबन्ध निदेशक और कम्पनी का सचिव तथा श्री एच० डी० मुंदडा, जिनका कम्पनी के 707 सामान्य अंशों के सम्बंधी में बेइमानी करने और धोखादेही के मामले में हाथ था, कलकत्ता पुलिस द्वारा 18 जून, 1966 को छोड़ दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जनवरी, 1966 में, महाप्रांतीय दण्डाधिकारी, कलकत्ता, के पास श्री हून द्वारा इस सम्बंध में एक शिकायत पेश की गयी कि उसने मैसर्स टर्नर मौरिसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के 707 अंश कम्पनी के प्रबंध निदेशकों में से एक निदेशक श्री जैफरी को सुरक्षण के लिये सौंपे थे जिसने एक अन्य प्रबंध निदेशक श्री रोडीवल्ड् और सचिव श्री हरमसजी और श्री एच० डी० मुंदडा के साथ मिलकर षडयंत्र द्वारा उन अंशों का आपराधिक अपाहरण कर लिया । इस आरोप के आधार पर मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया । श्री जैफरी, श्री रोडीवल्ड और श्री हरमसजी ने महाप्रांतीय दण्डाधिकारी के समक्ष समर्पण कर दिया, जिनको जमानत पर रिहा कर दिया गया । श्री मुंदडा ने न तो समर्पण

किया और न ही उनको पुलिस द्वारा बन्दी बनाया गया। जिन अधिकारियों ने समर्पण किया था, उनको महाप्रान्तीय दण्डाधिकारी के दिनांक 18 जून, 1966 के आदेश द्वारा रिहा कर दिया गया था।

(ख) जांच करने पर पुलिस को ज्ञात हुआ कि श्री हून का आरोप मिथ्या था। तदानुसार, उन्होंने प्रान्तीय दण्डाधिकारी, कलकत्ता को सूचित किया, जिसने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त व्यक्तियों को मुक्त कर दिया।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

*622. **श्री दिगे :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की खाद्य समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिये सरकार ने जुलाई, 1966 में नई दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों की एक बैठक बुलाई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां। देश में खाद्य स्थिति के साथ साथ अन्य बातों पर विचार करने के लिये मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन 19 और 20 जुलाई, 1966 को हुआ था।

(ख) खाद्य समस्या के विभिन्न पहलुओं पर सामान्य विचार विमर्श हुआ था। मुख्य मंत्रियों ने अपने अपने राज्यों की खाद्य स्थिति स्पष्ट की और उसका मुकाबला करने के लिये अपने अपने विचार व्यक्त किये। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्रियों की एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया गया जो कि देश में चावल की कमी को किस प्रकार पूरा करना है, के बारे में सुझाव देगी।

एकाधिकार जांच आयोग का प्रतिवेदन

*623. **श्री प्र० च० बरुआ :** **श्री अ० ना० विद्यालंकार :**

विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री राम हरख यादव :**

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री जसवन्त मेहता :**

श्री दलजीत सिंह :

क्या **विधि** मन्त्री 26 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 134 के उत्तर के सम्बंध यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकाधिकार जांच आयोग के प्रतिवेदन पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

विधि मन्त्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : (क) जी हां।

(ख) संकल्प के रूप में सरकार द्वारा किया गया निर्णय शीघ्र ही सभा-पटल पर रखा जायगा ।

Cow Slaughter

*624. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Coorperation** be pleased to refer to his statement made on the 1st August, 1966 and state :

(a) whether the information regarding cow slaughter asked for from various States has since been received; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shinde): (a) In the statement made by Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation on the 1st August, 1966, the necessity of consultation with the State Governments to enable the Central Government to formulate a policy regarding ban on cow slaughter was referred to. This being a State subject, we have since ascertained from the State Governments the latest position regarding the legislation on cow slaughter which they have passed. The Union Gabinet has discussed this matter and further consideration has become necessary. A statement on this subject will be made during this week.

(b) A statement is given be low:

I. **(Total Ban):- States which have imposed ban on Cow Slaughter by logislation.**

1. Bihar.
2. Gujarat.
3. Madhya Pradesh.
4. Maharashtra (Vidharbha Region).
5. Mysore (Mysore area).
6. Orissa.
7. Punjab.
8. Rajasthan.
9. Uttar Pradesh.
10. Jammu & Kashmir.
11. Delhi (by Chief Commissioner's notification).

II. **(Partial Ban):- States which have passed legislation for banning slaughter of young and useful cows only**

1. Andhra Pradesh (Telengana Region).
2. Assam.
3. Madras.
4. Maharashtra (Former Bombay area).
5. West Bengal.

Reservation of Seats in U.P. Assembly for Harijans of Ghazipur and Varanasi

*625. **Shri Sarjoo Pandey:** Will the **Minister of Law** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1734 on the 17th May, 1966 and state :

(a) whether it is a fact that the number of Vidhan Sabha Seats has been decreased in Ghazipur and increased in Azamgarh, in spite of the fact that Harijan population of Ghazipur and Varanasi is more than that of Azamgarh; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Law (Shri G.S. Pathak) : (a) & (b) One seat has been reserved for the Scheduled Castes in Ghazipur, two in Varanasi and 4 in Azamgarh districts. This has been done in accordance with the principles laid down in section 9 (1) (c) of the Delimitation Commission Act, 1962.

भारत और मलेशिया के बीच विमान सेवा

*627. **श्री पन्ना लाल :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री मुहम्मद कोया :**

श्री बृजबासी लाल : **श्री राम हरख यादव :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और मलयेशिया के बीच विमान सेवा चालू करने के लिये दोनों देशों के बीच एक करार हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) भारत सरकार और मलयेशिया की सरकार के बीच विमान सेवाओं के एक करार के मूल पाठ पर कौलालम्पूर में दोनों देशों के शिष्टमण्डलों के नेताओं द्वारा प्रथमाक्षर किये गये हैं। करार के इस मूल पाठ का दोनों सरकारों द्वारा अनुमोदन किया जाना है।

(ख) करार के मूल पाठ पर 4 अगस्त, 1966 को प्रथमाक्षर किये गये।

(ग) इस करार से अन्ततः एयर इंडिया मलयेशिया के लिए और मलयेशियन एयरवेज भारत के लिए विमान सेवाएं चला सकेगा ।

राज्यों में सहायता कार्य

*628. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की सलाह पर सहायता कार्यों को कुछ राज्यों में तुरन्त और कुछ अन्य राज्यों में 1 सितम्बर तक रोक देने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सहायता कार्यों को अगली फसल तक, जो विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होगी, जारी रखना आवश्यक है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में इस वर्ष भी वर्षा नहीं हुई है जिससे स्थिति और खराब हो गई है; और

(घ) क्या सहायता कार्य देश के सभी क्षेत्रों में फसलों की कटाई तक जारी रखे जायेंगे जिससे वे सभी प्रकार की अकाल सहायता देने तथा अपनी क्रम क्षमता बनाने में समर्थ हो सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन): (क) जी नहीं ।

(ख) और (घ) यह राज्य सरकारों को निश्चय करना है कि वे कितने समय तक सहायता कार्यों को चला सकती हैं। निस्सन्देह, राज्य सरकारें जब कभी भी इन कार्यों को बन्द करने का निर्णय करेंगी, तब वे सभी संगत तथ्यों पर विचार करेंगी।

(ग) केन्द्रीय सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार जिन राज्यों में 1965 में सूखा पड़ा था उन सभी राज्यों में कुल मिला कर वर्षा संतोषजनक हुई है। इस समय देश में खरीफ की फसलों की समूची सम्भावनाएं बहुत अच्छी दिखाई देती हैं ।

दिल्ली की सरकारी वस्तियों में मतदाता

2961. **श्री मधु लिमये : श्री वागड़ी :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में सरकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य अर्ध-सरकारी वस्तियों में अनुमानत: कितने मतदाता रहते हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : प्रश्न में निर्दिष्ट वस्तियों का वर्णन अस्पष्ट है। मतदाताओं की संख्या बताना संभव नहीं है क्योंकि यह पता नहीं है कि संसद् सदस्य किन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रति निर्देश कर रहे हैं ।

केरल में मौसम वेधशाला

2962. **श्री अ० क० गोपालन : श्री इम्बीचीबावा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कृष्णनूर में एक मौसम वेधशाला स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी अनुमानित लागय आयेगी ; और

(ग) इस काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 3,8000 रुपये ।

(ग) 1967-68 के दौरान ।

विहार में हाथ से धान कूटने का उद्योग

2963. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार में चावल मिलों से पांच मील के अर्द्धव्यास की परिधि में हाथ से धान कूटने की संस्थाएं बनाई गई थीं ताकि उनको छूट मिल सकें ; और

(ख) क्या यह सभी सच है कि विहार सरकार ने धान से छिलका उतारने के काम के लिये ऐसी संस्थाओं का उपयोग करने की अपेक्षा चावल मिलो को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) विहार के धान पैदा करने वाले क्षेत्रों में हाथ से कूटने वाली संस्थाएं संगठित की गई हैं। वे सामान्यतः चावल मिलों से उचित दूरी पर स्थित हैं। तथापि, कुछ मामलों में कुछ संस्थाएं चावल मिलों से पांच मील के अर्द्धव्यास की परिधि में गठित की गयी हैं। ये संस्थाएं सम्बन्धित क्षेत्रों में हाथ से कुटे चावल की मांग पूरी करने और समुदाय के कमजोर वर्गों को कार्य सुलभ करने के लिये गठित की गयी थीं। यह सच नहीं है कि ये संस्थाएं कूट लेने के लिये गठित को गयी थीं।

(ख) जी नहीं।

केरल में मैनम चीनी की मिल को पट्टे पर भूमि

2964. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में मैनम चीनी की मिल को गन्ने की खेती करने के लिये बहुत सी भूमि नामजात किराये पर पट्टे पर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो भूमि के पट्टे का ब्यौरा क्या है;

(ग) जो भूमि मैनम मिल को पट्टे पर दी गई है क्या वह धान की खेती के लिये उपयुक्त है ; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की घोषित नीति का उल्लंघन करके इस भूमि को गन्ने की खेती के पट्टे पर देने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) केरल सरकार ने सूचना दी है कि उन्होंने मैनम चीनी मिल को नामजात किराये पर पट्टे पर कोई भूमि नहीं दी है। परन्तु उन्होंने कल्लाडा सिंचाई परियोजना क्षेत्र में, जिसके लिये परियोजना के चालू होने पर पानी को व्यवस्था हो जायेगी, लगभग 1250 एकड़ वन-भूमि में जाने और वहां पर गन्ने की खेती करने के लिये इस मिल को लाइसेंस दिया है। लइसेंस की अवधि तीन वर्ष है और इसकी फीस दस रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष है। लाइसेंस को सरकार के स्वविवेक पर एक महीने की सूचना देकर समाप्त किया जा सकता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार ने सूचना दी है कि चीनी मिल को जो भूमि दी गई है वह कल्लाडा परियोजना क्षेत्र में है और यह एक पहाड़ी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में धान की खेती करने से गाद जम जायगी और वहाँ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जायगी। यह भूमि मिल

को नियमित पट्टे के आधार पर नहीं दी गई है परन्तु यह भूमि केवल तीन वर्ष अथवा उस समय तक के लिये दी गई है जब परियोजना चालू हो जाती हैं, इनमें से जो भी पहले हो अत : यह नहीं कहा जा सकता कि भूमि का आवंटन करने में सरकार की घोषित नीति का उल्लघंन किया गया है ।

केरल में नारियल के पेड़ों के स्थान पर पेड़ लगाना

2965. **श्री मे० क० कुमारन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल के पेड़ की फल देने की औसत अवधि कितनी हैं ;

(ख) राज्य में ऐसे कितने नारियल के पेड़ हैं ; जिनकी फल देने की अवधि सामाप्त हो गई है अथवा होने वाली है ;

(ग) क्या पुराने पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ लगाने का कोई सुव्यवस्थित कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां; तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 50 से 60 वर्ष ।

(ख) लगभग 7 प्रतिशत ।

(ग) **तथा (घ)** राज्य सरकार ने नारियल उद्यानों में अन्डर प्लान्टिग करके बेकार वृक्षों को हटाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया है । इसके लिए अन्डर प्लान्टिग तथा फ्रेश प्लान्टिग हेतु किसानों में वितरित करने के लिए विभागीय नारियल नरसरीज में अच्छी किस्म के नारियल पौदों का उत्पादन किया जा रहा है । 1961-62 से 1965-66 की अवधि में लगभग 24.53 लाख पौदे राज्य सरकार द्वारा वितरित किए गए ।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकार अच्छी किस्म के 9.50 लाख नारियल पौदे वितरित करने का इरादा रखती है ।

केरल में चावल के दाम

2966. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के नौ जिलों में जून, 1966 में खुले बाजार में चावल का क्या दाम था ; और

(ख) 1965 में उसी महीने में चावल के दाम की तुलना में ये दाम कितने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : **(क) और (ख)** केरल में चावल के अधिकतम नियन्त्रित मूल्य लागू हैं जो कि सारे राज्य के लिये एक जैसे हैं और सभी सौदों के लिये हैं । चालू सीजन अर्थात 1965-66 में चावल

की विभिन्न किस्मों के लिये निर्धारित अधिकतम नियन्त्रित मूल्यों की गत सीजन अर्थात 1964-65 में निर्धारित किये गये मूल्यों के साथ तुलना इस प्रकार है :—

चावल की किस्म	रुपयों में प्रति क्विंटल अधिकतम नियन्त्रित थोक मूल्य (खुला अनाज)	
कोस	1965-66	1964-65
मध्यम	76.18	71.76
वढ़िया	78.15	73.74
	84.85 से	80.42 से
	86.90	82.47

वस्तुओं के दाम

2967. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल काश्तकार क्षतिपूर्ति सुधार अधिनियम के खण्ड 2, धारा 15 के अनुसार वस्तुओं के दाम दर्शाने वाली सारणियां 25 अप्रैल, 1961 को तैयार कर ली गई थी;

(ख) क्या सरकार को इन सारणियों का पुनरीक्षण करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

डबोलिम में इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के डकोटा विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

2968. **श्री राम हरख यादव** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का बम्बई से बंगलौर जाने वाला डकोटा विमान, 13 जुलाई, 1966 की सुबह डबोलिम हवाई अड्डे पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) जान और माल की यदि कोई हानि हुई, तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हाँ।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है।

(ग) जान की कोई हानि नही हुई ; लेकिन विमान को मामूली क्षति पहुँची ।

नीदरलैंड से दुग्ध चूर्ण का उपहार

2969. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कमी वाले क्षेत्रों में वितरण के लिये नीदरलैंड सरकार ने भारत को बड़ी मात्रा में दुग्ध चूर्ण भेंट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस उपहार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह दुग्ध चूर्ण किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए नियत किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) जी हां, । लगभग 35 मीटर टन दुग्ध चूर्ण और लगभग 6 मीटरी टन "वेबी फूड" की मात्रा के अलावा, नीदरलैण्ड सरकार ने दुग्ध चूर्ण और "बेबी फूड" की और सप्लाई के लिये 10 लाख डालर का एक दान दिया है । इस दान से अब तक हमें अनुमानत; 1932 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण और लगभग 30 मीटरी टन "बेबी फूड" प्राप्त हुआ है ।

(ग) नीदरलैण्ड से प्राप्त दुग्ध चूर्ण । "बेबी फूड" को किसी विशिष्ट क्षेत्र को देना निश्चित नहीं किया गया है बल्कि अन्य देशों से प्राप्त इसी प्रकार के उपहार प्रेषणों के साथ यह भी भारत में कमी के प्रभावित विभिन्न राज्यों को नियत किया गया है ।

एयर इंडिया का मैडिकल क्लीनिक, बम्बई

2970. **श्री रामसेवक यादव** : **श्री मधु लिमये** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया इन्टरनेशनल के चेयरमैन को एयर इंडिया के शांताकुंज बम्बई स्थित मैडिकल क्लीनिक में भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा अपव्यय के बारे में कोई पत्र / सूचना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 23 जनवरी, 1966 के इंडियन आवजर्वर, दिल्ली में छपे समाचार की ओर भी दिलाया गया है ;

(ङ) यदि उसमें दिया हुआ समाचार गलत है, तो क्या उक्त पत्रिका के विरुद्ध अभियोग चलाया गया है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : **(क) से (च)**: कारपोरेशन को दिनांक 1 मार्च 1966 का एक पत्र, जिसमें 'अब्दुल जान' के हस्ताक्षर थे और जो एयर इंडिया के चेयरमैन के नाम था, 8 मार्च 1966 को मिला जिसके साथ 28 जनवरी,

1966 के "इंडियन आबजर्वर" (23-1-1966 का नहीं जैसा कि प्रश्न के भाग (घ) में उल्लिखित है) से लिया गया एक उद्धरण था और जिसमें मैडिकल अफसरों में से एक के विरुद्ध, और मैडिकल क्लीनिक में अपव्यय तथा भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये थे। इंडियन आबजर्वर में स्वयं एयर इंडिया का कोई जिक्र नहीं था लेकिन उसमें केवल 'एक प्रसिद्ध एयरलाइन के एक मैडिकल अफसर' का उल्लेख किया गया था। फिर भी, इस बात का निश्चय करने के लिए कि पत्र में लगाया गया आरोप एयर-इंडिया के बारे में नहीं था, कारपोरेशन ने सावधानी से कुछ पूछताछ की थी और पता लगाया कि आरोप निराधार था। सामान्य तौर से मैडिकल क्लीनिक में अपव्यय और भ्रष्टाचार का कोई मामला कारपोरेशन की निगाह में नहीं आया है।

केरल पंचायत कर्मचारी संस्था

2971. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल पंचायत कर्मचारी संस्था ने वेतन आदि बढ़ाने की मांग के सम्बन्ध में केरल सरकार को कोई ज्ञापन दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) **और** (ख) केरल सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में सहकारी भंडार

2972. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष में राज्य में सहकारी भंडार खोलने के लिये केन्द्रीय सरकार से कुछ धन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी धन राशि स्वीकृत की जा चुकी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार की अब तक 1.375 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में और 0.275 लाख रुपए अनुदान के रूप में मंजूर किए गए हैं।

पैकेज प्रोग्राम योजना

2973. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री उन क्षेत्रों के नाम बताने की कृपा करेंगे कि जिसमें पैकेज प्रोग्राम योजना को अब तक लागू किया जा चुका है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : सघन कृषि जिला कार्यक्रम (पैकेज प्रोग्राम) 16 चुने हुए जिलों (प्रत्येक राज्य में एक, सिवाय केरल के जहां दो जिलों में शुरू किया गया है) में चालू है। चुने हुये जिलों के नाम निम्नलिखित हैं :—

राज्य	चुने हुए जिले
1. आन्ध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी
2. बिहार	शाहाबाद
3. मध्य प्रदेश	रायपुर
4. मद्रास	थन्दावर
5. पंजाब	लुधियाना
6. राजस्थान	पाली
7. उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
8. आसाम	कच्चर
9. गुजरात	सूरत
10. जम्मू और काश्मीर	6 खण्ड-3 जम्मू तथा 3 अनन्तनाग जिलों में
11. केरल	एल्लीपे तथा पलघाट
12. महाराष्ट्र	भण्डारा
13. मैसूर	माण्डया
14. उड़ीसा	सम्बलपुर
15. पश्चिम बंगाल	बर्दवान

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी नए जिले में इस पैकेज कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं है। फिर भी यह मौजूदा जिलों में जारी रहेगा।

त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनायें

2974. **श्री बीरेन दत्त :** **श्री दशरथ देव :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में त्रिपुरा में छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई थी ;

(ख) इन योजनाओं की क्रियान्विति के फलस्वरूप कितनी भूमि की सिंचाई की गई ; और

(ग) क्या परिणाम सन्तोषजनक रहा है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) 18.65 लाख रुपये ।

(ख) सिंचित क्षेत्र 4,300 एकड़ है परन्तु वास्तव में 8,000 एकड़ भूमि को लाभ पहुंचता है ।

(ग) जी हां ।

त्रिपुरा में शीतागार (कोल्डस्टोरेज) केन्द्र

2975. **श्री बीरेन दत्त :**
श्री दशरथ देव :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के उत्तरीय और दक्षिणीय भागों में शीतागार केन्द्र स्थापित किये जाने की बार-बार मांग की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार 1966-67 में ऐसे कितने शीतागार केन्द्र स्थापित करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) इस विषय पर त्रिपुरा सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

जहाज डिज़ाइन केन्द्र

2976. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहाज डिजाइन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

केरल पर्यटन निगम

2977. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल पर्यटन निगम में लोगों की भर्ती करने के बारे में कोई नियम बनाये गये हैं ;

(ख) भर्ती करने के मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ; और

(ग) क्या प्रबन्धकों के कोई पद अब तक घोषित किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) केरल पर्यटक और हस्तशिल्प निगम केरल सरकार द्वारा स्थापित सरकारी संस्थान है। अतः इस निगम में कर्मचारियों की भरती करने के मामले में नियमों और पद्धति के बनाने में केरल सरकार का सीधा दायित्व है। भारत सरकार को केरल पर्यटक और हस्तशिल्प निगम के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये पदों के विज्ञापित किये जाने के बारे में कोई सूचना नहीं है। फिर भी राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

त्रिवेन्द्रम तथा मंगलौर हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने की व्यवस्था

2978. **अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम तथा मंगलौर हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने के लिये सुविधाएं प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं की व्यवस्था कब की जायेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) त्रिवेन्द्रम और मंगलौर हवाई अड्डों पर रात्रि में विमानों के उतरने की सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के चारों ओर बहुत सी रुकावटों के कारण उस हवाई अड्डे पर नियमित अनुसूचित विमान सेवाओं के लिये रात्रि में उड़ान करने की अनुमति नहीं है। इन इमारतों पर रुकावट रोशनियां लगाने का प्रस्ताव है। इसके बाद त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर रात्रि में उड़ान करने की अनुमति दे दी जायेगी।

कालीकट के लिये विमान सेवा

2979. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'हिन्दू' मद्रास ने कोई आवेदनपत्र दिया है कि उन्हें केरल में कालीकट के लिये दैनिक विमान सेवा चालू करने की अनुमति दी जाये ;

(ख) क्या ग्वालियर रेयन्स उनको चेलारी के हवाई अड्डे का प्रयोग करने देने के लिये सहमत हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है,

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों की बसें

2980. **श्री वाडीवा** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 5 मार्च, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 490 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के स्कूलों की बसों की जांच की गई है,

(ख) यदि हां, तो यातायात अधिकारियों द्वारा उनमें से कितनी बसों को रद्द कर दिया गया है, और

(ग) क्या इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिशों की पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 1 जनवरी, 1966 से 1 जुलाई, 1966 तक परिवहन विभाग दिल्ली के निरीक्षक मंडल ने 45 स्कूल बसों की जांच की थी ।

(ख) मंडल ने 28 बसों को रद्द कर दिया ।

(ग) केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था के श्री टी० एस० खन्ना द्वारा की गई सिफारिशों को, केवल उनके जिन पर किसी कार्यवाही की जरूरत नहीं समझी गई या जो व्यवहारयोग्य नहीं थी, कार्यान्वित कर दिया गया है । यह 18 फरवरी, 1964 को लोक सभा पटल पर प्रस्तुत विवरण में सूचित किया जा चुका है ।

भोजन की आदतें

2981. **श्री राम हरख यादव** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों की भोजन की आदतों में परिवर्तन करके उन्हें अनाज के अतिरिक्त अन्य प्रकार का भोजन करने की आदत डालने के लिये खाद्य पदार्थों के पौष्टिक आहार तत्वों का अध्ययन करने के हेतु कोई विशेषज्ञ संस्था स्थापित की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस संस्था का ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके अधिकार और कृत्य क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० गोविन्द मैनन) : (क) भारत सरकार ने ऐसी कोई एसोसियेशन स्थापित नहीं की है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश को पम्पिंग सेट का दिया जाना

2982. **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने हाल में केन्द्रीय सरकार से कोई प्रार्थना की है कि उस राज्य की पम्पिंग सेट दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितने सेट मांगे हैं ; और

(ग) इस सम्बंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ख) मध्य प्रदेश सरकार से कोई ऐसी प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है लेकिन

राज्य सरकार ने अनुमान लगाया है कि 1966-67 में उन्हें लगभग विद्युत 6063 तथा 2533 डीजल पम्पिंग सैटों की आवश्यकता होगी। राज्य सरकार को पहले ही सलाह दी गई है कि वह अपनी जरूरतें देशीय निर्माताओं से पूरी करें।

Package Programme in Madhya Pradesh

2983. Shri Lakhmu Bhawani: Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the places where the work under 'Package Programme' is in progress in Madhya Pradesh at present; and

(b) the special features thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) The Intensive Agricultural District Programme popularly known as 'Package Programme', is currently in operation in Raipur district of Madhya Pradesh. All the 23 blocks and 3855 villages of this district are now covered under this programme.

(b) The Intensive Agricultural District Programme, which is in operation in 16 selected districts in the country (one district in each State, except in Kerala where two districts have been taken up) was initiated to demonstrate the potentialities of stepping up food production rapidly through a multi-pronged, concentrated and coordinated approach to agricultural development in areas which have assured irrigation facilities and are responsive to intensive production efforts. The special features of the programme are:—

(i) Development and adoption of a "package of improved agricultural practices" for each important crop based on the latest research findings;

(ii) Assistance to each participating cultivator to develop "Farm Production Plans" which provide information on resources that he has, the present land use and cropping system, improved practices to be adopted by him, assessment of the various inputs like seeds, fertilisers, pesticides, etc. needed by him and those to be made available through the cooperative and other sources and the credit which would be necessary to procure the needed supplies and the expected net returns;

(iii) Adequate and timely supply of credit based on the production plans and made available through strengthened cooperative societies or other sources;

(iv) Adequate and timely supply of production requisites, such as fertilisers, pesticides, implements etc. to be channelled mainly through cooperatives;

(v) Arrangements for marketing and other services through cooperatives so as to enable the cultivators to obtain full market price for their marketable surplus;

(vi) Adequate storage facilities for supplies, such as seeds, fertilisers, implements and pesticides for the farm produce., so that the cultivators do not have to travel long distances to procure supplies and market their produce;

(vii) Intensive educational efforts, particularly through scientific demonstrations, for dissemination of improved agricultural practices, through trained staff who will also be concerned with the operation and "follow-up" of production plans. An Information Unit has been set up in each district to undertake intensive educat ional programmes.

(viii) Strengthening of transport arrangements to ensure mobility of supplies and staff;

(ix) Analysis and evaluation of the programme from its initation to its completion;

(x) Establishment of an agricultural implements workshops and soil testing laboratory in each selected district.

मध्य प्रदेश में चावल की मिलें

2984. **श्री लखमू भवानी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में चावल की कितनी मिल हैं और वे किस-किस स्थान पर हैं और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में चावल की कितनी मिलें खोली जायेंगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

काजू के रस से ब्रांडी बनाना

2985. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में काजू के रस से ब्रांडी बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) इस समय केरल राज्य में काजू के रस से ब्रांडी तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

Shortage of Agricultural Credit

2986. **Shrimati Savitri Nigam:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state the names of the States which have complained of the shortage of agricultural credit and have asked for providing facilities of short and medium term loans through the banks during the last six months?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): No such complaint or proposal has been received from any State. In addition to usual credit limits provided by the Reserve Bank of India to cooperative banks for financing agricultural operations, special credit limits have been made available this year by the Reserve Bank for meeting the credit requirements of the programme of high yielding varieties of foodgrains.

-Veterinary Hospitals in Delhi

2987. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Raghunath Singh:**
Shri Rameshwaranand :

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government is opening fourteen veterinary hospitals in Delhi;

(b) if so, when these will be opened and the amount to be spent on them;

(c) whether some foreign doctors are to be appointed in these hospitals; and

(d) the number of such hospitals already functioning in Delhi?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) No.

(b) & (c) Question does not arise.

(d) 23 Veterinary hospitals are already functioning in Delhi.

केरल के लिये स्विट्जरलैंड सरकार से सहायता

2988. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्विट्जरलैंड की सरकार केरल राज्य में एक कृषि विकास परियोजना के लिये तकनीकी सहायता देने के लिये 21.3 लाख स्विस फ्रैंक देने के लिये सहमत हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) समझौते का विस्तृत ब्यौरा प्रदर्शित करने वाली एक टिप्पणी संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी०-6858/66]

अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी नौवहन समिति

2989. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4799 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी नौवहन समिति की उप-समिति की सिफारिशों पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) नौवहन समिति द्वारा स्वीकृत उप-समिति की सिफारिशों की जांच की गई थी तथा सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

कृषि विश्वविद्यालय पन्त नगर, नैनीताल को केन्द्रीय सहायता

2990. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में कृषि विश्वविद्यालय, पन्त नगर नैनीताल को कैसी और कितनी सहायता दी गई है ; और

(ख) क्या उक्त अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा यह धन राशि पूरी खर्च की गई थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **तथा** (ख) 1965-66 के दौरान उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंत नगर के कुछ अध्यापकों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सिफारिश किये गये वेतन मानों को अपनाने पर जो अतिरिक्त खर्च हुआ उसके लिये भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को अपने भाग के रूप में 13,613 रुपये की राशि दी। 1964-65 और 1965-66 के दौरान हुए वास्तविक अतिरिक्त खर्च के मुकाबले अनुदान दिया गया था और इस प्रकार उसका पूरा उपयोग हुआ।

चम्बल घाटी में मन लगाना

2991. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चम्बल घाटी में बन लगाने की योजना का काम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) चम्बल घाटी में वन लगाने की कोई केंद्रीय योजना नहीं है। भूमि संरक्षण योजनाएं जिनमें वन रोपण तथा सम्बंधित उपाय शामिल हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी सम्बंधित राज्य सरकारों द्वारा अपनी विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत चम्बल घाटी के जलग्रहों तथा कंदराओं में शुरू कर दी गई हैं। राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार चम्बल घाटी में वनरोपण तथा चरागाह विकास की स्थिति निम्न प्रकार हैं :—

राजस्थान 34,500 एकड़ के तीसरी योजना के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि लगभग 49,000 एकड़ की थी।

मध्य प्रदेश 27200 एकड़ के तीसरी योजना के लक्ष्य के मुकाबले उपलब्धि लगभग 19650 एकड़ की थी।

उत्तर प्रदेश चम्बल का बायां किनारा उत्तर प्रदेश में आता है जहाँ कन्दराओं का वन-रोपण / सुधार प्लान स्कीम के अंतर्गत कंदराओं में वनरोपण किया जा रहा है।

(ख) मध्य प्रदेश में जो कमी रही उसका मुख्य कारण पर्याप्त धन की कमी थी।

गांवों के स्कूलों में उद्यान क्लब

2992. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि गांवों के स्कूलों से सामान्यतः सम्बद्ध भूमि में

सब्जियों की खेती करने के प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में प्रयोग करने के लिये उसमें उद्यान क्लब स्थापित किये जायें ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : **(क) और (ख)** इस प्रकार के उद्यान क्लबों के बारे में कोई विशिष्ट सुझाव नहीं दिया गया है। तथापि व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अंग के रूप में चुने हुए गांव के स्कूलों में फल तथा सब्जी के उद्यानों का विकास इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि स्कूल के बच्चों द्वारा फल तथा सब्जियों का उत्पादन तथा उपभोग करवाकर पोषाहार सम्बन्धी शिक्षा दी जाए।

केरल में मत्स्य पालन निगम की स्थापना

2993. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री वासुदेवन नायर :**

श्री मे० क० कुमारन :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मत्स्य पालन निगम की स्थापना के विरुद्ध केरल के मत्स्य उद्योग से कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का स्वरूप क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां। कुछ अभ्यावेदन मिले थे।

(ख) ये अभ्यावेदन मुख्यतया निगम के निर्यात व्यापार को हाथ में लेने के विरोध में थे। यह आशंका व्यक्त की गई थी कि समुद्री केकड़ा-निर्यात व्यापार के हितों को हानि पहुंचेगी। मत्स्य-पालन सहकारी समितियों पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका व्यक्त की गई ।

(ग) अभ्यावेदनों पर सावधानी से विचार किया गया। यह अनुभव किया गया कि निगम आधुनिक उपकरण प्रयोग करके और निर्यातों की किस्म को बेहतर करके मछली उद्योग के हितों को लाभ पहुंचाएगा। जहाँ तक सहकारी समितियों का सम्बन्ध है निगम का महत्वपूर्ण उद्देश्य मत्स्य-पालन सहकारी समितियों की सहायता करना है और इस सम्बन्ध में कुछ उपाय पहले ही निगम द्वारा कर दिये गये हैं। अत: निगम की स्थापना को राज्य में मत्स्य-पालन के विकास के लिये लाभदायक समझा गया है।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर पुल

2994. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**

श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर जिन पुलों को बनाने का विचार था, क्या उनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : तीसरी योजना काल में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 पर प्रस्तावित बनाये जाने वाले प्रत्येक 10 लाख रुपये से अधिक की लागत के तीन पुलों में से दो पूरे किये जा चुके हैं और पश्चिम बंगाल में रूपनारायण के शेष पुल का निर्माण प्रगति पर है। इस पुल के मार्च 1967 तक पूरा हो जाने की आशा है। इस पुल में देरी का कारण कुयें बैठाने में कठिनाइयों का होना है।

Bills in Hindi

2995. **Shri M.L. Dwivedi:**
Shri Subodh Hansda:
Shri S.C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri Sidheswar Prasad:
Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Kashi Ram Gupta:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) When the Hindi Bills will also be introduced in Parliament accompaied by a translation of the same in English;

(b) the decision taken by Government regarding the passing of Bills in both the languages so that the Hindi Bills may also be recognised as authentic Acts when passed; and

(c) the reasons for the delay in this respect?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman): (a) (c) Bills in Hindi could be introduced in Parliament only after Parliament, in conformity with the provisions of article 348 of the Constitution, enact a law in this regard. However, every attempt is being made, in consultation with the Official Language (Legislative) Commission, to bring into force sub-section (2) of section 5 of the Official Language Act, 1963, as quicky as possible. The main difficulty in this regard is that the Official Language (Legislative) Commission is hard pressed for time. Even as it is, every original Bill other then a Top Secret or very urgent one is accompanied by a Hindi translation thereof, although such translation may not strictly speaking be regarded as an authorised one within the meaning of the said sub-section (2).

Use of Powdered Milk by D.M.S.

2996. **Shri Sidheshwar Prasad:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Delhi Milk Scheme has been using more powdered milk in large quantity for the last four months

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to procure fresh milk in larger quantity?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Coopn. (Shri Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Procurement of milk during summer is reduced to about 50 to 60% of winter procurement due to natural causes, and use of skimmed milk powder is required for maintaining distribution at steady level of commitment.

(c) A statement is attached.

[Placed in Library see No LT-6859/66]

Development of Subsidiary Foodstuffs

2997. Shri Sidheshwar Prasad: Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the names of States and also the schemes formulated by them for the financial year 1966-67 for the development of subsidiary foodstuffs;

(b) the precentage of increase in their production over the previous year; and

(c) the steps taken to ensure that subsidiary foodstuffs remain within the purchasing power of the common people?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) A statement showing the names of the States and the schemes formulated by them relating to the development of the major Subsidiary Foodstuffs during the financial year 1966-67 is attached.

[Placed in Library. See No LT-6860/66]

(b) The estimates of production for the year 1966-67 are not available. It is, therefore, not possible to indicate the percentage of increase over the previous year.

(c) The measures for increase in the production and improvement in conservation, transportation and marketing facilities, are expected to assist in keeping the prices at reasonable level.

Major Aerodromes

2998. Shri Sidheshwar Prasad: Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state the steps taken to modernise the major aerodromes in the country and also to link direct the Capitals of various States with the Union Capital by air?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): All the major aerodromes under the control of the Civil Aviation Department are equipped with essential facilities, conforming to the requirements of the International Civil Aviation Organisation (ICAO). Modernisation of an aerodrome is, however, a continuing process. In this regard development works and provision of facilities at aerodromes are undertaken according to operational necessity and availablity of funds.

The capitals of all the States are connected with Delhi by air excepting the capitals of Assam (Shillong), Punjab (Chandigarh) and Nagaland (Kohima). Traffic to and from Shillong is carried through Gauhati. Chandigarh was connected by air until recently but the service has had to be discontinued as the Chandigarh aerodrome is not available for civil operations at present.

Tourist Centres in Bihar

2999. Shri Sidheshwar Prasad: **Shri Rishang Keishing:**

Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to develop some tourist centres in Bihar during 1966-67 ; and

(b) if so, the particulars thereof?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) & (b) In the Annual Plan of Tourism for 1966-67 of the Government of Bihar the following provision has been included:—

	(Rs. in lakhs)
(i) Construction of a Tourist Shala at Rajgir (State Govt.'s share only)	0.50
(ii) Construction of a Tourist Rest House at Netarhat.	0.25
(iii) Construction of a Tourist Reception Centre at Raxual	0.25
(iv) Construction of an Information Centre-cum Cafeteria at Bodhgaya	0.30
(v) Establishment of Tourist Information Centres at selected places.	0.50
(vi) Strengthening of the staff-including training and management.	0.50
(vii) Transport facilities	0.50
(viii) Tourist publicity	0.45
Total:—	3.25

In the Annual Plan for 1966-67 of the Department of Tourism a provision has been made for the following schemes:—

(i) Construction of a Tourist Shala at Rajgir (Central Govt.'s share only)	0.25
(ii) Development of facilities for tourists in Patna-Rajgir-Bodhgaya-Nalanda belt.	0.50
Total:—	0.75

Bridge over the Ganges at Patna

3000. **Shri Righang Keishing:**
Shri Braj Bihari Mehrotra:
Shri Sidheshwar Prasad:
Shri Shree Narayan Das:
Shri K.N. Tiwary:
Shrimati Ramdulari Sinha:
Shri Ram Harkh Yadav:
Shri Raghunath Singh:

Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Central Government have agreed to give substantial aid to the Bihar Government for constructing a bridge over the Ganges at Patna;

(b) if so, the total amount of aid to be given by Centre for this project; and

(c) the cost involved in the construction of this bridge and when it is expected to be ready?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c) No project for Central financial assistance for the construction of the proposed road bridge over the Ganga at Patna has been received from the State

Government so far. The Bihar Government are at present getting river model tests carried out at Research Stations for the selection of a suitable site for the proposed bridge. The cost of the project can be known only after an estimate based on the studies already in progress has been framed. The completion of the project is likely to take five years from the commencement of the actual construction work.

राष्ट्रमंडलीय अपील न्यायालय

3001. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन में हुए राष्ट्रमण्डलीय विधि मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में राष्ट्रमण्लीय अपील न्यायालय की स्थापना के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उस बारे में सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : भारत ने इस बात पर आक्षेप किया कि राष्ट्रमण्डलीय अपील न्यायालय सम्बन्धी विषय को लन्दन सम्मेलन की कार्यसूची में रखा जाएं । कैनबरा में हुए पूर्वतर सम्मेलन में, भारत ने सरकार के अनुदेशों के अनुसार, इस प्रस्थापना का विरोध किया था । राष्ट्रमण्डल के अधिकांश देशों ने भारत के पक्ष का समर्थन किया । इसके परिणामस्वरूप, इस विषय को लन्दन सम्मेलन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, किन्तु ऐसे न्यायालय को स्थापित करने में हितबद्ध कुछ देशों द्वारा इस पर सम्मेलन के बाहर अप्ररूपिक तौर पर विचार-विमर्श किया गया । भारत ने इस अप्ररूपिक विचार-विमर्श में भाग नहीं लिया ।

दिल्ली में मुर्गी-दाने की अत्याधिक कमी

3002. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में मुर्गियों के लिए दाने की अत्याधिक कमी है ; और

(ख) क्या इस दाने को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए हाल में प्रयत्न किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी नहीं । परन्तु हाल ही में इसका मूल्य बहुत ऊंचा था ।

(ख) जी हां । दिल्ली में उचित मूल्य पर मुर्गी-दाने की उपलब्धि के लिए सरकारी सहायता से सहकारी क्षेत्र में एक मुर्गी-दाना तैयार करने की मिल लगाई गई है और कन्ट्रोल मुल्यों पर सीरा तथा चावल-पालिश उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है । इसके अतिरिक्त विश्व खाद्य कार्यक्रम से प्राप्त होने वाली मक्का भी मिल को दी गई है ।

Certification of Seeds

3003. **Shri Bibhuti Mishra:** **Shri K.N. Tiwary:**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is fact that Government have accepted the advice of Shri J. E. Duglas, a specialist of U-S. A.I.D., that the work relating to the certification of seeds should be entrusted to the person who have no connection with production; and

(b) if so, the extent to which progress has been made in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra): (a) It is recognised by the Government that in order to ensure standards, certification of seeds should be the responsibility of an independent agency. Dr. Johnson E. Douglas has expressed similar opinion.

(b) A Seed Bill has already been introduced in the Parliament to provide for regulating the quality of certain seeds for sale and for matters connected therewith. The Bill seeks to achieve this object by fixing minimunm standards for germination, purity and other quality factors, creation of seed inspection and certification services grant of licences and certificates to dealers in seeds, etc. The Bill has already been passed by the Rajya Sabha and is now before the Lok Sabha, where it has been referred to a Select Committee.

Pending the enactment of this Bill, the National Seeds Corporation, a Government of India Undertaking, has been entrusted with the responsibility of certifying the seeds of the hybrid varieties of jowar, bajra and maize.

खाद्य तेलों पर मूल्य नियंत्रण

3004. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य तेलों पर फिर से मूल्य नियंत्रण लागू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या फिर से मूल्य नियंत्रण लागू किये जाने के विरोध में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उनका आधार क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) खाद्य तेलों जिसमें वनस्पति शामिल है पर फिर से मूल्य नियन्त्रण लागू करने का कोई प्रस्ताव इस समय भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

अनाज के मूल्यों में वृद्धि

3005. **श्री श्रीनारायण दास :** **श्री कृ० चं० पन्त :**

श्रीमती जयावेन शाह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कुछ बड़े-बड़े शहरों में मुख्य अनाजों के मूल्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) गत वर्ष के मूल्यों की तुलना में ये मूल्य कैसे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में कुछ महत्वपूर्ण केन्द्रों पर अगस्त, 1966 के दूसरे सप्ताह में प्रमुख खाद्यान्नों के चल रहे थोक भावों की गत वर्ष की उसी अवधि के भावों के साथ तुलना बताने वाला एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6861/66]

राज्यों की समाहार योजनाएं

3006. **श्री मधु लिमये :** **श्री वारियर :**

श्री किशन पटनायक : **श्री दाजी :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री वासुदेवन नायर :**

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों की समाहार योजनाओं का कोई मूल्यांकन किया है,

(ख) 1965-66 में खरीफ और रबी की फसलों के लिये राज्यवार मूल्य लक्ष्य क्या निर्धारित किये गये थे और वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है, और

(ख) लक्ष्य प्राप्ति में कमी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां ।

(ख) खरीफ और रबी फसलों की अधिप्राप्ति के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । तथापि, चावल और गेहूं की वास्तविक अधिप्राप्ति बताने वाला एक विवरण संलग्न है

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-6862 / 66]

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमावर्ती सड़कों का विकास

3007. **श्री मधु लिमये :** **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री किशन पटनायक ;

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये सीमावर्ती राज्यों द्वारा अपने आय-व्ययकों में की गई धन की व्यवस्था के बारे में सरकार ने पुनर्विलोकन कर लिया है ;

(ख) चालू वर्ष में इस राज्यों के सीमावर्ती सड़कों के विकास कार्यक्रम के लिये सरकार का विचार कितना अंशदान देने का है ; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के फलस्वरूप कितनी प्रगति होने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) राज्य सरकारों द्वारा अपने बजटों में की गई व्यवस्था संबद्ध राज्य सरकार का काम है और आवश्यकता पड़ने पर वे उसे पुनरीक्षित करते हैं। भारत सरकार इनका पुनरीक्षण नहीं करती है। संभवत : सीमान्त संड़क विकास मंडल द्वारा सीमान्त सड़कों के निर्माण के संबंध में सूचना अपेक्षित है। राज्यों में सीमान्त सड़कों के लिये राज्यों को सहायता अनुदान के लिये मंडल के चालू वर्ष के बजट में 10.30 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इस व्यवस्था का पुनरीक्षण प्रगति पर है। बजट व्यवस्था के परिणामस्वरूप सड़कों की ठीक मील दूरी के सुधार का निर्धारण करना शक्य नहीं है। जो योजना प्रयोजनों के लिये, इस वर्ष मंडल निम्न लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है।

नवीन निर्माण	लगभग 500 मील
सुधार	ठीक निर्धारण करना संभव नहीं है।
ऊपरी स्तर ठीक करना	लगभग 800 मील

1966 की खरीफ की फसल

3008. **श्री मधु लिमये** : **डा० राम मनोहर लोहिया** :

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966 में खरीफ की फसल में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में गहन स्तर पर और कुछ सीमा तक अधिक क्षेत्र में उर्वरकों, बढ़िया बीज और सिंचाई के प्रयोग के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां। वर्त्तमान खरीफ के मौसम में कुछ चुने हुए क्षेत्रों में धान, गेहूँ, ज्वार बाजरे व मक्का की ऐसी संकर किस्मों के अधिक उत्पादनशील तथा नई विकसित किस्मों की सघन खेती के लिए जो उर्वरकों के अधिक उपयोग से अच्छी तरह से फलती-फूलती हैं, एक विशेष कार्यक्रम शुरु किया है। इस कार्यक्रम को अधिक उत्पादनशील किस्मों का कार्यक्रम कहा जाता है। इस चुने हुए क्षेत्रों में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था मौजूद है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों को बीजों, उर्वरकों तथा कीटनाशक औषधियों की सामयिक तथा उपयुक्त सप्लाई के लिए

प्रबन्ध किये गये है। अन्य क्षेत्रों में सामान्य कृषि उत्पादन कार्यक्रम और तीव्र गति से जारी रखे जा रहे हैं।

(ख) अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि धान, गेहूँ ज्वार, बाजरे तथा मक्का की उन नई विकसित किस्मों के प्रयोग द्वारा, जिनके लिए उर्वरकों का अधिक प्रयोग लाभप्रद सिद्ध होता है, कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित किस्में शामिल हैं। ताईचुंग नेटिव-1, ताईचुंग-65 ताईनान-3 तथा धान के लिए एडीटी 27, गेहूँ के लिए मैक्सिकन किस्में सोनारा 64 तथा लरमा राजो और मक्का, ज्वार बाजरे की संकर किस्में। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 325 लाख एकड़ भूमि में बुवाई की जायेगी और अनुमान है कि इससे 255 लाख मीटरी टन अधिक अन्न प्राप्त होगा। जहां तक 1966-67 का सम्बन्ध है आशा है खरीफ के मौसम में लगभग 21.0 लाख एकड़ तथा रबी के मौसम में लगभग 37.5 लाख एकड़ भूमि में बुवाई की जायेगी। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस बात का प्रबन्ध कर दिया गया है कि कृषकों को बीज, उर्वरक तथा कीटनाशक औषधियां आदि आदान समय पर मिल जायें। राज्य सरकारें भी क्षेत्र विस्तार स्टाफ को सुदृढ़ कर रही हैं और जिले तथा खण्ड स्तरों पर और नियुक्तियां की जा रही हैं जिससे कि कृषकों को सधन तकनीकी मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इससे कृषकों को उन्नत तकनीकें अपनाने में सुविधा मिलेगी और कृषि कार्यों पर कड़ी नज़र रखी जा सकेगी।

प्रशिक्षण-विमान का मानकीकरण

3009. **श्री बागड़ी :** **श्री मौर्य :**

डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री राम सेवक यादव :**

श्री किशन पटनायक : **श्री मधु लिमये :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री प्रशिक्षण विमान के बारे में 26 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4398 के उत्तर के संबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइंग क्लबों तथा भारतीय वायुसेना द्वारा प्रशिक्षणार्थ प्रयोग किये जाने के लिये एक विमान का मानकीकरण करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें देरी होने के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं।

(ख) वायु सेना तथा फ्लाइंग क्लबों की जरूरतें पूरी तरह से एक जैसी नहीं हैं। इसलिए ऐसे डिजाइन के विकास के प्रश्न की, जो दोनों की जरूरतों को पूरा करेगा, विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जांच तथा अध्ययन किया जाना आवश्यक है। यह रक्षा मन्त्रालय के साथ विचार विमर्श करते हुए किया जा रहा है और यह इस समय निर्माण की अवस्था में है।

पंचायती राज प्रणाली

3010. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 15 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 558 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पंचायती राज प्रणाली लागू करने के मामले में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अन्य राज्यों को पंचायती राज प्रणाली लागू करने की नीति अपनाने के लिये प्रेरित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) 15 मार्च, 1966 को उत्तर दिए गए प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों में पंचायतीराज अभी लागू नहीं किया गया है ।

(ख) इसे लागू करने से सम्बन्धित कार्यक्रम को शीघ्र अंतिम रूप देने की आवश्यकता नागालैण्ड को छोड़कर सम्बन्धित राज्यों के ध्यान में लायी जा चुकी है ।

Relief to Famine Stricken Areas

3011. **Shri Hukum Chand Kachhaiya :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Rameshweranand :

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleasad to state :

(a) whether it is a fact that 1,04,300 persons are employed in Madhya Pradesh for providing relief and for distribution of maize, wheat and gram pulse at the subsidised rate of 14, 5, and 21 paise per kilogram respectively to persons in famine stricken areas;

(b) whether in the famine stricken areas, 12 kilograms of wheat and milk powder is distributed free of cost;

(c) whether it is also a fact that this relief measure in the area was discontinued sometime ago as a result of which these persons had to go to other villages for their sustenance; and

(d) if so, the reasons for discontinuing this assistance by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) No, Sir. Staff on such a large scale has not been employed for providing relief to persons in the scarcity-affected areas. Only a few officers and clerks have been appointed to supervise the works and to maintain accounts, etc. in districts where the work is heavy. The Relief Works are managed Primarily by the existing staff in the affected districts.

No maize or wheat or gram pulse are distributed at subsidized rates in these areas.

(b) No, Sir. Foodgrains are sold to the people at fair price shops. However, wheat and wheat-flour are being distributed amongst the infirm and the old persons (who are not able to go to relief works) as gratuitous relief at tha rate of 3 kgs. per person per week. Milk is being distributed free to children belcw 14 years of age

at the rate of 30 grams per child per day and to expectant and nursing mothers at the rate of 45 grams per person per day.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

मुकदमों में निर्धन लोगों को सहायता

3012. **श्री प्र० र० चक्रवर्ती :** **श्री हुं० लिंग रेड्डी :**

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों को दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों में मुफ्त सहायता देने का प्रबन्ध किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) गरीबों को विधिक सहायता देने सम्बन्धी विषय के प्रशास का उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों सहित, गरीबों को विधिक सहायता देने सम्बन्धी स्कीमें, जहां तक हमें ज्ञात है, आठ राज्यों और चार संघ राज्य-क्षेत्रों द्वारा विरचित कर ली गई है ।

I. A. C. Dakota Damaged at Kathmandu Airport

3013. Shri Kindar Lal : **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping And Tourism** be pleased to refer to the reply given to Un-starred Question No. 3569 on the 12th April, 1966 and state :

(a) whether the enquiry into the causes of the accident leading to the damage of an I. A. C. Dakota at Kathmandu airport on the 9th March, 1966 has since been completed; and

(b) if so, the result thereof ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Yes, Sir

(b) The investigation has established that the aircraft bounced during landing at Kathmandu and subsequently touched-down in a nose-down attitude, with the result that the propellers contacted the runway surface and sustained minor damage.

तलाक प्राप्त महिलाओं के लिये निर्वाह भत्ता

3014. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सच है कि तलाक प्राप्त महिलाओं को जिन्होंने शादी न करने का निश्चय कर लिया हो, अपने पतियों से निर्वाह भत्ता प्राप्त करने में कठिनाई होती है और कभी-कभी कई वर्षों तक उनको कुछ भी नहीं मिलता है जो कि सम्बन्धित अधिनियमों और विधियों के अधीन मिलना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) इस मन्त्रालय को इस बाबत कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

3015. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के मुख्यालय में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति पर लेखा परीक्षकों ने कोई आपत्ति की है ;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, यह आपत्ति केवल मन्त्रालयिक पदों के सम्बन्ध में थी । गैर-सरकारी तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिये उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की ।

(ख) **तथा** (ग) लेखा परीक्षक को सूचित कर दिया गया था कि यद्यपि मुख्यालय में परिषद् का सचिवालय देना भारत सरकार का दायित्व है तथापि गैर-सरकारी तौर पर मन्त्रालयिक पदों पर नियुक्ति की गई थी ताकि अनुसन्धान तथा प्लान योजनाओं को जिनके लिये सरकार ने कोई स्टाफ नहीं दिया क्रियान्वित किया जा सके ।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति

3016. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में संविधान के अनुसार गैर-सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती ;

(ख) यदि हां, तो इस मुख्यालय में काफी संख्या में गैर-सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों ने कोई अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **और** (ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का संविधान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मुख्य कार्यालय में तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति पर कोई प्रतिबन्ध नहीं

लगाता । संविधान के अनुसार सचिवालय स्टाफ भारत सरकार द्वारा दिया जायेगा । मुख्य कार्यालय के मौजूदा गैर-सरकारी स्टाफ में तकनीकी स्टाफ व कुछ सचिवालय स्टाफ शामिल है जिसकी नियुक्ति प्लान स्कीमों के प्रशासकीय तथा लेखा सम्बन्धी कार्य की देखभाल के लिये की जाती है क्योंकि भारत सरकार ने इन योजनाओं के लिये किसी स्टाफ की व्यवस्था नहीं की हुई है ।

(ग) जी हां । सरकारी स्टाफ से 18-6-66 को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) सरकारी स्टाफ ने कहा है कि गैर-सरकारी और सचिवालय पदों का सृजन नहीं होना चाहिये था और यह कि उन पदों पर नियुक्ति । पदोन्नति करते समय उनके हितों की रक्षा होनी चाहिये ।

कृषि विभाग में वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की बैठक

3017. **श्री मौर्य :** **श्री बागड़ी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि विभाग में पिछले ढाई वर्ष से वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त परिषद के सदस्यों ने यह कहा है कि वे विरोधस्वरूप इसमें भाव नहीं लेंगे क्योंकि उनकी शिकायतों की सुनवाई नहीं होती ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं । वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् की पिछली बैठक 20-8-66 को हुई थी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

सड़क निर्माण कार्यों के लिये विदेशी सहायता

3018. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965-66 में देश में सड़क निर्माण कार्यों के लिये कितनी धनराशि की विदेशी सहायता प्राप्त हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : जून 1961 में कुछ सड़क कार्यों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से लगभग 28.5 करोड़ रुपये प्राप्त किये गये थे, जिसमें से वर्ष 1965-66 में 3.07 करोड़ रुपये प्रयोग लाये गये हैं ।

सड़क परिवहन का विकास

3019. **श्रीमती सावित्री निगम :** **श्री दलजीत सिंह :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सड़क परिवहन के विकास के सम्बन्ध में पंचवर्षीय योजनायें बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने ; और

(ग) उनकी क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) सड़क परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिये राज्य सरकारों के चतुर्थ योजना कार्यक्रम चतुर्थ योजना की प्रारूप रूपरेखा के सामंजस्य से बनाये जायेंगे जिसे योजना आयोग शीघ्र ही अन्तिमरूप दे देगा । इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये चतुर्थ योजना काल में विचार किया जायेगा ।

नौवहन टनभार

3020. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक की अवधि में नौवहन टनभार की कुल आवश्यकता का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ख) क्या उक्त अवधि में नौवहन टनभार को बढ़ाने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हाँ ।

(ख) चतुर्थ योजना में लगभग 200,000 जी० आर० टी० के पुराने टन भार के पुर्नस्थापन के अलावा, लगभग 1.5 मिलियन जी० आर० टी० के कुल योग का विचार किया जाता है । चतुर्थ योजना के अन्त में चालन में संपूर्ण टनभार लगभग 3 मिलियन जी० आर० टी० के होने की आशा है ।

Production of Compost

3021. **Shri Bhagwat Jha Azad :** **Shri S. C. Samanta :**

Shri M. L. Dwivedi : **Shri Subodh Hansda :**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any estimate of the compost produced in rural and urban areas during the Third Five Year Plan has been prepared; and

(b) whether the quantity of compost produced conforms to the targets fixed for the Third Five Years Plan period ;

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) :

(a) & **(b)** Estimates of rural and urban compost production during 1965-66 vis-a-vis the targets fixed for the Third Five Year Plan are indicated below :

	3rd Plan Target	1965-66 Anticipated Achievement
1. Rural Compost (Million tonnes)	150.4	123.6
2. Urban Compost (Million tonnes)	4.4	3.9

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान चालक और विमान-परिचारिका के बीच विवाद

3022. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग तीन महीने पहले विमान-चालक और विमान-परिचारिका के बीच विवाद के कारण लखनऊ जाने वाले एक विमान की उड़ान रद्द किये जाने के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उड़ान रद्द किये जाने के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि विमान-चालक को, जिसने विमान चलाने से इन्कार कर दिया था, केवल चेतावनी दी गई है जब कि विमान-परिचारिका को कठोर दण्ड दिया गया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) विमान-परिचारिका को उसके वेतन में दो स्टेजों तक की कटौती करने की सजा दी गई। विमान चालक को भविष्य में ऐसे मामलों से सावधान रहने के लिये चेतावनी पत्र जारी किया गया।

(ग) जी, नहीं। विमान चालक ने रवाना होने से इन्कार नहीं किया। उसके विरुद्ध आरोप यह था कि वह विमान को रवाना होने के स्थान से पार्किंग बे तक वापिस ले आया। विमान-परिचारिका ने कमान्डर और एरिया मैनेजर, दिल्ली दोनों की आज्ञा का पालन करने से इन्कार कर दिया।

भूमि का उपयोग

3023. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस भूमि का जहां भूसंरक्षण कार्य किया गया है, उपयोग करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) जिन राज्यों में यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है उनमें अब तक कुल कितने एकड़ भूमि का उपयोग किया गया है ; और

(ग) जिस भूमि का पहले से ही प्रयोग किया जा रहा है क्या उसके लिये सिंचाई की कोई व्यवस्था की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग) राज्य सरकारों / संघ क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Procurement and Levy from Farmers

3024. **Shri Bibhuti Mishra :** **Shri K. N. Tiwary :**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various State Governments have imposed procurement and levy on the farmers;

(b) whether it is also a fact that this yoar the agricultural production is less in comparison to production to the previous years;

(c) if so, whether it is also a fact that State Governments have issued directions to move the court against the farmers; and

(d) whether it is also a fact that the Central Government have advised the State Govrenments to adopt such ameasure ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Dommunity Development and Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) Yes, sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Contravention of the levy order renders a defaulter liable to prosecution even without any direction. However, in Bihar and West Bengal, directions were issued for moving against those who had defaulted in discharging levy obligations.

(d) No, Sir.

उत्तर बिहार में सड़कें

3025. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार के चम्पारन, मुजफ्फरपुर, सबरसा और पूर्णिया जिलों के उत्तरी क्षेत्रों में एक सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा है ; और

(ख) यदि हां तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को कहां तक मंजूर किया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) शायद माननीय सदस्य बिहार सरकार द्वारा हाल ही में भेजे गए उस प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत उस राज्य के उत्तरी सीमा से होकर चंपारन जिले में मैसालो-

तन से पूर्निया जिले के पोखाली तक एक सड़क निर्माण का विचार है। इस सड़क की मांग केन्द्रीय रक्षा मन्त्री से जुलाई, 1565 में उनके बिहार के दौरे के समय भी की गई थी। इस मामले की जांच की गई थी और राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि भारत सरकार पहले ही बरेली से अमीन गाँव तक एक मुख्य सड़क का विकास कर रही है और इसमें उत्तरी बिहार का एक बड़ा क्षेत्र आ जाता है और इससे और उत्तर की ओर प्रस्तावित सड़क निर्माण के प्रश्न पर राज्य की सड़कों की सामान्य योजना के अंग के रूप में विचार किया जा सकता है।

मिलावट वाले गेहूँ की सप्लाई

3026. **श्री विभूति मिश्र :** **श्री दे० द० पुरी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र "इंडियन नेशन" में 29 मई, 1966 को "गेहूं में पत्थर की कंकड़िया" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपभोक्ताओं को दिये गये गेहूं में मिलावट के बारे में कोई जांच की गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) निर्दिष्ट समाचार में दिये गये आरोपों की छान-बीन की गयी है और यथा कथित, गेहूं की ऐसी किसी मिलावट का पता नहीं लगा।

Election Petitions

3027. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Bibhuti Mishra : **Shri Mohammed Koya :**

Will the **Minister of Law** be pleased to refer to reply given to Starred Question No. 295 on the 1st March, 1966 and state :

(a) whether Government have taken any steps so far for the early disposal of the election petitions which are still pending; and

(b) the nature of the scheme under thee onsideration of Government for the quick disposal of election petitions in future ?

The Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) The Election Commission keeps itself informed of the progress made by the Tribunals in each case by means of monthly progress reports from them. Whenever necessary, the Commission requests the members of the Tribunals to devote more time and expedite disposal and occasionally also seeks the assistance of the High Court concerned for the same purpose. The Election Commission specifically invites the attention of the Election Tribunals to the provisions of section 90 (6) of Represent-

ation of the People Act, 1951, which requires that endeavour shall be made to conclude the trial of election petitions within six months.

(b) The Government have decided to amend the election law and article 324 (1) of the Constitution to vest the trial of election petition in the High Court.

Research on Destruction of White Ants

3028. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether any research has been carried out to destroy white ants;

(b) if so, the result thereof and the total expenditure incurred thereon annually; and

(c) the extent of damage caused to crops by white ants every year and the basis on which this loss has been estimated ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : (a) Yes, research work on this line is being carried out at a number of Central Research Institutes as well as in some of the State Departments of Agriculture, on different agricultural crops like wheat, sugarcane, jute, cotton etc.

(b) Application of soil insecticides like Aldrin, Dieldrin, Chlordane, BHC, Heptachlor, Lindane etc. and mixtures of some of these in different proportions and doses has been found to give effective protection to different crops from the ravages of white ants.

Research on this aspect froms a part of the regular programmes of the various Central and State Agricultural Research Institutes and Agricultural Universities. It is, therefore, very difficult to apportion the annual cost of research on this individual item from the total expenditure on agricultural research.

(c) All the areas are not prone to white ant damage. The damage caused also varies, depending on the nature of the soils, it being more in loamy soils and dry tracts than in others. According to different research workers, losses caused to agricultural crops, fruit trees and plantations, by white ants, have been estimated to range from 5 to 33 per cent.

Rise in Prices of Foodgrains in Delhi

3029. **Shrimati Savitri Nigam**: Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as a consequence of devaluation the prices of foodgrains and other foodstuffs have gone up by 10 per cent in Khari Baoli and other markets of Delhi; and

(b) if so, the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) There has been no rise in prices, as a consequence of devaluation, of wheat, atta and rice which are rationed commodities. In regard to some other foodstuffs, there has, however, been some rise in the prices.

(b) Delhi Administration is keeping a constant watch over the market prices and necessary steps are being taken to keep the prices under check.

कलकत्ता के पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगे

3030. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ ने 1 जुलाई 1966 को कलकत्ता में हुई अपनी विशेष बैठक में कर्मचारियों का अपनी मांग मनवाने के लिये सीधी कार्यवाही करने के लिये आवाहन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगे क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) अखिल भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ की मुख्य मांगे बोनस का दिया जाना, पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों को बालकों की शिक्षा का भत्ता और ट्यूशन फीस का वापस दिया जाना, सेवा निवृत्ति के लाभों में सुधार, मंहगाई भत्ते में वृद्धि, कांडला में गोदी श्रम मंडल की स्थापना और कलकत्ता गोदी श्रम मंडल का पुनर्निर्माण से सम्बद्ध है ।

(ग) इन मांगों पर 19 और 20 जुलाई, 1966 को बैठकों में अखिल-भारतीय पत्तन तथा गोदी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया गया था और कुछ परिणामों पर भी पहुंचा गया था जिसके परिणामस्वरूप संघ सीधी कार्यवाही न करने को सहमत हो गया ।

आकाशवाणी से राजनीति विषयक प्रसारण

3031. **श्री काजरोलकर** : **श्रीमती विमला देवी** :

श्री विभूति मिश्र : **श्री राम हरख यादव** :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयुक्त ने यह प्रस्ताव रखा है कि आगामी साधारण निर्वाचनों के सम्बन्ध में आकाशवाणी से राजनीति विषयक प्रसारण करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सभी राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई जाये ,

(ख) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या फार्मूला तैयार किया है ; और

(ग) उस पर विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है ।

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां । 20 अगस्त, 1966 को एक मीटिंग हो चुकी है ।

(ख) और (ग) सरकार ने कोई फार्मूला प्रस्थापित नहीं किया है । मीटिंग के परिणाम के बारे में रिपोर्ट की, निर्वाचन आयोग से, प्रतीक्षा है ।

कनाडा से बेकरी उपकरण

3032. **श्री बसुमतारी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाडा ने कोलम्बो योजना के अंतर्गत भारत को तीन आधुनिक बेकरियों के उपकरण उपहार रूप में देने के लिये कहा है,

(ख) यदि हां, तो ये बेकरियां किन किन स्थानों पर लगाई जायेंगी, और

(ग) इन बेकारियों की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री(श्री पी० गोविन्द मैनन) : (क) से (ग) कनाडा सरकार से कोलम्बो योजना के अधीन उपहार रूप में भारत को तीन आधुनिक बेकरियाँ सप्लाई करने के लिये एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रत्येक यूनिट की क्षमता 400 ग्राम की 35,000 रोटियां प्रति दिन है। इन यूनिटों को चण्डीगढ़, हैदराबाद और कानपुर में लगाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

सहकारी समितियों के लिये बैंकों से ऋण

3033. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री दलजीत सिंह :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन राशियों के सम्बंध में, जो सहकारी समितियों को माल के बदले ऋण प्राप्त करने के लिये बैंकों जमा करनी पड़ती है गारंटी देने का निश्चय किया हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो सहकारी समितियों को वस्तुओं की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि यदि कोई हानि हुई तो वह उसके लिये, कुछेक अधिकतम सीमाओं के भीतर रहते हुए, चुने हुए बैंकों द्वारा थोक उपभोक्ता भण्डारों तथा उनके संघों को दिए गए सभी ऋणों के 25 प्रतिशत तक की गारंटी देगी।

(ख) मन्त्रालय में एक सम्भरण संगठन स्थापित किया गया है जो वाणिज्य मन्त्रालय के सिविल सप्लाई के आयुक्त के सहयोग से यह सुनिश्चत करेगा कि विनिर्माता तथा अन्य अभिकरण उपभोक्ता सहकारी समितियों को नियमित रूप से अत्यावश्यक वस्तुओं की अपेक्षित पूर्ति करें।

अमरीकी खाद्यान्नों का आयात मूल्य

3034. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीकी गेहूं को दो (माइलो) तथा अन्य खाद्यान्नों का प्रति क्विंटल (औसत) आयात मूल्य क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार राज्यों को दिये जाने वाले खाद्यान्नों का प्रति क्विंटल क्या मूल्य लेती है ;

(ग) यदि प्रति क्विंटल कोई राज सहायता दी जाती है तो कितनी ; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से प्रतिक्विंटल कितना मूल्य लेती है और विभिन्न राज्य सरकारें अपने उपभोक्ताओं से प्रति क्विंटल कितना मूल्य लेती हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० गोविन्द मैनन) : (क) से (ग) अमेरिका से आयात किये गये खाद्यान्नों की चालू इक्नामिक्स कीमत और केन्द्र द्वारा राज्यों से वसूल की जाने वाली कीमत तथा प्रतिक्विंटल उपदान की राशि निम्नप्रकार है :—

	प्रति क्विंटल इक्नामिक्स कीमत	केन्द्र ने राज्यों को जिस कीमत पर दिया	भारत सरकार द्वारा दी जाने वली उपदान की राशि
गेहूं	रु० 65.91	रु० 50.00	रु० 15.91
माइलो	रु० 52.94	रु० 33.00	रु० 19.94

चालू वित्तीय वर्ष में अमेरिका से अब तक चावल का आयात नहीं किया गया है।

(घ) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-6863/66]

Waterway to connect Arabian Sea and Bay of Bengal

3035. Shri Baswant: Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have formulated two schemes for connecting the Bay of Bengal with the Arabian Sea through a waterway;

(b) if so, the broad outlines of the two schemes; and

(c) the total estimated cost thereon?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) to (c) The Central Water and Power Commission has made a preliminary study of the following proposals of linking of important West-flowing rivers with East-flowing rivers:

(i) Linking the Narmada with the Ganga river via the Sone (a tributary of the Ganga).

(ii) Linking the Narmada with the Yamuna (a tributary of the Ganga) via th Ken (a tributary of the Yamuna).

(iii) Linking the Narmada with the Godavari via Wainganga (a tributary of the Godavari).

(iv) Linking the Tapi with the Godavari.

These preliminary studies regarding navigational potentiality of the rivers have taken into account the probable multi-purpose development of the rivers and the facilities likely to be created thereby. These studies have been based mainly on topo-sheets and such other data as were readily available.

The preliminary reports based on the above studies have been drawn up after considering the comments received from the respective State Governments. The costs of these proposals have not yet been estimated.

सोयाबीन के तेल का आयात

3036. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन के तेल पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाये जाने के विरुद्ध वनस्पति उत्पादकों में अभ्यावेदन दिये हैं, और वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि की मांग की है,

(ख) सरकार के अनुमान के अनुसार आयात शुल्क में इस वृद्धि के कारण वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि कहां तक उचित है, और

(ग) इन अभ्यावेदनों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) सोयाबीन के तेल पर आयात शुल्क यथा मूल्य 10 प्रतिशत की रियायती दर पर लगा रहेगा। इस सम्बन्ध में वनस्पति निर्माताओं से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी की कमी

3037. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में इस समय चीनी का कितना कितना स्टाक है ;

(ख) देश के विभिन्न भागों में इस समय चीनी के फुटकर दाम क्या है ;

(ग) क्या देश के कुछ भागों में चीनी की कमी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे): (क) विभिन्न राज्यों में 7 अगस्त, 1966 को शर्करा कारखानों के पास शर्करा का स्टाक बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6864/66]

(ख) देश के विभिन्न खपत केन्द्रों पर शर्करा के चल रहे परचून भाव बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०**-6864/66]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम

3038. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 3 मई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1478 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम की स्थापना के बारे में उर्वरक समिति की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **तथा** (ख) उर्वरक समिति की शिफारिश है कि उर्वरक वृद्धि निगम स्थापित किया जाये और जब यह निगम समस्त देश में अपने कार्य फैला दे तो इसे राष्ट्रीय कृषि सेवा निगम में परिवर्तित कर दिया जाये । उर्वरक वृद्धि निगम की स्थापना पर भारत सरकार विचार कर रही है । उर्वरक वृद्धि निगम की स्थापना होने और उसका कार्य समस्त देश में फैल जाने के बाद ही उसकी कार्य सीमा को बढ़ाने का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

मैसर्स हिल्टंज के सहयोग से बम्बई में होटल

3039. **श्री धूलेश्वर मीना :**
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री 3 मई, 1966 के तरांकित प्रश्न संख्या 1481 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स हिल्टंस के सहयोग से बंबई में एक होटल स्थापित करने के बारे में इस बीच कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : बंबई में एक बिलासी होटल स्थापित करने के लिये भारतीय दल हिल्टंस से बातचीत कर रहा है । समझौते को अन्तिम रूप देने के बाद हिल्टंस से समझौता करने के पूर्व मारतीय दल उसे सरकार के पास अनुमोदन के लिये भेजेगा ।

केन्द्रीय अधिकारी कालेज (सेंट्रल स्टाफ कालेज)

3040. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में एक केन्द्रीय अधिकारी कालेज (सेंट्रल स्टाफ कालेज) स्थापित करने के प्रस्ताव के ब्यौरे के बारे में सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) प्रस्ताव के ब्यौरे पर अभी विचार हो रहा है ।

बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में विधि

3041. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री रामचन्द्र उलाका :**

क्या **विधि** मन्त्री 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों को गोद लेने के सम्बन्ध में विधि बनाने के बारे से इस बीच विचार किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) मामला अब भी विचाराधीन है ।

उपभोक्ता सहकारी समितियां

3042. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि नई उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करने के लिये और अधिक महिला संगठनों की सहायता ली जाये ;

(ख) क्या राज्य के पदाधिकारियों के सम्मेलन में इस बारे में विस्तृत कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को बता दिया है कि वह थोक भंडारों द्वारा बराबर अंश-पूंजी बढ़ाये जाने पर जोर नहीं देगी ; और

(घ) क्या भंडारों के राज्य फेडरेशन का विधिवत् गठन कर लिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां । भारत सरकार ने राज्यों से आग्रह किया है कि वे उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्यकरण में महिलाओं का अधिक संख्या में सक्रिय सहयोग लें ।

(ख) जी हां । चालू वर्ष में शुरू किया जानेवाला कार्यक्रम जून, 1966 में दिल्ली में हुये राज्य पदाधिकारियों के सम्मेलन में तैयार किया गया था ।

(ग) बराबर अंशपूंजी जुटाने की शर्त को पांच वर्षों की अवधि के लिये हटा दिया गया है । यह केवल थोक भण्डारों द्वारा स्थापित किये जाने वाले डिपार्टमेन्ट स्टोरों के लिये है । तथापि, यह शर्त रख दी गई है कि थोक भण्डारों की अपनी पर्याप्त अंशपूंजी अवश्य जुटा लेनी चाहिये, जिससे कि वे पांच वर्षों की अवधि में सरकार के अंशदान का 50 प्रतिशत भाग

लौटा सकें। थोक अथवा प्राथमिक भण्डारों के बारे में ऐसी छूट नहीं दी गयी है।

(घ) 13 राज्यों अर्थात, असम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास तथा केरल में उपभोक्ता भण्डारों के राज्य संघ स्थापित किये जा चुके हैं।

पंजाब में पंचायती राज्य का मूल्यांकन

3043. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंचायती राज के मूल्यांकन करने के लिये पंजाब सरकर द्वारा नियुक्त ग्यारह सदस्य की समिति द्वारा व्यक्त इन विचारों की ओर दिलाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती समितियों का कार्य "प्रभावहीन तथा उपेक्षापूर्ण" रहा है ;

(ख) क्या सरकार ने अन्य राज्यों के मूल्यांकन प्रतिवेदनों तथा लोकतन्त्रीय विकेन्द्रीकरण की कार्य पद्धति पर विचार किया है ; और

(ग) पंचायती राज अधिनियम तथा उसके क्रियान्वित करने की प्रणाली में त्रुटियों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) पंचायतीराज प्रणाली के दोषों को दूर करने तथा इसके कार्यकरण को मजबूत बनाने की आवश्यकता को लगातार ध्यान में रखा जाता है। वास्तविक क्रियान्विति से प्राप्त हुए अनुभव के आंकनों तथा समय-समय पर किये गये अध्ययनों तथा मूल्यांकनों के परिणामों के आधार पर राज्य सरकारों को आवश्यक सुधार करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है।

हल्दिया परियोजना

3044. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवमूल्यन के कारण हल्दिया पत्तन के निर्माण-कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) नये प्राक्कलन के अनुसार वित्तीय आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख)

हल्दिया परियोजना के निर्माण पर अवमूल्यन का किसी प्रकार का भी प्रभाव नहीं पड़ा है, यद्यपि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप रुपयों के रूप में विदेशी मुद्रा व्यय उच्चतर हो जायेगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

पंजाब में चीनी का कारखाना

3045. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फीरोजपुर (पंजाब) के सब डिवीजन में चीनी का एक कारखाना खोला जायगा है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) चीनी के इस कारखाने पर कुल कितनी राशि खर्च होने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) **से** (ग) फीरोजपुर (पंजाब) के सब-डिवीजन में शर्करा का एक कारखाना लगाने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अपेक्षित लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कोई आवेदन-प्राप्त नहीं हुआ है ।

आसाम में बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कें

3046. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में इस वर्ष बाढ़ों के कारण सीमावर्ती सड़कों तथा राजपथों को कितनी क्षति हुई है तथा कितने मील लम्बी सड़कें खराब हुई है, और

(ख) क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) आसाम में बाढ़ के कारण लगभग 96 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजपथों को और 48 किलोमीटर की सीमान्त सड़कों को क्षति पहुंची है । क्षति का ब्यौरा निर्धारित किया जा रहा है ।

(ख) राज्य सरकार ने संचार को पुनः स्थापित करने के लिये अस्थायी उपाय किये हैं । वह क्षति को स्थायी आधार पर मरम्मत करने के काम का प्राक्कलन भी तैयार कर रही है ।

हिन्दुस्तान जहाज-निर्माण कारखाना विशाखापत्तनम्

3047. **श्री कोल्ला वेंकैया** : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी योजना में हिन्दुस्तान जहाज-निर्माण कारखाना विशाखापत्तनम् का विस्तार कार्यक्रम तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या तकनीकी परामर्शदाताओं की किसी भारतीय फर्म को किसी विदेशी फर्म के

परामर्श से कारखाने का विस्तृत अध्ययन तथा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित करने के लिये कोई ठेका दिया गया है ;

(घ) परामर्शदाताओं की भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम क्या है ; और

(ङ) प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना काल में शिपयार्ड के विकास के लिये हिन्दुस्तान शिपयार्ड ने एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। इस समय शिपयार्ड के तकनीकी सलाहकार उसकी जांच कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) मेसर्स दया शंकर एंड एसोसिएन्ट्स नई दिल्ली, जिसका यू० के० में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ग्रुप से सहयोग का प्रबन्ध है।

(ङ) अंतिम प्रतिवेदन जनवरी, 1967 में प्रस्तुत किया जाना है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति

3048. **श्री कोल्ला बैकैया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय खाद्यान्न नीति सम्बन्धी समिति नियुक्त की है जिसमें संसत्सदस्य हैं ;

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन कौन से सदस्य नियुक्त किये गये हैं ;

(ग) समिति किस लिये बनाई गई है ; और

(घ) सरकार ने समिति के क्या कार्य निर्धारित किये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार सन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) से (घ) देश में उपलब्ध खाद्यान्नों का उचित मूल्यों पर समान वितरण करने की दृष्टि से देश में खाद्यान्नों के संचलन, अधिप्राप्ति और वितरण के बारे में वर्तमान विनियमनों, प्रबन्धों और प्रणालियों की समीक्षा करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई है। इस समिति के लिये मनोनीति व्यक्तियों के नाम, समिति के विचारणीय विषय और इससे सम्बन्धित अन्य ब्यौरे 15 मार्च, 1966 को भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 48 के भाग 1 खण्ड 1 में प्रकाशित संकल्प में दिए गये हैं।

श्रीनगर में इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के फोक्कर फ्रैंडशिप विमान की दुर्घटना

3049. **श्री बड़े** : **श्री काशीराम गुप्त** :

श्री विश्नाथ पाण्डेय : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री राम हरख यादव** :

क्या **परिवहन उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का एक फोक्कर फ्रैंडशिप विमान, जो 24 जून, 1966 को अपनी नियमित उड़ान पर श्रीनगर पहुंचा था, श्रीनगर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) जी, हां। यह सच है कि आई० ए० सी० का एक फोक्कर फ्रैंडशिप विमान, जो कि पालम से श्रीनगर तक की एक अनुसूचित यात्री उड़ान पर था, 24 जून, 1966 को श्रीनगर में उतरते समय मामूली तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उतरने पर सभी मुख्य चार टायर फट गये। इसके बाद विमान रनवे पर रुक गया। न तो यात्रियों को और न विमान कर्मीदल के सदस्यों को ही कोई चोट लगी। दुर्घटना की जांच की जा रही है। आगामी कार्यवाही, जो कि आवश्यक होगी, जांच रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर की जायेगी।

हाथ से धान कूटने का उद्योग

3050. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों में विशेष रूप से बिहार में धान उगाही आदेश के अन्तर्गत एकत्रित धान से चावल निकालने के लिये चावल मिलों का उपयोग करने की सरकार की नीति से हाथ से धान कुट्टन उद्योग को काफी हानि उठानी पड़ी है, और

(ख) यदि हां; तो इस उद्योग की स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कानूनी तकनीकी शब्दावलि के हिन्दी समानार्थक शब्द

3051. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा अंग्रेजी के कानूनी पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी समानार्थक शब्दों की सूची पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर अपनी प्रतिकूल राय प्रकट की है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम में आए हुए ऐसे अंग्रेजी शब्दों के भारतीय भाषा पर्यायों को, जो यावत्सम्भव सभी राज भाषाओं में प्रयोग के लिये मानक विधि शब्दावली का भाग बनेंगे, अन्तर्विष्ट करने वाली एक मुद्रित शब्दावली राज्य

भाषा (विधायी) आयोग, पश्चिमी बंगाल को भेजी गई थी। किन्तु राज्य भाषा (विधायी) आयोग ने पश्चिमी बंगाल की सरकार की ओर से बात करने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की है। राजभाषा (विधायी) आयोग इस मामले में राज्य सरकार से बात कर रहा है। राज्य सरकार के विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

लाख विकास परिषद्

3052. **श्री राम हरख यादव** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक भारतीय लाख परिषद् बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं ; और

(ग) परिषद् के कार्य तथा इसकी वास्तविक कार्य-प्रणाली क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) जानकारी प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) भारतीय लाख विकास परिषद् में जो एक सलाहकार निकाय है ये कार्य शामिल हैं केन्द्रीय और राज्य सरकारों के लाख विकास कार्यक्रमों पर विचार करना, योजना प्रगति पर पुनर्विचार करना, विपणन, व्यापार तथा मुल्य नीति पर पुनर्विचार, फसल के बारे में और इस सम्बन्ध में सुधार करने के लिये उपयुक्त उपायों पर सिफारिश करना।

परिषद् केवल दो महीने पहले ही बनाई गई है और उसकी वास्तविक कार्य-प्रणाली पर रिपोर्ट देना अभी कठिन है।

डिजल से चलने वाले पम्पिग सैटों द्वारा सिंचाई

3053. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 1965-66 में डीजल से चलने वाले पम्पिग सैटों से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई हुई ;

(ख) 1665-66 में राज्यों में जिलेवार कितने पम्पिग सैट दिये गये थे ;

(ग) क्या यह सच है कि इस माध्यम से कृषि कार्यों में अशोधित तेल की कमी बाधक सिद्ध हो रही है ;

(घ) यदि हां, तो इसके कृषि उत्पादन में कितना नुकसान हुआ है ; और

(ङ) इस प्रकार के सैटों के लिये अशोधित तेल की सप्लाई किस प्रकार बनाये रखने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ङ) पूछी गई सूचना राज्यों / संघ क्षेत्रों से इकट्ठी की जा रही है और उनसे मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

रेगिस्तान विकास बोर्ड

3054. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रेगिस्तान विकास बोर्ड को सहायता तथा सलाह देने के लिए अरब देशों तथा इसराइल से विशेषज्ञ बुलाने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक रेगिस्तान विकास बोर्ड ने कार्य शुरु नहीं किया है। अतः विदेशी विशेषज्ञ की सेवायें प्राप्त करने के बारे में कुछ कहना कठिन है।

शांति के लिये अमरीकी खाद्य योजना

3055. **श्रीमती रेणुका बड़कटकी** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शांति के लिये अमरीकी खाद्य योजना में भारत को सम्मिलित नहीं किया गया था, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेगिस्तान विकास बोर्ड

3056. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेगिस्तान विकास बोर्ड के कार्यों के लिए वण्टित धन 10 करोड़ रुपये से घटा कर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कारण है; और

(ग) इसका क्या परिणाम होगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं। चौथी योजना की अवधि में परियोजना पर लगभग 10 करोड़ रुपए व्यय होंगे। परन्तु अभी तक योजना आयोग ने औपचारिक रूप से कोई नियतन नहीं किया है।

(ख) **और** (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

अकाली दल के लिये निर्वाचन प्रतीक

3057. **श्री हेम राज** : **श्री दलजीत सिंह** :

क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने मास्टर तारा सिंह के अकाली दल को, जो भारत से पृथक होने का प्रचार कर रहा है, निर्वाचन प्रतीक दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख) 1954 में, निर्वाचन आयोग ने, अकाली दल से परामर्श करके और उसकी सम्मति से उस दल को "हाथ" प्रतीक आबंटित किया था। तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और अकाली दल का आज भी वही प्रतीक बना हुआ है ।

यह प्रश्न कि क्या मास्टर तारा सिंह द्वारा प्रायोजित या संत फतह सिंह द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों को दल के अधिकाधिक अभ्यर्थियों के रूप में माना जाए इस समय विवादास्पद है और आयोग इसकी जांच कर रहा है ।

कुल्लू घाटी में केन्द्रीय भेड़ पालन फार्म

3058. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुल्लू घाटी में गदसा में केन्द्रीय भेड़ पालन (शीप ब्रीडिंग) फार्म स्थापित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) वहां पर कितने भेड़ें तथा मेंढे रखे गये हैं ;

(ग) अब तक कितनी इमारतें बनाई गई हैं तथा उन पर कितना खर्च किया गया है ; और

(ख) वहां पर कितने लोग नियुक्त किये गये हैं तथा उन पर प्रति मास कितना खर्च किया जाता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे):

(क) कुल्लू के समीप गदसा में केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसन्धान संस्थान का एक सब-स्टेशन अक्तूबर में स्थापित किया गया था। लगभग 29 एकड़ खेती योग्य भूमि पंजाब सरकार से अर्जित की गई थी और भेड़ों हेतु चारे को बढ़ाने के लिए उसका विकास किया गया है और उस पर खेती की गई हैं। चराने और सब-स्टेशन द्वारा अन्य अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य शुरू करने के लिए पंजाब सरकार 1500 एकड़ वन भूमि उपलब्ध करने को सहमत हो गई है किन्तु भूमि कुछ कानूनी कठिनाइयों के कारण सब-स्टेशन को सौंपी नहीं गई है। पंजाब सरकार ने हाल ही में इस भूमि पर चराने के अधिकार सब-स्टेशन को दे दिए हैं किन्तु इसे औपचारिक रूप से सौंपा नहीं गया है ।

फरवरी, 1964 में लगभग 83 विदेशी भेड़ों का एक प्रयोगात्मक समूह सब-स्टेशन पर रखा गया और विदेशी भेड़ों के स्थानीय परिस्थितियों को अपनाने के सम्बन्ध में अध्ययन करना शुरू कर दिया गया है। लगभग 63 देसी भेड़ें भी विदेशी-भेड़ों के साथ संकरण सम्बन्धी कार्य

के लिए प्राप्त की गई है। इसके अतिरिक्त भेड़ उत्पादन की स्थानीय समस्याओं, स्थानीय चरागाहों के सुधार और इस क्षेत्र में उपयुक्त घासों के लगाने के सम्बन्ध में अध्ययन शुरूकर दिए गए हैं ।

(ख) सब-स्टेशन पर रखे गए मैमों, भेड़ी आदि की संख्या निम्नलिखित है :—

	रोमनी मार्श	साऊथ डाउन	गड्डी	कुल
1. मैमे	8	7	—	15
2. भेड़ी	19	16	50	85
3. लेले	12	9	13	34
	39	32	63	134

(ग) सात झोंपड़ियां जो पंजाब सरकार द्वारा दी गई भूमि पर बनी हुई थी पुर्ननिर्मित की गई और कार्यालय तथा स्टाफ के लिए उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कुछ अस्थायी शैड भेड़ों के लिए बना दिए गए हैं ।

कुल 5.77 लाख रुपये की आयत पर विभिन्न प्रकार के 24 रिहायशी क्वार्टर और प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवनों की स्वीकृत हुई है। रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और प्रयोगशाला तथा कार्यालय भवनों का निर्माण निकट भविष्य में शुरू कर दिया जाएगा ।

(घ) व्यक्तियों की संख्या 10 (6 तकनीकी अधिकारी तथा 4 मन्त्रालयिक और अन्य स्टाफ)

मासिक व्यय :

(क) नियमित स्टाफ पर	2,984 रुपये
(ख) दैनिक भत्ता दिये जाने वाले मजदूर	1,836 रुपये
	4,820 रुपये

गहन खेती अभियान

3059. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी कृषि सेक्रेटरी श्री ओरविल्ल फ्रीमैन ने हाल में अपनी भारत यात्रा के दौरान इस बात के संकेत दिये थे कि अमरीकी सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत गहन खेती अभियान को प्रायोजित करने तथा उसके लिये धन देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेख क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

व्यापारी नौबेड़ा अधिकारी

3060. **श्री जसवन्त मेहता :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **परिवहन,उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौचालन तथा इंजीनियरिंग दोनों ही विभागों के व्यापारी नौ बेड़ा अधिकारियों ने जो 20 जुलाई, 1966 को समाप्त होने वाला हड़ताल का नोटिस दिया था,

(ख) यदि हां, तो झगड़े के क्या कारण थे, और

(ग) झगड़े को निपटाने तथा हड़ताल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन, तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मरीटाइम यूनियन आफ इंडिया ने 7 जुलाई, 1966 को बड़ी नौवहन कंपनियों को सूचित किया था कि यदि समुद्री और इंजीनियरी अधिकारियों की सेवा की शर्तों के बारे में संन्तोषजनक समझौता 20 जुलाई तक नहीं होगा तो यूनीयन औद्योगिक कार्यवाही संगठित करने की ओर अग्रसर होगी।

(ख) विवाद बहुत सी बातों पर था, उदाहरणार्थ, मजदूरी और भत्ते में वृद्धि और 6-6-66 से अवमूल्यन के प्रभाव का निराकरण, 1-1-1966 से प्रभावी विशेषाधिकार और प्रतिकर छुट्टी ओवरटाइम कंपन्सेशन, कम्बाइन्ड और सुपीरियर सर्टीफिकेट भत्ता, भोजन भत्ता, प्राविडेंट फंड, ग्रेचुटी बोनस इत्यादि का पुनरीक्षण।

(ग) जहाज मालिकों की सलाहकार समिति और यूनियन के बीच पार्श्वीर्य बातचीत के फलस्वरूप इस बीच आपस में समझौता हो गया है।

भागीरथी से मिट्टी निकालना

3061 **डा० रानेन सेन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का से नवद्वीप तक भागीरिथी नदी से मिट्टी निकालने का कार्य फरक्का परियोजना के दूसरे क्रम में डाल दिया गया है, तथा

(ख) यदि हां, तो इस से हुगली नदी की नौगम्यता बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) हुगली नदी की नौगम्यता में सुधार के लिये फरक्का बांध परियोजना के लाभ का पूरा उपभोग करने के लिये भागीरथी में कुछ दोष निधारक उपायों का किया जाना आवश्यक समझा जाता है। अत: भागीरथी के लिये आवश्यक दोष निरोधक उपायों की जांच के अध्ययन का कार्य कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स को सौंप दिया गया था। इन अध्ययनों और जांच के परिणाम एक तकनीकी समिति के सामने रख दिये गये हैं। इस समिति में सिंचाई तथा विद्युत और परिवहन मन्त्रालयों और पश्चिम बंगाल सरकार के सिंचाई और जलमार्ग मन्त्रालय के अधिकारी लिये गये हैं। तकनीकी समिति की सिफारिशें फरक्का बांध नियंत्रण मन्डल के समुख रख दी जायेगी।

कलकत्ता पोर्ट कमिश्नर्स ने रिपोर्ट दी है कि फरक्का से भागीरथी में जल डालने से एक आध वर्ष पूर्व ही भागीरथी नदी के दोष निधारक उपायों का क्रियान्वयन प्रारंभ करना होगा और कार्य के पूर्ण होने में पांच से सात वर्ष तक लगेंगे।

Milk Powder from France

3062. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is to receive shortly 2,300 tons of milk powder from France for distribution in famine stricken areas in the country;

(b) if so, the quantity of milk powder received prior to this;

(c) the areas in which it would be distributed; and

(d) the basis on which it would be supplied?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) The Government of France have offered recently an additional gift of 2800 tons of milk powder.

(b) & (c) Approximately 5000 tonnes of milk powder has been received already from France and almost the entire quantity has been allotted to the State of Maharashtra. The allocation of additional 2800 tonnes now offered will be decided shortly before the arrival of the consignments after taking into account the quantities already allotted to various States.

(d) The allotment of milk powder to various States is made, by and large, on the basis of the vulnerable population affected by scarcity and the milk distribution programmes proposed to be organised by the State Governments.

बाजपुर नैनीताल सड़क

3063. **श्री क० चं० पन्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाजपुर से नैनीताल को मिलाने वाली एक नई सड़क दस वर्ष से अधिक समय से पूरी नहीं हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सड़क से दिल्ली तथा नैनीताल के बीच दूरी तथा यात्रा में लगने वाला समय पर्याप्त कम हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण में शीघ्रता करने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) नैनीताल—बाजपुर सड़क उत्तर प्रदेश में एक राज्य सड़क है। अतः इस परियोजना से उत्तर प्रदेश की सरकार संबद्ध है। भारत सरकार को ऐसी परियोजनाओं के बारे में रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती है।

Delhi Zoological Park

3064. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) an average daily expenditure incurred on Delhi Zoo; and

(b) the daily sale proceeds of tickets at the gate of the Zoo?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) Rs.2,192 based on the expenditure incurred during 1965-66.

(b) Rs.450/-

Development of Fishery Industry

3065. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that extension schemes have been formulated for the development of fishery industry in the country; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Govinda Menon) : **(a)** Yes, Sir.

(b) The scheme is essentially to introduce improved pisciculture in Community Development Blocks with the help of extension officers who survey the water resources, prepare development plans and advise the Panchayats and fish farmers on improved techniques, in addition to organising fish seed supplies, reclamation of tanks etc. 260 Extension Officers are now in position covering 787 Blocks.

Grafting of Plants

3066. **Shri Dighe :** **Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the new grafting methods which are likely to revolutionise the process of multiplication of graft plants for horticulture have been successfully evolved by horticultural scientists at the Indian Agricultural Research Institute; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Misra) : **(a)** Yes.—an improved method of grafting, viz. "Veneer grafting", in mango; has been successfully developed.

(b) The details of the method, and its advantages over the traditional "inarching" method which is both tedious and less successful, is given in the statement attached.

STATEMENT

Lok Sabha on the 23rd August, 1966.

Traditional method of "inarching" in mango propagation consists in carrying the seedling near the mother plant for grafting. In the case of tall trees, pots with seedlings are to be placed on platforms and watered regularly. This is a very tedious method for getting good success. In "Veneer Grafting", however, the scion sticks (shoot for grafting) are simply cut away from the mother plant and grafted on the seedlings growing on the nursery beds. The most striking feature of this method is that one can prepare grafts, even if one does not have a mother plant, by just collecting the scion sticks of selected good plants nearby.

Some of the advantages of this method, over the "inarching" method, are as follows :—

(1) Success in this method is 80-85% in all the months between March and July (under Delhi conditions).

(2) Using this technique, a large number of grafts, even upto about 5000-6000 can be prepared in one season by one person.

(3) Only about 2.5 cm to 10cm of the branch of the mother plant is needed for the purpose and thus a larger number of grafts can be made out of eno selected mother plant.

(4) The graft produced this way is much cheaper,—costing only about one fourth, as compared to the 'inarching' method, under our conditions.

(5) The graft prepared during March-April attain good size by July of the same year, when they can be distributed, thereby reducing the nursery life.

(6) In situ "Veneer grafting" is very encouraging,—the growth being very good and the tree being able to bear fruits after about 2 years' growth in the case of Neelum, a South Indian variety, and after about 3-4 years in other varieties.

(7) It is easier and much cheaper to establish orchards by this method.

(8) Two or more varieties can be grafted on the same seedling stock; this may interest home gardeners.

(9) Inferior mango trees can be top-worked with superior varieties. The trees would start producing fruits after 3-4 years.

The new method has been tried successfully, under various climatic conditions of India and has already made a good impact in the country.

कोणार्क के सूर्य मन्दिर का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

3067. **श्री वृजवासी लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोणार्क (उड़ीसा) के सूर्य मन्दिर के अवशेषों के आसपास के क्षेत्र का अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो कब और

(ग) इस योजना पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) कोणार्क के सूर्य मन्दिर के आस पास के क्षेत्र को, अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से, उसके समेकित विकास के लिये एक मास्टर योजना तैयार की गई है। इस स्कीम के लिये पर्यटन पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 50 लाख रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है। स्कीम के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

दुधारू गाय तथा भैंस के संरक्षण की योजना

3068. **श्री वृजबासी लाल :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय गोसंवर्द्धन परिषद् ने ऐसी दुधारू गायों, बछड़ों तथा भैंसों के संरक्षण के लिये, जिनका प्रतिवर्ष कलकत्ता तथा अन्य शहरों में या तो वध कर दिया जाता है या वे भूख से मर जाती हैं, एक पांच वर्षीय योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) इस योजना पर कुल कितना धन खर्च किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में, उप मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। इसयोजना का उद्देश्य केवल अधिक दूध देने वाली सूखी गायों की रक्षा करना है।

(ख) अप्रैल, 1966 में।

(ग) केन्द्रीय गोसंबर्धन परिषद् द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार 5 वर्षों में इस योजना पर अनुमानत: 106 लाख रुपए व्यय होगें ।

कृषि उत्पादन

3069. **श्री श्रीनारायण दास : श्रीमती जयाबेन शाह :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था पूसा, नई दिल्ली, में दिये गये अपने भाषण के अन्तिम पैरा में बताई गई इन बातों की ओर दिलाया गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम से होने वाले लाभ का वितरण समान नहीं है जिससे किसानों में आपसी और प्रादेशिक असमानता के भाव पैदा हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो किसनों में इस कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले तनाव और असंतोष को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है जिससे छोटे किसान भी कृषि उत्पादन के लिये दी जा रही अधिक ऋण और बीज, खाद आदि की अन्य सुविधाओं से लाभ उठा सकें ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क) तथा (ख)** जी हां। सरकार का ध्यान डा० वी० के० आर० वी० राव के भाषण की ओर खींचा गया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय द्वारा स्वीकृति मूल पद्धति और डा० वी० के० आर० वी० राव द्वारा व्यक्त किये गये विचारों में कोई अन्तर नहीं है। डा० राव ने कुछ बातों पर जोर दिया है जो उनके विचार से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं।

(ग) कृषि उत्पादन कार्यक्रम के लिए ऐसे प्रबन्ध हैं जिनके अन्तर्गत चुने हुए क्षेत्रों वाले सभी किसानों को ऋण सुविधायें दी जायेंगी चाहे उनके फार्म किसी भी साइज के क्यों न हो।

'हिल्सा' मछली का उत्पादन

3070. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यपालन संस्था, बैरकपुर के एक वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकारी, श्री वी० आर० पैठूबे की कलकत्ता के एक दैनिक समाचार पत्र के साथ हुई भेंट की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि देश में 'हिल्सा' मछली के उत्पादन में

तेजी से कमी का मुख्य कारण दामोदर घाटी निगम के बांधों के निर्माण से दामोदर और रूप-नारायण नदियों में अण्डजनन क्षेत्र की कमी होना हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए क्या जाँच की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी हां। भेंट की रिपोर्ट में कुछ त्रुटि है। यह बात हुगली इस्च्यूरी के विषय में कही गई थी न कि समस्त भारत के विषय में बान्धों को उन मुख्य कारणों में से एक कारण समझा जाता है जिनके कारण हुगली इस्च्यूरी में अन्डजनन क्षेत्र की कमी हुई है। कमी के अन्य कारण मल-निःस्राव तथा युवा हिल्सा का बड़े पैमाने पर पकड़ा जाना है।

(ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय मत्स्यापालन अनुसंधान केन्द्र द्वारा हिल्सा के उत्पादन के आंकड़ों तथा परिस्थिति की विभिन्नता के बारे में अनुसन्धान किये गये हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायताकार्य

3071. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौरी बिदुमूर तालुक के हुडुगूर, नामगोडलू और डी० पाल्या क्षेत्रों के अकाल पीड़ित लोगों के लिये किसी भी सहायता कार्य की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसके परिमाणस्वरूप मोकबल्लपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इन इलाकों के लोग भूखे मर रहे है और यदि हां, तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा मैसूर राज्य को अकाल सहायता के लिये दी गई 3 करोड़ रुपये की राशि इस स्थिति को संभालने के लिये पर्याप्त नहीं है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस कार्य के लिये और अधिक वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय दल ने जिसने फरवरी, 1966 में और फिर मई, 1966 में राज्य का दौरा किया था, अनुमान लगाया कि 1965-66 और 1966-67 के राज्य के योजना बजट के अलावा, सहायता कार्यों पर 3.5 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा। इस पर 3 करोड़ रुपये का एक ऋण स्वीकार किया गया है (1965-66 में एक करोड़ और 1966-67 में अब तक 2 करोड़ रुपये)। जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है अब तक यह वित्तीय सहायता अपर्याप्त नहीं है।

(ग) जी हाँ। प्रार्थना की जांच की जा रही है।

क्वांटास के विमान का विवश होकर नीचे उतरना

3072. **श्री पन्नालाल** : **श्री बृजवासी लाल** :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जुलाई, 1966 को क्वांटास के एक विमान को जो नई दिल्ली से हांगकांग जा रहा था विवश होकर डमडम हवाई अड्डे पर उतरना पड़ा था ; और

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस घटना का कारण यह है कि नयी दिल्ली से रवाना होने के बाद उड़ान में अण्डरकैरेज पीछे नहीं खींचे जा सके। अण्डरकैरेज को 'नीचे' की स्थिति में बन्द करके विमान को नयी दिल्ली से कलकत्ता तक उड़ाया गया और कलकत्ते में, जहां कि उसे निर्धारित अनुसूची के अनुसार उतरना नहीं था, सुरक्षित रूप से उतारा गया। अण्डर कैरेज बिजली के एक खराब स्विच के कारण पीछे नहीं खींचे जा सके ।

मैसूर को चीनी का संभरण

3073. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजनाकाल में मैसूर राज्य की चीनी की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो राज्य के लोगों की मांग को पूरा करने के लिये कितनी चीनी की आवश्यकता थी और राज्य में चल रही वर्तमान चीनी की मिलें इस मांग को कहां तक पूरा कर रही है तथा उन चीनी की मिलों के नाम क्या हैं तथा इनकी निर्धारित उत्पादन क्षमता क्या है ;

(ग) राज्य सरकार ने सरकार से कितनी तथा कौन कौन सी नयी चीनी की मिलें स्थापित किये जाने की सिफारिश की है जिनके बारे में अभी भारत सरकार को निर्णय करना है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) तीसरी योजनावधि में शर्करा की आवश्यकता का अनुमान सारे देश के लिये लगाय गया था और न कि राज्यवार लगया गया था ।

(ख) मैसूर के मौजूदा शर्करा के मासिक कोटे के आधार पर वार्षिक आवश्यकता 1.56 लाख मीटरी टन बैठती है जो कि मैसूर राज्य की मौजूदा शर्करा फैक्ट्रियों द्वारा पूरी की जा सकती है । राज्य में चल रहे शर्करा कारखानों के नाम और उनकी वार्षिक स्थापित शर्करा उत्पादन की क्षमता और 1964-65 के वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6866/66]

(ग) और (घ) मैसूर सरकार ने (1) कयलपुर जिला बेल्लारी और (2) कला

मुद्दनाडोडी, मद्दूर तालुक जिला मांडेया में जिन दो नये शर्करा कारखाने लगाने के लिये आवेदन पत्रों की सिफारिश की थी वे इस समय निलिम्बत पड़े हैं। इन पर विचार हो रहा है।

सहकारी चीनी मिल, केरल

3074. **श्री प० कुन्हन** : क्या खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालघाट, केरल में चित्तूर तालुक में सहकारी चीनी मिल ने कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी देने सम्बंधी उपबन्धों पर अमल नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) केरल सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

पालघाट में पैकेज प्रोग्राम

3075. **श्री प० कुन्हन** : खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पालघाट में सघन कृषि जिला कार्यक्रम के अन्तर्गत पैकेज प्रोग्राम, सिचाई सुविधाओं की कमी तथा उस क्षेत्र में सूखा पड़ने से कृषकों द्वारा ऋण लौटाने में असमर्थता के कारण पूर्णतया क्रियान्वित नहीं हुआ है ; और

(ख) क्या ऋण वसूल करने की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केरल सरकार से कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

धान का समाहार

3076. **श्री प० कुन्हन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में जिला वार वसूली प्रणाली के अन्तर्गत धान के समाहार के लिये क्या अभ्यंश नियत किया गया है ;

(ख) अब तक जिले वार कितने धान का समाहार किया जा चुका है ;

(ग) क्या धान समाहार की यह योजना केरल में अलप्पी के कुट्टनाद क्षेत्र में लागू नहीं की गई है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उन जमींदारों से जिन्हें प्रतिवर्ष 1000 पैरा से अधिक धान मिलता है, धान का समाहार करने का है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) से (ङ) केरल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा जमा किये गये अनाज का खराब हो खजाना

3078. **श्री कोल्ला वैंकैया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में विभिन्न प्रकार का अनाज खराब हो गया था, तथा खाने योग्य नहीं रहा था,

(ख) यदि हां, तो विभिन्न स्थानों पर जून, 1966 के अन्त तक गोदामों में विभिन्न प्रकार का कितना अनाज बेकार हो गया था ; और

(ग) इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

मद्रास में भूमिगत जल की खोज

3079. **श्री मलाइछामी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तथा कृषि संगठन के द्वारा मद्रास राज्य में, विशेषतया कावेरी डेल्टा भूमि कृष्यकरण कार्य के संदर्भ में, भूमिगत जल की खोज आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अतिरिक्त भूमि पर कृषि होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) मद्रास राज्य में कावेरी डेल्टा में भूमिगत संसाधनों जिसमें भूमिगत जल की खोज शामिल है के द्वारा कृषि विकास को बढ़ाने के लिए एक परियोजना पर भारत सरकार विचार कर रही है । प्रस्ताव है कि इस परियोजना के लिए पुनर्निमाण तथा विकास सम्बन्धी अर्न्तराट्रीय बैंक और खाद्य तथा कृषि संगठन से सहायता प्राप्त की जाये ।

(ख) कितनी अतिरिक्त भूमि पर कृषि हो सकेगी इस बारे में तो परियोजना रिपोर्ट जिसे मद्रास सरकार तैयार कर रही है, के आने के बाद ही पता चलेगा ।

बरेली में सहकारी भंडार

3080. **श्री रामसेवक यादव** : **श्री किशन पटनायक** :
श्री मधु लिमये : **श्री बड़े** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बरेली में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सहकारी भण्डार को कोई सहायता दी है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान प्रशासक (एडमिनिस्ट्रेटर) द्वारा इसके बोर्ड के विस्थित (सुपरसीड) किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(घ) क्या भण्डार से सम्बन्धित एक स्थानीय वकील ने कोई गबन किया है ;

(ङ) क्या भण्डार की इमारत के लिये भूमि का बहुत अधिक मूल्य दिया गया था ; जबकि सहकारी समितियों के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के अनुसार इसका वास्तविक मूल्य बहुत कम था ; और

(च) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्रीय सरकार का बहुत-सा धन इसमें लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले में जांच कराने के आदेश देने को कहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां, केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, बरेली को वित्तीय सहायता देने के लिए धनराशि दी ।

(ख) 4.10 रुपये लाख ।

(ग) उप-निबन्धक, सहकारी समितियां, बरेली ने भारत सरकार को निदेशक मण्डल के निवर्तन (सुपरसेशन) की सूचना दी है ।

(घ) गबन का पता चला है और पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है ।

(ङ) उप-निबन्धक की मंजूरी से भूमि खरीदी गई थी । भारत सरकार सहायक निबन्धक के विचार से अवगत नहीं है ।

(च) भारत सरकार प्रगति (डवलपमेन्टस) पर नजर रख रही है ।

पंचायत सेवकों के वेतन

3081. **श्री मधु लिमये :** **श्री बड़े :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री युद्धवीर सिंह :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार और अन्य राज्यों में पंचायत सेवकों के वेतन को 65 रुपये से बढ़ा कर 100 रुपये करने के लिये कोई सहायता-योजना बनाई है ; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय में से कितना व्यय केन्द्र वहन करेगा और कितना व्यय राज्य वहन करेंगे ; और

(ग) क्या बिहार और अन्य राज्यों में यह योजना लागू कर दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) चौथी योजना में शामिल करने के लिए पंचायतीराज सचिवों के संवर्ग के आवर्धन तथा उन्नयन की एक स्कीम विचाराधीन है । अतिरिक्त लागत तथा केन्द्र व राज्य कितन-कितना

भाग देंगे' से सम्बन्धित ब्यौरा तैयार किया जा रहा है । यदि यह स्कीम चौथी योजना में शामिल की जाती है तो इसे सभी राज्यों में लागू किया जाएगा ।

मैसर्स हिल्टंस के भव्य (लग्जरी) होटल

3082. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिल्टन्स को भारत के पांच मुख्य नगरों में पांच भव्य होटल खोलने के लिये लाइसेंस दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं ; और

(ग) इसका देश के होटल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) हिल्टन को भारत के पांच नगरों में पांच विलासी होटल चलाने के लिये कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है । बम्बई में एक विलासी होटल स्थापित करने के लिये एक भारतीय दल अमेरीका के हिल्टन होटल्स इन्टरनेशनल से सहयोग के बारे में बातचीत कर रहा है । दोनों दलों में समझौते की प्रस्तावित शर्तों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद उन्हें भारत सरकार के पास विचार करने के लिये भेजा जायेगा ।

चीनी की मिलों सम्बन्धी समिति

3083. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल निर्यात करने के निमित चीनी का उत्पादन करने के लिये सरकारी क्षेत्र में चीनी की बड़ी मिलों की एक श्रृंखला स्थापित करने के हेतु उपयुक्त स्थान चुनने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ग) क्या उन सिफारिशों पर विचार कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं । समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

व्यवहार प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1963

3085. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि व्यवहार प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का छब्बीसवां) कलकत्ता के प्रेजीडेंसी लघुवाद न्यायालय पर लागू नहीं होता क्योंकि उनसे सम्बन्धित अधिनियम का संशोधन नहीं हुआ है ;

(ख) क्या इस असंगति से वेतन मांगी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते कुर्क करने के सम्बंध में न्यायालयों में विभेदपूर्ण व्यवहार हो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस त्रुटि को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) यथास्थिति कलकत्ता, मद्रास और बम्बई स्थित उच्च न्यायालयों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 8 के परन्तुक के अधीन, यह शक्ति प्राप्त है कि वे, अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकें कि उक्त संहिता के उपबन्धों में से किन्हीं का विस्तार कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के प्रेसिडेंसी नगरों में स्थापित लघुवाद न्यायालयों में वादों या कार्यवाहियों पर होगा ।

सम्पृक्त राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे उच्च न्यायालयों को इस बात के लिये प्रचालित करें कि वे संहिता की संशोधित धारा 60 के उपबन्ध को इन तीन प्रेसिडेंसी नगरों में लघुवाद न्यायालयों में वादों और कार्यवाहियों को लागू करने के लिये अपेक्षित अधिसूचना निकालें ।

आयातित गेहूं का खराब हो जाना

3086. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में ईदगाह स्टेशन पर वर्षा के कारण 1000 बोरी आयातित गेहूं खराब हो गया था और मिल मालिक ने उसे लेने से इन्कार कर दिया, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मैनन) : (क) आगरा की एक मिल द्वारा रेलवे को अभ्यावेदन देने पर, रेलवे प्राधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि ईदगाह स्टेशन पर प्राप्त 1145 बोरी गेहूँ के एक प्रेषण का लगभग 18 प्रतिशत माल वर्षा से खराब हो गया था । रेलवे द्वारा अनुमान लगाये जाने के बाद मिलने इन बोरियों की सुपुर्दगी ले ली ।

(ख) रेलवे खराब हो जाने के कारणों की छान-बीन कर रही है ।

अफगानिस्तान की यात्रा के लिये "पी" फार्म

3087. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगान एयरलाइन्स, "आर्याना" ने अनुरोध किया है कि अफगानिस्तान की यात्रा के लिये 'पी' फार्म की शर्त समाप्त कर दी जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पंचायत कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

3088. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पंचायत कर्मचारियों को अतिरिक्त वेतन तथा मंहगाई भत्ता देने के लिये हाल में कोई वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में चावल परोसने पर प्रतिबन्ध

3089. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह आदेश दिया है कि केरल में होटलों में सोमवार और शुक्रवार को चावल न परोसा जाये,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) इसका आने जाने वाले लोगों, विशेषतः वृद्धों और बीमारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) क्या इस आदेश से कोई छूट देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) यह आदेश भोजनालयों द्वारा सोमवार और वृहस्पतवार को केवल सांय तीन बजे के बाद चावल परोसने और चावल की चीजें न बनाये जाने के बारे में हैं ।

(ख) यह चावल की अत्यधिक कमी के कारण इसकी खपत घटाने के लिये किया गया ।

(ग) आने जाने वाले लोग सप्ताह में दोनों सांयकालों को गेहूं और दाल से बनी चीजें ले सकते हैं ।

(घ) जी नहीं ।

केरल में नौका निर्माण कारखाना

3090. **श्री मोहम्मद कोया** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बेपुर में प्रस्तावित नौका निर्माण कारखाना लगाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) बेपुर में नौका निर्माण कारखाना लगाने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

मैसूर राज्य में पर्यटन

3091. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में पर्यटन कार्यक्रम की विभिन्न योजनाओं पर कितना धन खर्च किया गया है तथा उनमें क्या प्रगति हुई है,

(ख) मैसूर राज्य के लिये चौथी योजना में प्रस्तावित कार्यक्रम क्या है,

(ग) क्या नदी हिल्स को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है,

(घ) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार ने मैसूर राज्य में विभिन्न पर्यटक योजनाओं पर निम्नलिखित व्यय किया :—

भाग 1	**रुपये**
(1) हसन में पर्यटक बंगला (वर्ग 1) का निर्माण	2,25,700
(2) हसन पर के पर्यटक बंगले का उपस्कर तथा प्रबन्ध	33,000
(3) बीजापुर में एक बंगले के निर्माण कार्य को पूरा करना	1,58,000
(4) बीजापुर के पर्यटक बंगले का साजसामान और प्रबन्ध	20,000
(5) हाम्पी में एक कांटीन का निर्माण	2,08,024
(6) तुंग भद्रा के लिये लांचो की खरीद	60,000
भाग 2	**केवल केन्द्रीय सरकार का भाग**
(1) मंगलौर में एक पर्यटक बंगले (वर्ग 2) का निर्माण	75,000
(2) बीजापुर में पर्यटक बंगले (वर्ग 2) के निर्माण कार्य को पूरा करना	7,470
(3) जोग फाल्स पर पर्यटक होटल को पूरा करना	45,586
(4) जोग फाल्स पर पर्यटक बंगला पूरा करना	26,654
(5) कृष्णाराजासागर पर पर्यटक बंगला पूरा करना	74,000
(6) आइहोली पर पर्यटक बंगला पूरा करना	5,006
(7) हसन और मरकरा पर पर्यटक ब्यूरो	1,134
भाग 1 और 2 कुल	**योग 9,39,774**

(ख) पर्यटन के विकास की चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मैसूर राज्य के लिये निम्न व्यवस्था की गई है :—

भाग 1	रुपये
(1) नेहरू लोक योजना, मैसूर	30,00,000
(2) मैसूर-कृष्णाराजासागर-वन्दीपुर का समैकित विकास	17,00,000
भाग 2	
(1) हसन-सेलीवेद-वेलूर-श्रावनबेलगोला क्षेत्र का समैकित विकास	23,00,000
(2) कारबार-मारवन्थे-सरावथीका समैकित विकास	20,00,000
(3) बीजापुर-बदामी-आइहोली-पदातकल-हाम्पी क्षेत्र का समैकित विकास	10,00,000

(ग) और (घ) जी हां। मैसूर सरकार ने नन्दी हिल को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित करने के लिये एक मास्टर योजना तैयार की है और वह राज्य सरकार के कार्य-क्रम में शामिल की गई है।

(ङ) पर्यटन के द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा का हिसाब रिजर्व बैंक अखिल भारतीय आधार पर रखता है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि मैसूर राज्य के पर्यटन कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी राशि अर्जित की गई।

मछुओं के जहाजों की दुर्घटना

3092. **श्री बसवन्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्नला पत्तन, महाराष्ट्र की समीपवर्ती नदी में बोल्डर होने के कारण मछुओं के छोटे-छोटे जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं;

(ख) क्या उन बोल्डरों पर लाल निशान लगाने के लिये सरकार ने कोई हिदायतें जारी की हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त हिदायतों को कब लागू किया जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से तुरत सूचना भेज देने के लिये अनुरोध किया गया है। सूचना के प्राप्त होते ही उसे सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कोचीन पत्तन

3093. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री उमानाथ :
श्री अ० व० राघवन :
श्री प० कुन्हन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11जुलाई 1966 के समाचारपत्र "हिन्दू" में "कोचीन पत्तन भीड़भाड़ के बारे में चिन्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) क्या कोचीन पत्तन न्यास द्वारा दो अतिरिक्त जहाज-घाट (ह्वार्फ बर्थ) बनाये जाने के बारे में प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया है,

(ग) तट उपकरण (शोर इक्विपमेंट) और टग न मिलने के कारण इस पत्तन में कहाँ तक भीड़भाड़ बढ़ गई हैं, और

(घ) इस पत्तन में स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में मट्टनचेरी जलमार्ग में दो नई बर्थ निर्माण करने का प्रस्ताव किया है । योजना आयोग की सलाह से मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) पत्तन में भीड़भाड़ का सम्बन्ध टगों की उपलब्धता से नहीं है । कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने रिपोर्ट की है कि फिलहाल तट उपकरण के आवर्धन की आवश्यकता है ।

(घ) कोचीन पोर्ट ने जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निकर्षण के ठेके के लिये निविदाये मांगी है । अतिरिक्त टगों और उपकरण प्राप्त करने के लिये कार्यवाही की जा रही है । मौजूदा निकर्षक की पुनर्स्थापना के लिये भी एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

केरल में क्षेत्रीय डेयरी पशुशाला

3094. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री उमानाथ :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एक क्षेत्रीय डेयरी पशुशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केरल सरकार ने इसके लिये किसी उपयुक्त स्थान की सिफारिश की है ;

(ग) क्या स्थान के बारे में कन्नानूर जिला समेत अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है ; और

(घ) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं । फिर भी चौथी योजना के दौरान 6 पशु प्रजनन फार्म स्थापित करने पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) उपरोक्त फार्मों में से एक की स्थापना के लिये केरल सरकार ने कालीकट तथा कन्नानूर जिलों में कुछ स्थानों का सुझाव दिया है ।

(ग) केरल के पलघाट जिले में अट्टापडी वन आतीय विकास खण्ड में लगभग 1000 एकड़ का स्थान विचाराधीन है।

(घ) इस स्थान की उपयुक्तता के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय तभी किया जायेगा जबकि इन फार्मों सम्बन्धी साइट सेलेक्शन कमेटी केरल तथा उन अन्य राज्यों का जिन्होंने इस कार्य के लिये स्थान पेश किये हैं निरीक्षण कर लेगी।

आन्ध्र प्रदेश द्वारा चावल देना

3095. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष आंध्र में केन्द्रीय सरकार को अनुमानत: कितना चावल दिया था ;

(ख) चालू वर्ष में उस राज्य द्वारा केन्द्रीय सरकार को कितना चावल दिया गया और इस वर्ष के शेष महीनों में कितना और चावल दिये जाने की आशा है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश द्वारा कम चावल दिया गया है ;

(घ) क्या इस वर्ष आन्ध्र में चावल का उत्पादन कम हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो उत्पादन कितना कम हुआ है तथा कितना चावल फालतू है जो बेचा जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) . (क) **और (ख)** आन्ध्र प्रदेश ने फसल वर्ष 1964-65 (1-11-64 से 31-10 65) में केन्द्र को लगभग 5.75 लाख मीटरी टन चावल सप्लाई किया था। फसल वर्ष 1965-66 में जुलाई, 1966 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश ने केन्द्र को लगभग 2.24 लाख मीटरी टन चावल दिया था। शेष महीनों में कितनी मात्रा की सप्लाई होगी, इसका कोई ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) **और (घ)** जी हां।

(ङ) आन्ध्र प्रदेश के 1965-66 में चावल की उपज के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं और इसलिये विक्रेय अधिशेष की भी गणना नहीं की जा सकती है।

केरल को चावल का सम्भरण

3096. **श्री किशन पटनायक :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1964 में दक्षिणी चावल क्षेत्र के समाप्त हो जाने के पश्चात केरल को लगभग दस लाख टन चावल का सम्भरण करने का पूरा उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को लेना पड़ा था ;

(ख) क्या इस वचन को पूरा करने के लिये सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में चावल नहीं हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि संकटावस्था को टालने के लिये वर्मा और ब्राजील से अतिरिक्त चावल खरीदा गया है जिसमें हमारी दुर्लभ विदेशी मुद्रा अनावश्यक रूप से खर्च हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में चावल के इस आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) जी नहीं। केरल में वितरण करने के लिये चावल की अपेक्षित मात्रा भेजने की जम्मेदारी आन्ध्र प्रदेश और मद्रास की सरकारों की है। यद्यपि, स्वभाविक रूप से सारी सप्लाई केन्द्रीय सरकार के माध्यम से की जाती है।

(क) से (घ) इस वर्ष देश में चावल की पैदावार में भारी कमी होने के कारण केन्द्रीय सरकार के पास चावल की उपलब्धि बहुत कम हो गयी है और सभी कमीवाले राज्यों को पर्याप्त मात्रा में चावल सप्लाई करने में कठिनाई अनुभव हो रही है। ऐसी स्थिति में संचित मूल्यों पर अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चावल की अधिक से अधिक जितनी मात्रा उपलब्ध हो सकती है खरीदी जा रही है। 1966 में विदेशों से चावल खरीदने के लिये भारत सरकार कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करेगी इसका अभी अनुमान लगाना मुश्किल है।

अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के सम्बन्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच करार

3097. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री राम हरख यादव :**

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं के सम्बन्ध में हाल में एक करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) जी हां। भारत और पाकिस्तान तथा पड़ोसी देशों के बीच विद्यमान विमान-मार्गों अर्थात् दिल्ली-काबुल, दिल्ली-कराची, दिल्ली-जाहिदान, लाहौर-ढाका, कराची-बम्बई, ढाका-बर्मा बार्डर, ढाका-काठमांडू और कराची-ढाका तथा कलकत्ता-अगरतला को युक्तिसंगत बनाने, निर्धारित मार्गों पर दिक्चालन की सुविधाओं में सुधार की व्यवस्था करने और दोनों देशों के हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकारियों के बीच निश्चित रूप से अधिक अच्छा समन्वय करने का प्रबन्ध करने के लिये पाकिस्तान के साथ हाल में एक करार किया गया है।

अमरीका द्वारा गेहूं के संभरण में कटौती

3098. **श्री बृजवासी लाल :** **श्री फ० गो० सेन :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के इस संकेत का, कि हो सकता है कि अमरीका इस वर्ष विदेशों को दिये जाने वाले गेहूं की मात्रा में 25 प्रतिशत कटौती कर दे ; भारत को अमरीकी गेहूं मिलने की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) : संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं की समूची स्थिति की दृष्टि में गेहूं की पी० एल० 480 के अधीन सप्लाई में कटौती होने की सम्भावना है लेकिन इस सम्बन्ध में अमेरिका सरकार से कोई औपचारिक खबर नहीं मिली है। जब तक ऐसी कोई खबर नहीं मिलती और कटौती की मात्रा, यदि कोई हो, का पता नहीं लगता तब तक सरकार की प्रतिक्रिया बताना सम्भव नहीं है ।

डमडम हवाई अड्डे पर विमान को क्षति

3099. **श्री बृजबासी लाल: श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 अगस्त, 1966 को डमडम हवाई अड्डे पर एक इंजिन वाला बोनांजा विमान सफाई करते समय इंजिन चालू करने पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डा) : (क) जी, हाँ ।

(ख) दुर्घटना की जांच की जा रही है ।

(ग) जांच रिपोर्ट में जो सिफारिशें की जायेंगी उनके आधार पर आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जायेगी ।

चावल के उत्पादन का लक्ष्य

3100. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966-67 के लिये चावल के उत्पादन का प्रस्तावित लक्ष्य पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में कम है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह लक्ष्य पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) देश में वार्षिक आधार पर अनाज-वार खाद्य उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करने की पद्धति नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) 1966-67 में खाद्यान्न उत्पादन का समस्त लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति के लिये जो कदम उठाये जा रहे हैं उनके बारे में "कृषि विकास, 1966-67 के कार्यक्रम" नामक पत्रिका जो गत अप्रैल में सदस्यों में वितरित की गई थी, में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है ।

केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था

3101. **डा० श्रीनिवासन :** **श्री म० प० स्वामी :**

श्री मलाइछामी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मण्डपम कैम्प स्थित केन्द्रीय समुद्री मत्स्यपालन अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों में विशेष भत्ते दिये जाने के बारे में असन्तोष बढ़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) **और** (ख) मण्डपम कैम्प स्थित केन्द्री समुद्री मत्स्यापालन अनुसंधान संस्था के कर्मचारियों को विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता मिलता रहा है । इस भत्ते के 31 अक्तूबर, 1965 के पश्चात जारी रखे जाने का स्वीकृति 9 मार्च, 1966 की दी गई थी । उसके पश्चात संस्था के कर्मचारियों में असन्तोष के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

केरल में काली मिर्च तथा अदरक के लिये 'नर्सरी'

3102. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में काली मिर्च तथा अदरक की केन्द्रीय "नर्सरी" स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह 'नर्सरी' कब तक स्थापित हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क) और** (ख) भारतीय मसाला विकास परिषद ने 10 जून, 1966 को हुई अपनी बैठक में केरल राज्य में काली मिर्च तथा अदरक के प्रवर्धन तथा वितरण के लिये एक केन्द्रीय नर्सरी की स्थापना के प्रस्ताव की सिफारिश की थी ।

क्षेत्रीय कार्यालय योजना तैयार कर रहा है ।

केरल में चावल का उत्पादन

3103. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक चावल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(ख) कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया ; और

(ग) यदि इस लक्ष्य-प्राप्ति में कोई कमी रही तो इसके क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) राज्य सरकार ने 1965-66 के लिये अपनी वार्षिक योजना में 14.61 लाख टोंज के लक्ष्य का संकेत किया था।

(ख) तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में उत्पादन 10.06 लाख टोंज था।

(ग) शरद धान के आने की अवधि में कुछ तो अपर्याप्त वर्षा के कारण और कुछ उन्नत बीजों की कमी के कारण उत्पादन कम हुआ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मैकेनिक

3104. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के संधारण विभाग में विज्ञान के स्नातकों (बी० एस० सी०) को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय दसवीं कक्षा अथवा उच्चतर माध्यमिक स्तर तक पढ़े हुए मैकेनिकों की अपेक्षा बड़ा वेतन-मान दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) ऐसे उम्मीदवारों को, जो बी० एस० सी० हैं या जो तकनीकी योग्यता प्राप्त होते हैं, व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर मैकेनिक की नियुक्ति के समय शुरू में अधिक वेतन दिया जाता है। ऐसे सभी मामलों में, सामान्य रूप से, शुरू में अधिक वेतन दिये जाने का प्रश्न कारपोरेशन के विचाराधीन है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के मैकेनिक

3105. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के सन्धारण विभाग में उन मैकेनिकों की संख्या क्या है जिनके पास वायु तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रमाणपत्र/डिप्लोमा हैं और जो विज्ञान के स्नातक हैं ;

(ख) क्या उक्त अर्हता-प्राप्त मैकेनिकों को उन मैकेनिकों के बराबर समझा जाता है जिनके पास इनमें से कोई भी अर्हता नहीं है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे तकनीकी अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को क्या लाभ दिये जाते हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कारपोरेशन के

विभिन्न अड्डों पर इंजीनियरी संगठन में कुछ ऐसे मैकेनिक हैं जो एयर टैक्निकल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त किये हुए हैं। इनकी निश्चित संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है और आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, नहीं। ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है जो अन्यथा आवश्यक अनुभव प्राप्त होते हैं और दूसरी निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

(ग) ऐसे उम्मीदवारों को, जो एयर टैक्निकल इन्स्टीट्यूट और इसी प्रकार के दूसरे संस्थानों से सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त किये हुये होते हैं और जो विज्ञान के स्नातक हैं तथा मैकेनिकों के विभिन्न पदों के लिये निर्धारित न्यूनतम अनुभव प्राप्त होते हैं, उस ग्रेड में शुरू में अधिक वेतन दिये जाने के मामलों पर विचार किया जाता है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में मैकेनिकों की पदोन्नति

3106. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के संधारण विभाग में नीचे के वेतनक्रमों से ऊंचे वेतनक्रमों में मैकेनिकों की पदोन्नति के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ;

(ख) मैकेनिकों को उनके अपने कार्यक्षेत्र में कोई विशिष्ट तकनीकी निपुणता प्राप्त करने अथवा दस्तकारी सीखने के लिये क्या सुविधायें दी जाती है ; और

(ग) क्या एक वेतनक्रम से दूसरे वेतनक्रम में मैकेनिक की पदोन्नति करते समय ऐसे विशिष्ट तकनीकी प्रशिक्षण को ध्यान में रखा जाता है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मैकेनिकों की उनके पदों की वरिष्टता के आधार पर और उपयुक्तता आदि को देखते हुए सीनियर लीडिंग हैण्ड/चार्ज हैण्ड और/ या परीक्षक के पद पर तरक्की की जाती है। भर्ती तथा पदोन्नति के विद्यमान नियमों के अनुसार सीनियर लीडिंग हैण्ड / चार्ज हैण्ड और / या परीक्षकों के पदों पर तरक्की और सीधे भर्ती के लिये निम्नलिखित कोटा निर्धारित किया गया है :—

	पदोन्नति	सीधे भर्ती
1. सीनियर लीडिंग हैण्ड/ चार्ज हैण्ड	75%	25%
2. परीक्षक	50%	50%

(ख) दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई में प्रशिक्षण यूनिटें स्थापित की गयी है जहां मैकेनिकों के लिये उनके कार्यों के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी तकनीकी कुशलता में सुधार के लिये नियमित प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम चलाये जाते हैं। इन प्रशिक्षण यूनिटों में दिये जा रहे प्रशिक्षण बहुत सफल सिद्ध हुए हैं क्योंकि बहुत से मैकेनिकों ने, जिन्होंने इस स्कूल में प्रशिक्षण लिया है, ए० एम० ई० के लाइसेंस की योग्यता प्राप्त की है और लाइसेंस प्राप्त किये हैं। इन मैकेनिकों ए० एम० ई० नियुक्त कर दिया गया है।

(ग) जी, हां। सीधी भर्ती के कोटा के अन्तर्गत उच्चतर नियुक्तियों के लिये उनके

मामलों पर विचार करते समय मैकेनिकों द्वारा प्राप्त किये गये प्रशिक्षण को मान्यता दी जाती है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में मैकेनिकों की नियुक्ति

3107. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के संधारण विभाग में मैकेनिकों की नियुक्ति के लिये इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने किन किन डिग्रियों, डिप्लोमों तथा उड्डयन प्रमाण-पत्रों को मान्यता दी हुई है ;

(ख) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन ने मैकेनिक के रूप में भर्ती तथा पदोन्नति के लिये एयर टैक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के विमान संधारण इंजीनियरी डिप्लोमे अथवा प्रमाणपत्र को मान्यता दी हुई है ;

(ग) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के कितने मैकेनिकों के पास यह प्रमाण-पत्र अथवा डिप्लोमा है ;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इन तकनीकी प्रशिक्षण-प्राप्त व्यक्तियों को अब तक क्या लाभ अथवा प्रोत्साहन दिये गये हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मैकेनिकों की नियुक्ति के लिये विमानन में डिग्री या सर्टिफिकेट की कोई विशिष्ट आवश्यकता निर्धारित नहीं की गई है । फिर भी, कम से कम शैक्षिक अर्हता, मैट्रीक्युलेशन या इसके बराबर की अर्हता और अनुभव निर्धारित किया गया है तथा विमानन में या दूसरे टैक्निकल विषयों में डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है ।

(ख) कारपोरेशन ने एयर टैक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता द्वारा जारी किये गये डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का होना आवश्यक नहीं समझा है । फिर भी, कारपोरेशन ऐसे उम्मीदवारों को तरजीह देता है बशर्ते वे उस पद के लिये निर्धारित दूसरी अर्हताएं और अनुभव प्राप्त हों ।

(ग) आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) कारपोरेशन मैकेनिकों की नियुक्ति के लिये एयर टैक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता तथा दूसरे ऐसे ही संस्थानों द्वारा जारी किये गए सर्टिफिकेटों को तरजीह देता है बशर्ते कि उम्मीदवार आवश्यक व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हों ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

Hindi Route Plates on D. T. U. Buses

3108. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the **Minister of Transport, Avfation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the route plates displayed on D. T. U. buses

indicating route numbers and places of destination are written both in Hindi and English;

(b) whether it is also a fact that during the last one month, some Assistant Inspectors, Drivers and Conductors of Delhi Transport Undertaking were challaned on the ground that the route plates displayed by them on their buses were written in Hindi;

(c) if so, the number of persons challaned; and

(d) the reasons therefor ?

The Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) Yes. The destination plates in English are displayed in front and those in Hindi in the rear of D. T. U. buses. The route numbers are, however, written in International numerals.

(b) No.

(c) & (d) Do not arise.

Roller Flour Mills

3109. Shri Bhagwat Jha Azad : Will the **Minister of Food, Agriculture, Coummunity Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in certain parts the of country, there are no restrictions on the working hours of Roller Flour Mills;

(b) whether these flour mills can sell atta and other products in the open market without any restrictions; and

(c) the reasons for imposing such restrictions in other parts of the country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Govinda Menon): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the table of the House.

पटशन की फसल

3110. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पटसन की फसल के कितनी अच्छी अथवा खराब होने की सम्भावना है ; और

(ख) गत वर्ष जून में कितने एकड़ भूमि में पटसन की खेती की गई थी और इस वर्ष कितने एकड़ भूमि में खेती की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) चालू मौसम के दौरान आसाम में जून, 1966 की बाढ़ों से और उत्तर पूर्व भारत के अन्य भागों में अपर्याप्त वर्षा के पटसन की फसल को हानि पहुँची हैं। इस वर्ष की फसल के उत्पादन के बारे में अभी वास्तविक अनुमान लगाना कठिन है। फिर भी आशा है कि 1966-67 में पटसन का उत्पादन 1965-66 वर्ष की अपेक्षा जबकि 44.85 लाख गाठें हुआ, बेहतर होगा।

(ख) अन्तिम अनुमान के अनुसार 1965-66 के दौरान पटसन की फसल 748.2 हजार हैक्टेयर्स में हुई। इस वर्ष (1966-67) पटशन की फसल कितने क्षेत्र में है इसका अनुमान उपलब्ध नहीं है।

पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले माल पर भाड़े की दरें

3112. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान से पश्चिमी देशों को भेजे जाने वाले माल पर भाड़े की दरें बढ़ाने का निर्णय एक महीने के लिये स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) क्या कुछ सहज प्रभावग्राही वस्तुओं को छूट देने का भी निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कुछ सहज प्रभावग्राही वस्तुओं के लिये विशेष व्यवस्था करने के प्रश्न पर सम्मेलन विचार कर रहा है ।

Abolition of C.D. Blocks in U.P.

3113. **Shri Bade:** **Shri Daji:**

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri S.M. Banerjee:**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to abolish Development Blocks in Uttar Pradesh;

(b) if so, the number of persons who would be rendered unemployed as a result thereof; and

(c) the names of the Departments in which it has been decided to absorb them?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shinde): (a) The Uttar Pradesh Government propose to reorganise the existing C.D. block in the State and consequently reduce their number, The Centre has generally concurred in the proposals.

(b) & (c) Information is awaited from the State.

बेपुर बन्दरगाह

3114. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेपुर बन्दरगाह का विकास करने के कोई प्रस्ताव हैं,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस कार्य पर अगले वर्ष कितनी राशि खर्च करने का विचार है ?

परिवरन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में बेपुर के विकास के लिये राज्य सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इनमें बेपुर दांडा और जलमार्ग का निकर्षण भी शामिल है । चतुर्थ योजना के ब्यौरे फिलहाल योजना कमीशन की सलाह से विचाराधीन है ।

अनाज के संग्रहभाण्डों (सिलों) का निर्माण

3115. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री दाजी :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुछ इंजिनियरिंग एकक अमरीका से प्राप्त संग्रहभाण्डों के नमूने पर अनाज के संग्रहभाण्डों का निर्माण करने के लिये तैयार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अनाज साइलो के निर्माण का प्रश्न अभी भी सरकार के विचाराधीन है। जब कभी भी इस बारे में निर्णय होगा तब टैंडर मंगवाये जाएंगे और ऐसी पार्टियों की पेशकश को ध्यान में रखा जायेगा।

दिल्ली में गोदामों में अनाज भरना

3116. **डा० राम मनोहर लोहिया :** **श्री काशी राम गुप्त :**

श्री राम सेवक यादव : **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये : **श्री स० मो० बनर्जी**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनाज के उन सरकारी गोदाम, जो काफी दूरी पर हैं और जहां अनाज लाने ले जाने में भाड़ा अधिक पड़ता है, हमेशा अनाज से भरे रहते है और निकटवर्ती गोदामों में उतना अनाज नहीं होता,

(ख) गत तीन वर्षों में हर गोदाम में जितना अनाज था उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) अधिक दूरी वाले गोदामों, में अनाज भरने में अधिक भाड़ा खर्च करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) से (ग) दिल्ली में केन्द्रीय गोदामों के तीन ग्रुप अर्थात नरायना (पश्चिमी पटेल नगर) में, सी० टी० ओ० (न्यू पूसा) में और शक्तिनगर में हैं। दिल्ली में गत तीन वर्षों में इन गोदामों के तीनों ग्रुपों में प्रत्येक पर मासिक अवशेष बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6867/66]

इन गोदामों पर स्टाक संचयन क्षमता, आपरेशनल आवश्यकता और रेलवे साईडिंग दोनों मीटर गेज और ब्राड गेज, उपलब्ध हैं अथवा नहीं है, के आधार पर जाता है। संलग्न विवरण से प्रतीत होगा कि यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में सरकारी गोदाम जो कि काफी दूरी पर हैं, निकटवर्ती गोदामों की अपेक्षा हमेशा खाद्यान्नों से भरे रहे।

बीज खरीदने के लिये राज सहायता

3117. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार किसानों को बीज दिये जाने के लिये राज्य सरकारों को राज सहायता देती थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को राज सहायता देना बन्द कर दिया है और इसके परिणामस्वरूप क्या राज्य सरकारों ने भी किसानों को बीज के लिये राज सहायता देना बन्द कर दिया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्तरी क्षेत्र के पहाड़ी भागों के लोग अत्यन्त निर्धन हैं और वे बिना राज सहायता के बीज नहीं खरीद सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें राज सहायता देने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) **और** (ख) सुधरे बीजों के वितरण के लिये राज्यों के कृषि विभागों द्वारा स्वीकृत राज्यों व सरकारी संस्थाओं आदि संस्थानात्मक निकायों को प्रोत्साहन देने के लिये भारत सरकार ने दिसम्बर, 1962 में निर्णय किया था कि तीसरी योजना की शेष अवधि में राज्यों के कृषि विभागों द्वारा प्रमाणित खाद्यान्नों के सुधरे बीजों (शंकर मक्का को छोड़कर) पर 2 रुपये प्रति मन के हिसाब से प्रीमियम दिया जाए जो कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों में बराबर बराबर बांटा जाएगा । जहाँ तक शंकर मक्का व पटशन, मूंगफली तथा कपास के सुधरे बीजों के सम्बन्ध है राज्य सरकारों द्वारा दिया जाने वाला उपदान केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों में बराबर बराबर बांटा जायेगा । यही व्यवस्था 1966-67 में जारी है । चौथी योजना की शेष अवधि में खाद्यान्नों के बीजों पर मिलने वाले उपदान को बन्द करने के बारे में विचार हो रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में उल्लिखिति उपदान (जो इन क्षेत्रों को भी मिलता है) के अतिरिक्त इन क्षेत्रों को कोई विशेष उपदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हुगली नदी के तल से मिट्टी आदि निकालना

3118. **श्री बूटा सिंह :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ सप्ताहों में हुगली नदी में जहाजों के धंसने की कई घटनायें हुई है,

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ महीनों में इस नदी के तल से मिट्टी निकालने के काम का स्तर गिर जाने से ये दुर्घटनाएं हुई हैं ।

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्टीमर इन बढ़ती हुई कठिनाइयों जोखिम तथा संभावित सखतरे के कारण सामान्यतः कलकत्ता बन्दरगाह पर आना नहीं चाहते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं। 5 जून, 1965 को पीरसारंग के निकट वा० पी० रत्ना सोभन के धंस जाने के अतिरिक्त अभी हाल ही के महीनों में कलकत्ता पत्तन में आने वाले किसी जहाज की भयंकर दुर्घटना नहो हुई है।

(ख) हुगली नदी के नौगम्य जलमार्गों में जो दुर्घटनायें होती है उनका नदी के निकर्षण से कोई सम्बन्ध नहीं है। गहराई में कमी के कारण दुर्घटनायें नहीं हो सकती हैं क्योंकि नौगम्य जल-मार्गों की विभिन्न पट्टियों पर उपलब्ध गहराई नियमितरूप से नापी और नौवहन को घोषित कर दी जाती है। जहाज भी अनुमेय गहराइयों के अनुसार ही लादे जाते हैं। गहरे डुबात के जहाज बहुत समझदारी से चलाये जाते हैं और दाड़ों या उथली पट्टियों पर भी पर्याप्त निर्बाधता रखी जाती है। दुर्घटनाओं के कारण, स्टियरिंग गियर और / या मुख्य इंजन का अकस्मात टूट जाना, नौगम्य अधिकारियों के निर्णय करने में मूल, असामान्य तेज ज्वार की दशायें, कुछ कम दिखाई पड़ना, खराब मौसम इत्यादि है।

(ग) जी नहीं। जब से कलकत्ता का पत्तन स्थापित हुआ है तब से नौवहन रुचिवालों को हुगली की नौगम्य दशायें अच्छी प्रकार मालूम हैं। दुर्घटनाओं के भय के कम करने में बहुत सीमा तक आधुनिक युक्तियों और तकनीकी ज्ञान ने साथ दिया है। अब हुगली नदी के नौगम्य जलमार्ग में भवर और बालूचरे में जहाज का भंग होना कभी कभी ही होता है। समुद्र की ओर से पत्तन की तरफ आने में कनहारी आवश्यक है। और जहाज चलाने के लिये पोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की व्यवस्था की जाती है। कलकत्ता पोर्ट अधिकारी नौचालन सेवाओं में द्विमार्गी यातायात तथा अन्य सुविधायें देते हैं। पंद्रह वर्षों पूर्व पत्तन में आने और जाने वाले जहाजों की संख्या 1200 थी जब कि हाल ही के वर्षों में वह 1800 तक बढ़ गई है। साथ ही साथ पोर्ट द्वारा चालित यातायात भी बढ़ गया है। ये तथ्य कलकत्ता पत्तन की पर्याप्त लोकप्रियता सूचित करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हुगली नदी के तल से मिट्टी आदि निकालना

3119. **श्री बूटा सिंह** :
श्री नारायण दाण्डेकर :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से हुगली नदी की गहराई बहुत कम हो गई है और उसके परिणाम स्वरूप कुछ दुर्घटनायें भी हो गई है, और

(ख) क्या कुछ वर्ष पहले विश्व बैंक की सहायता से एक विदेशी कंपनी ने इस नदी से मिट्टी आदि निकालने का प्रस्ताव किया था, ताकि इसकी गहराई 27 फुट की वर्तमान गहराई से बढ़ा कर 35 या 40 फुट की जा सके, जिससे 8000 मीट्रिक टन से बड़े जहाज इस नदी में चल सकते थे और इस प्रकार भाड़े की बड़ी दर कम की जा सकती थी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पिछले पांच वर्षों में मई, जून और जुलाई में हुगली नदी की अधिकतम गहराई इस प्रकार थी :—

वर्ष	मई	जून	जुलाई
1962	24'9"	24'9"	26'0"
1963	27'6"	27'0"	28'3"
1964	26'6"	27'0"	27'3"
1965	27'6"	27'9"	28'3"
1966	27'0"	27'0"	27'6"

इन संख्याओं से पता चलता है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष गहराई अनुकूल थी।

हुगली नदी के नौगम्य जलमार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं का उपलब्ध गहराई से किसी प्रकार का संबन्ध नहीं है। नौगम्य जलमार्ग की विभिन्न पट्टियों में उपलब्ध गहराई नियमित रूप से नापी और नौवहन को घोषित कर दी जाती है। अनुमत गहराई के अनुसार ही जहाज लादे जाते हैं। गहरे डुबाव वाले जहाजों को बहुत सावधानी से चलाया जाता है और दाडों या उथली पट्टियों पर भी पर्याप्त निर्वाधिता रखी जाती है। दुर्घटनाओं का कारण स्टियरिंग गियर का या मुख्य इंजन का अचानक टूट जाना, नौचालन अधिकारियों के निर्णय करने में भूल, असामान्य तेज ज्वार की दशायें, कम दिखाई पड़ना, खराब मौसम आदि हैं।

(ख) पहले भी बूम ड्रेजर की सहायता से हुगली नदी को गहरा करने की विदेशी कंपनी द्वारा बनाई गई योजना की परीक्षा तकनीकी विशेषज्ञों ने की थी किन्तु वह हुगली के लिये उनुपयुक्त समझी गई।

गुलबकावली

3120. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि झीलों, तालों तथा तलाबों से निकाली गई गुलबकावली से "कम्पोस्ट" खाद तैयार की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस खाद से आलू और शकरकन्द जैसी फसलें पैदा की जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क) तथा (ख)** जी हां। राज्य सरकारों को यह सिफारिश की गई है कि यथा सम्भव झीलों, पोखरों तथा तालाबों से निकाली गई गुलबकावली का खाद उत्पादन में प्रयोग किया जाए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों के गड्ढों में और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों में गुलबकावली खाद अच्छी होती है। इस खाद से आलू और शकरकन्द जैसी किसी भी फसल को बढ़ाया जा सकता है।

Agreement between Pakistan and U. S. S. R. to start Air Service through Gilgit

3121. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Yudhvir Singh :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Alvares :

Shri Gauri Shankar Kakkar: **Shri Kishen Pattnayak :**

Will the **Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether an agreement has been reached or is going to be reached between Prkistan and U. S. S. R. to start Air Service which would pass through Gilgit and other parts of Kashmir;

(b) if so, whether Government have sent any protest note to the Governments concerned; and

(c) their reactions ther eto ?

The Minister of Transport, Avfation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy) : (a) Government are not aware of any such agreement.

(b) and (c) Do not arise.

Taichung Native 1 Paddy Crop.

122. Shri Baswant: Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development 3and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Taichung Native-1 Paddy crop in Maharashtra was ready in less than 130 days; and

(b) if so, the acreage of land where this crop had been sown?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shyam Dhar Mishra): (a) & (b) Early flowering of Taichung Native-1 crop has been reported from three Taluks of Ratnagiri District in Maharashtra State viz., Sawantwadi, Vengurla and Kudal. The flowering is only of sporadic nature and has been reported from 16 villages of Kudal Taluk and 6 villages in Vengurla Taluk. It appears to be due mainly to delayed transplantation of seedlings on account of late receipt of monsoon rains. The exact extent of the affected area is not known. A detailed report has been called for from the State Government.

पाकिस्तान-अधिकृत काश्मीर का लोक-सभा में प्रतिनिधित्व

3123. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या विधि मन्त्री 9 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 335 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक-सभा में दिये गये इस सुझाव पर विचार किया है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर को लोक-सभा में प्रतिनिधित्व दिया जाये और इस प्रकार नियत किये गये स्थान उस समय तक रिक्त रखे जायें जब तक कि वह क्षेत्र पाकिस्तान से छुड़ा नहीं लिया जाता और वह भारतीय संघ में फिर से नहीं मिल जाता ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ग) जम्मू-काश्मीर के संविधान की धारा 48 के अधीन यह है कि विधान सभा में के कुल 100 स्थानों में से 25 स्थान तब तक रिक्त पड़े रहेंगे, जब तक कि राज्य का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के कब्जे में है, इस प्रकार उसके कब्जे में नहीं रहता और उस क्षेत्र में निवासी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं कर

लेते । विधान सभा के शेष 75 सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने में यह क्षेत्र अपवर्जित किया जाएगा ।

लोक सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन के बारे में, यद्यपि ऐसा कोई अभिव्यक्त उपबन्ध नहीं किया गया है, तथापि संविधान के अनुच्छेद 81 (2) के (जैसा कि जम्मू-काश्मीर को लागू किया गया है) उप-खण्ड (घ) की अर्थात्, "कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में जिनमें राज्य विभाजित किया गया है वह क्षेत्र समाविष्ट नहीं किया जाएगा जो पाकिस्तान के कब्जे में है" की विवक्षा व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वही है ।

राजस्थान में भुमिगत जल

3123. **क श्री पन्नालाल :** **श्री लखमू भवानी :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री राम हरख यादव :**

श्री बृजबासी लाल :

क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान महाविद्यालय, (साइन्स कालेज) जम्मू के भूतत्वीय विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर राम लाल मेहता के अनुसार, जिन्होंने उस क्षेत्र का हाल में सर्वेक्षण किया है, पूर्वोत्तर राजस्थान में विशाल भूमिगत जलागार विद्यमान हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख) विज्ञान महाविद्यालय साइन्स कालिज जम्मू के भूतत्वीय विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर रामलाल मेहता के अनुसार उत्तर-पूर्व राजस्थान में विशाल भूमिगत जलागार विद्यमान हैं । उनका यह विचार जून, 1966 के दौरान उस क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए निम्नलिखित सर्वेक्षणों के आधार पर है :—

(1) कुओं में पानी की गहराई और उनके द्वारा निरीक्षण किए गए क्षेत्र के देशीय छिद्रण ।

(2) अच्छी अस्थायी पुष्पीय वृद्धि जो प्रो० मेहता के अनुसार भूमिगत जल की उपलब्धता का एक कारण है ।

प्रोफेसर मेहता ने संविधान किया है कि जल संचयों सतह परिस्थितियों का वास्तविक चित्र देना असम्भव है । उनकी रिपोर्ट इस मन्त्रालय में 22 अगस्त, 1966 को प्राप्त हुई, उस पर विचार नहीं किया गया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मन्त्रालय (कृषि विभाग) के अधीन समन्वेषी नलकूप संगठन ने पहले ही पूर्वीय राजस्थान के घाटी वाले क्षेत्रों में समन्वेषीछिद्रणा किये हैं । 21 समन्वेषी वोर खोदे गए । खेत्रो कोपर परियोजना, झुनझुन जिले के समीप एक क्षेत्र को भूमिगत जल के लिए समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा उपयुक्त समझा गया है (10,000 से 15,000 गैलन प्रति घन्टा)

अब तक किये गए सर्वेक्षणों के परिणाम स्वरूप भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण को भी मालूम है कि राजस्थान के उत्तर पूर्वीय भाग में भूमिगत जल के अच्छे संसाधन मौजूद हैं।

औषधियों का वितरण

3123. **ख-श्री अ० व० राघवन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि देश में औषधियों के वितरण के क्षेत्र में सहकारी उपभोक्ता भण्डारों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे भण्डार बनाने के लिये प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : **(क) से (ग)** जी हां। तथापि, सहकारी थोक भण्डारों और विशेष रूप से डिपार्टमेंन्ट स्टोरों को औषधियाँ बेचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं। उनमें से अनेकों ने औषधियाँ बेचनी शुरू भी कर दी हैं। इनमें सुपर बाजार भी शामिल है।

रोके हुए जहाजों की पाकिस्तान द्वारा मुक्ति

3123. **ग-श्री पन्ना लाल** : **श्री विश्वनाथ पांडेय** :

श्री पी० सी बरुआ : **श्री बृजबासी लाल** :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के भारत -पाक संघर्ष में प्रत्येक देश द्वारा रोके हुए जहाजों की अदला बदली के लिये भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी मोटी बात क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख) रोके हुए जहाजों की मुक्ति के लिये भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। फिर भी 'अंडरराइटरों' के साथ परस्परता के आधार पर उनसे जहाजों की अदला बदली करने के लिए बातचीत चल रही है। पाकिस्तान में रुके हुए भारतीय जहाजों को भारत को वापस दिलाने का सुनिश्चियन करने की जिम्मेवारी 'अंडरराइटरों की है।

उड़ीसा में ग्रामदान आन्दोलन

3123. **घ-श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री धुलेश्वर मीना** :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में ग्रामदान आनन्दोलन के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा में ग्रामदान आन्दोलन के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालयमें उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार को ग्रामदान आन्दोलन की सहायता के लिए वर्ष 1963-64 में 0.10 लाख रुपये अनुदान के रूप में तथा 1.505 लाख रुपए ऋण के रूप में और वर्ष 1864-65 में 0.225 लाख रुपए अनुदान के रूप में तथा 1.425 लाख रुपए ऋण के रूप में दिए गए थे।

(ग) राज्य सरकार से जानकरी उपलब्ध की जा रही है और प्राप्त होने पर यथाशीघ्र सुलभ कर दी जाएगी।

श्री जीतपाल के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

RE. QUESTION OF PRIVILEGE AGAINST SHRI JIT PAUL

अध्यक्ष महोदय : 2 अगस्त 1966 को श्री मधु निमये ने अमीन चन्द प्यारे लाल फर्म के श्री जीतपाल द्वारा एक पुस्तिका को जो कि लोक-सभा को भेजने के लिये याचिका प्रतीत होती है, छापने तथा सभा में पेश किये जाने से पहले उसे परिचालित करने के कारण उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था। सम्बद्ध व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा गया था। अपने उत्तर में श्री जीतपाल ने कहा है कि उन्होंने उस याचिका की कोई भी प्रति किसी संसद-सदस्य अथवा किसी अन्य व्यक्ति को डाक द्वारा किसी अन्य तरीके से नहीं भेजी है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह तीन संसद-सदस्यों को आगे कार्यवाही करने के लिये उनका परामर्श लेने के मिले थे और अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण करते हुए उन तीनों को याचिका की एक एक प्रति दी थी। श्री जीतपाल ने आगे कहा है कि वह उन सदस्यों से मिलना गलत नहीं समझते थे और न ही उनका इरादा इन सदस्यों को किसी प्रकार प्रभावित करने का था। उनके दिन में संसद तथा लोक लेखा समिति के लिये अत्यन्त सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि किसी प्रकार यह आभास हो कि मैंने किसी प्रकार अथवा मेरे द्वारा किसी तरीके से सभा का अनादर हुआ है तो मैं बिना शर्त सभा अथवा लोक लेखा समिति से क्षमा मांगने के लिये तैयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा है कि स्टेट्समैन लिमिटेड स्टेट्समैन हाउस, 4 चौरंघी स्क्वेयर, कलकत्ता के वाणिज्य छपाई विभाग में यह याचिका छपी थी।

2 अगस्त, 1966 को श्री भागवत झा आजाद ने भी कहा था कि याचिका बम्बई की "कौर्ट" साप्ताहिक में प्रकाशित हुई है यद्यपि 'करैन्ट' के सम्पादक से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया था। तथापि उन्होंने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि यदि उस दस्तावेज के प्रकाशन से विशेषाधिकार भंग हुआ हो तो वह बिना संकोच खेद प्रकट करने को और हुई गलती को सुधारने के लिये तैयार हैं।

क्या इस क्षमा याचना के पश्चात भी माननीय सदस्य यह चाह चाहते हैं कि इस मामले की जांच की जाये और क्या श्री मधुलिमये इस में मामले अब कुछ कहना चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): A copy of this should also be given to me. I shall reply in writing. I may also be given an opportunity tomorrow to speak because today I do not like to speak extempore.

Mr. Speaker: I will refer this matter to the Privilege Committee to enquire whether any circulation was made by the said firm.

'नवशक्ति' मद्रास द्वारा खेद का प्रकाशित करना

PUBLICATION OF REGRET BY NAVASAKTTI OF MADRAS

अध्यक्ष महोदय : 5 अगस्त, 1966 को सभा ने मद्रास के 'नवशक्ति' के सम्पादक द्वारा प्रकट किये गये खेद को स्वीकार किया था जो कि उस समाचारपत्र के 26 जुलाई 1966 के अंक में प्रकाशित हुए एक समाचार के बारे में था। मामले को समाप्त करते हुए सभा ने यह निर्देश दिया था कि 'नवशक्ति' के सम्पादक से कहा जाये कि वह अपने पत्र के लगातार तीन अंकों में खेद प्रकाशित करे।

सम्पादक का स्पष्टीकरण तथा उनका खेदपत्र 10,11 मौर 12 अगस्त, 1966 के तीन लगातार अंकों में मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित कर दिया गया है। इनकी प्रतियां जानकारी के लिये सम्पादक ने मुझे भेजी हैं। इनको पुस्तकालय में रखा जायेगा।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मुझे प्रसन्नता है कि इस मामले पर संसद ने कामगर रूप से दृढ़तापूर्वक कहा है। सभा को बताया जाये कि पत्र से छापी गई इस क्षमा-याचना का ठीक-ठीक मज़मून किया है ताकि सभा निर्णय कर सके कि इन परिस्थितियों में क्षमा-याचना उचित है।

अध्यक्ष महोदय : क्षमा-याचना पत्र में छपी थी। उसे पुस्तकालय में रखा जायेगा।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ :—

(एक) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति जो दिनांक 13 जनवरी 1966 के दिल्लीराजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 20 (5)/63 दी आर (टी) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6843/66]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनुभाई शाह खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा घटिया किस्म की दियासलाइयां तथा शहद बेचे जाने के बारे में अपना विवरण सभापटल पर रखेंगे।

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस से पूर्व कि माननीय मन्त्री अपना विवरण सभापटल पर रखें मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाता हूँ। जहां तक मुझे पता है सभा में ग्रामोद्योग भवन द्वारा मिश्रित शहद के बेचे जाने के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था और कहा गया था

कि इस पर मुकदमा चल रहा है। मैं नियम 352 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है

"कि बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का विदेश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लम्बित हो।"

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है इसलिये मंत्री द्वारा नहीं दिया जाना चाहिये और न ही वक्तव्य विवरण को सभापटल पर रखा जाना चाहिये। और यदि विवरण सभापटल पर रखा जाता है तो क्या इस मामले पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

———

खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा घटिया शहद तथा दियासलाइयां बेचे जाने के बारे में वक्तव्य

Statement re. Sale of Sub-standard Honey and Matchboxes by Khadi and Gramodyog Bhawan, New Delhi

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): कुछ संसद् सदस्यों ने यह शिकायत की थी कि खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में जो दियासलाइयां विक रही हैं उनकी डिब्बी के उपर उत्पादन शुल्क विभाग की जो पट्टी लगी हुई है उस पर "50 तीलियां" लिखा हुआ है परन्तु वास्तव में उन डिब्बियों में केवल 25 तीलियां दी हैं।

यह भी महसूस किया गया था कि जनता को गुमराह करने का यत्न किया गया है इसलिये इस मामले की पूरी तरह जांच की जानी चाहिये।

वास्तविक स्थिति यह है कि खादी ग्रामोद्योग भवन अथवा खादी आयोग का यह उद्देश्य नहीं था कि पट्टी पर जितनी तीलियां लिखी हैं उससे कम तीलियों वाली दियासलाइयां बेची जावें। इसलिये उन्होंने (डिब्बयों पर रबड़ की मोहर से 25 तीलियां छापा हुआ है। ऐसा इसलिये किया गया है क्योंकि उत्पादन शुल्क विभाग ने ऐसी पट्टी सप्लाई नहीं की है जिस पर 25 तीलियां लिखा हुआ हो। यद्यपि तकनीकी लिहाज से उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक हैतथापि इस प्रकार की सभी दियासलाइयों की बिक्री बन्द करने का आवेश दिया गया है क्योंकि इस प्रकार की बिक्री से गलत धारणा उत्पन्न हो जाने की अशंका थी। यदि उनको इसी संख्या वाली पट्टियों का प्रयोग करना है तो वह डिब्बियों में पुन: '50 तीलियां' भरेंगे।

सभा में खादी ग्रामोद्योग भवन द्वारा घटिया किस्म के शहद की बिक्री के बारे में भी उल्लेख किया गया है। स्थिति इस प्रकार है कि जैसे ही नई दिल्ली नगर पालिका के निरीक्षक ने इस बात का पता लगाया कि भवन में घटिया किस्म का शहद है, नई दिल्ली नगरपालिका ने भवन के प्रबन्धक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया। शहद के वर्तमान भण्डार की विक्री बन्द कर दी गई है। खादी आयोग से यह भी कहा गया है कि वह खादी ग्रामोद्योग भवन के प्रबन्धक को तब तक के लिये छुट्टी पर भेज दिया जाये जब तक की जांच का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

श्री त्यागी (देहरादून) : मैं यह जानना चाहता हूँ कि 25 तीलियों वाली दियासलाइयों को आधी कीमत पर बेचा गया था अथवा 50 तीलियों वाली दियासलाइयों के मूल्य पर ?

श्री मनुभाई शाह : 25 तीलियों वाली दियासलाइयों के मूल्य पर।

Shri Madhu Limaye(Monghyr): I want a clarification whether the price of the matchbox has been increased from 7 paise to 10 paise anb whether the rubber stamphas now been put on the match box because earlier there was no such stamp ? I showed one such match box to you, Sir.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) ; क्या सच यह है कि मूल्य में वृद्धि कर दी गई है। क्या आप इस बात का पता लगायेंगे कि मूल्य 10 पैसे कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : जब यह प्रश्न आयेगा तो हम देखेंगे।

Shri Yashpal Singh (Kairana): I would like to know why this fact is being concealed by the Minister that the seized honey was adulterated. Why the man responsible for this adulteration is not dismissed?

Mr. Speaker: The hon. Member should not ask such questions because this matter is alrcady being looked into and inquiry is going on.

सभापटल पर रखे गये पत्र-जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE CONTD.

केरल सर्वेक्षण तथा सीमाएं नियम, 1964 में कुछ संशोधन करने वाली अधिसूचना

खाद्य, कृषि; सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री वि० सुब्रह्मण्यम) : मैं, राष्ट्रपति के कृत्यों का निवेदन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सर्वेक्षण तथा सीमाएं अधिनियम, 1961 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 285/66 की एक प्रति जो दिनांक 2 अगस्त ; 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल सर्वेक्षण तथा सीमाएं नियम, 1964 मेंएक संशोधन किया गया, सभापटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6844/66]

पंजाब भू-राजस्व (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1966 आदि

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं, राष्ट्रपति द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 5 जुलाई, 1966 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 213 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) पंजाब के राज्यपाल द्वारा 25 जुन, 1966 को प्रख्यापित पंजाब भू-राजस्व (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 4)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-6845/66]

(दो) पंजाब के राज्यपाल द्वारा 1 जुलाई, 1966 को प्रख्यापित पंजाब यात्रियों तथा माल पर करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1966 (1966 का संख्या 5)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-6846/66]

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) : इससे पूर्व की किसी अन्य पद को लिया जाये मेरा एक व्यवस्था तथा स्पष्टीकरण का प्रश्न है ।

कार्य सूची में यह दिया गया है कि अध्यादेश क्रमशः 25 जून और 1 जुलाई को जारी किये गये थे । राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिये राष्ट्रपति की उद्घोषणा 5 जुलाई को प्रख्यापित की गई थी । इसका अर्थ यह हुआ कि उद्घोषणा के प्रख्यापन से पूर्व ही अध्यादेश जारी किये गये थे । उस समय विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था परन्तु उसको भंग भी नहीं किया गया था ।

अब मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 213 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है "कि उस समय को छोड़ कर जब कि राज्य की विधान सभा तथा विधान-परिषद् वाले राज्य में विधान-मण्डल के दोनों सदन सत्र में हों, यदि किसी समय राज्यपाल का समाधान हो जाये कि तुरन्त कार्यवाही करने के लिये उसे बाधित करने वाली परिस्थितियां वर्तमान हैं तो वह ऐसे अध्यादेशों का प्रख्यापन कर सकेगा जो उसे परिस्थितियों से अपेक्षित प्रतीत हों ।

इस अनुच्छेद के खण्ड दो में कहा गया है ।

"कि इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्यपाल द्वारा अनुमत राज्य के विधान मण्डल के अधिनियम का होता है, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश ?

(क) उस राज्य का विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा ।

इसलिये मेरी आपत्ति यह है कि इन अध्यादेशों को सम्बन्धित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए था ।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन अध्यादेशों को, संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुये, संसद सत्र के प्रथम दिन ही सभा के समक्ष क्यों नही रखा गया जबकि दूसरे सात अध्यादेशों को उसी दिन सभा के समक्ष रखा गया था । इन अध्यादेशों को सभा के समक्ष रखने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

तीसरी बात यह है कि संविधान के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई प्रत्येक उद्घोषणा को संसद सत्र के आरम्भ होने से छः सप्ताह में अधिनियम में परिवर्तन करना होता है ।

सरकार ने अभी ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जिसके अन्तर्गत संसद के वे अधिकार जो अनुच्छेद 352 के अनुसार उसे प्राप्त हैं, राष्ट्रपति को दे दिये गये हो । इस बारे में तो हाल ही में अभी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, और समझना चाहिये कि कांग्रेस के भारी बहुमत से वह पास हो जायेगा । परन्तु यह तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि यह सदन के सामने नहीं आ जाता । अतः मेरा निवेदन है कि यह विधेयक और संविधान दोनों ही मेरा समर्थन करते हैं । यह मामला बड़ा महत्वपूर्ण है और मेरा निवेदन यह है कि इसकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । और सरकार को यह बताना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा जो अधिनियम लागू किये गये हैं, क्या उन्हें संसद के समक्ष रखा जायेगा, और क्या सदन को यह अधिकार होगा कि वह इस दिशा में कुछ परिवर्तन करने का सुझाव दे सके । इस बारे

में जो देरी हुई है, उसके बारे में भी मंत्री महोदय को मामला स्पष्ट करना चाहिये । क्यों यह अध्यादेश सभा के पटल पर नहीं रखे गये ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : इस समय मैं माननीय सदस्यों के नोटिस में वह दोनों अध्यादेश लाना चाहता हूँ जोकि राष्ट्रपति ने लागू किये हैं । यह ठीक है कि वे संसद का सत्र आरम्भ होने पर शीघ्रातिशीघ्र पटल पर रखे जाने चाहिए थे । परन्तु वह समय पर आये नहीं थे, और इस काम को पंजाब सरकार ने किया था । अत: अब उसे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है । इस दिशा में समय आने पर कानूनी कार्यवाही भी होगी । इस समय तो इन्हें केवल प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सरकार से इस बारे में पूछा है । यह बात तो है कि इस दिशा में देर हो गई है और इस देरी का स्पष्टीकरण होना चाहिए । आरम्भ में ही इन्हें सभा पटल पर रख देना चाहिये । वैसे तो राष्ट्रपति द्वारा लागू अध्यादेश सभा पटल पर रखे जाते हैं, परन्तु इसका सम्बन्ध क्योंकि राज्य से है । जहां तक अनुच्छेद 213का प्रश्न है, विधान सभा में तो उन्हें प्रस्तुत किया नहीं जा सका यद्यपि इन अध्यादेशों को लागू करते समय विधान सभा का अस्तित्व मौजूद था । वैसे विधान सभा की सारी शक्तियां राष्ट्रपति ने सम्भाल ली है । इसके बाद इस विषय की सारी जिम्मेदारी राष्ट्रपति की हो जाती है । जब मामला सदन के सामने आयेगा तो इन सब बातों पर विचार कर लिया जायेगा ।

खाद्य निगम (सातवां संशोधन) नियम

खाद्य, कृषि, तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शिन्दे) :

मैं निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूँ :—

खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खाद्य निगम (सातवां संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 27 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1188 में प्रकाशित हुये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-4847/66]

अधिसूचनायें

परिवहन तथा उड्डयन मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जयपाल सिंह) : मैं श्री चे० मु० पुनाचा की ओर से निम्नलिखित सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 की धारा 24 के अन्तर्गत नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 जो दिनांक 6 अगस्त, 1966 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या जी० एस० आर० 1206 में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-6848/66]

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी करारोपण अधिनियम 1963 की धारा (24) की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ०

संख्या 123/66 की एक प्रति जो दिनांक 22 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी करारोपण नियम 1963 में एक संशोधन किया गया ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०**-6849/66]

(3) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों) तथा माल पर करारोपण) अधिनियम, 1963 की धारा 20 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 175/66 की एक प्रति जो दिनांक 26 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (यात्रियों तथा माल पर करारोपण) नियम, 1963 में एक संशोधन किया गया ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०** 6850/66]

(4) ऊपर की मद संख्या (6) और (7) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०**-6851/66]

(5) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 166/66 जो दिनांक 19 अप्रैल, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में एक शंशोधन किया गया ।

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 271/66 जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी (राज्य परिवहन उपक्रम) नियम, 1960 में एक संशोधन किया गया ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 272/66 जो दिनांक 19 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया ।

(चार) एस० आर० ओ० संख्या 301/66 जो दिनांक 9 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(6) ऊपर की मद संख्या (9) की (एक) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6862/66]

(7) मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 65/65/एफ० संख्या 68-262/63-65-पत्र० (जे) की एक प्रति जो दिनांक 13 सितम्बर, 1965 के अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अंडमान तथा निकोबार द्वीप-समूह राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा अन्डमान तथा निकोबार द्वार समूह मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(8) ऊपर की मद संख्या (7) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-6853/66]

(9) विमान अधिनियम, 1934 की धारा 14-क के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक एक प्रति तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण :—

(एक) दिनांक 30 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना जी० एस० आर० संख्या 1184 द्वारा शुद्ध किये गये रूप में भारतीय विमान (संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 793 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय विमान (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 28 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 794 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) विमान (तीसरा संशोधन) नियम, 1966 जो दिनांक 16 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1112 में प्रकाशित हुये थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-6854/66]

केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्मलिखित सभा पटल पर रखता हूं :—

राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 278/66 की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे जो दिनांक 26 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल०-टी० 6855/66]

———

लोक लेखा समिति 56वां प्रतिवेदन

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE FIFTY.SIXTH REPORT

श्री श० रा० मुरारका : (झुंझनू) मैं लोक लेखा समिति का 50 वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) के पैरा 4.39 से 4.52 के सरकार द्वारा दिये गये उत्तर के बारे में, जहां तक उसका सम्बन्ध लोहा तथा इस्पात के उस समय के सचिव से, लोक लेखा समिति का 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अभी 56वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । हमें इस प्रतिवेदन के ठीक-ठीक विषय का पता नहीं है । इस सम्बन्ध में सबसे पहले हम यह जानना चाहते हैं कि क्या प्रधान मन्त्री की यह घोषणा आप के निर्देश के अनुकूल अथवा प्रतिकूल थी कि 50वें प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों की जांच कराई जाएगी । दूसरे अब क्योंकि प्रतिवेदन आ चुका है, क्या कल प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित की गई जांच का कार्यक्षेत्र 50वें प्रतिवेदन के मामलों तक ही सीमित होगा अथवा 55वें और 56वें प्रतिवेदनों पर भी विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह यहां संगत नहीं है ।

गोवध पर रोक के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. BAN ON COW SLAUGHTER

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : यह मामला राज्य के अन्तर्गत आता है । विधि मन्त्रालय ने हमें यह परामर्श दिया है कि गोहत्याराज्य सूची के अन्तर्गत आता है । संघ अथवा समवर्ती सूची का यह विषय नही है । संविधान के अनुच्छेद 246 (3) के अन्तर्गत इस बारे में केवल राज्य विधान मंडल ही कानून बना सकते हैं । सभा में 1 मई 1954 को महान्यायवादी श्री सीतलवाड ने भी ऐसा ही परामर्श दिया था ।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद हनीफ कुरीश आदि बनाम बिहार राज्य के मुकदमे इस विषय पर निम्नलिखित कानून निर्धारित किया गया था कि :—

(1) सभी आयु के, गाय बछड़े, भैंसे और घोरे इत्यादि की हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध पूर्णत: तर्क संगत तथा वैध है और यह अनुच्छेद 48 में लिखित निदेशक तत्वों के अनुरूप है ।

(2) भैंसों, सांड़ों और जोते जाने वाले घोरों की हत्या पर पूर्ण रोक तब तक तर्क संगत और वैध है जब तक वे दूध देती है अथवा भार वाहक पशुओं की भांति काम में आते हैं ।

(3) भैंस, सांड़ बैल, और ऐसे पशुओं की हत्या पर जो दूध नहीं देते हो, और जो प्रजनन अथवा अन्य कार्यों में काम नहीं आ रहे हैं, पूर्ण रोक जन हित में तर्क संगत नहीं मानी जा सकती ।

मेरा निवेदन यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित पूर्ण प्रतिबन्ध बिहार, गुजरात

मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र, पुराने मैसूर क्षेत्र में मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर और दिल्ली राज्यों में लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र, आसाम, मद्रास, महाराष्ट्र के भूतपूर्व बम्बई क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल में जवान और लाभप्रद गायों की हत्या पर आंशिक रूप से प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

हम राज्य सरकारों का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 48 की ओर आकृष्ट कर रहे हैं जिसमें सम्बन्धित पतन के बारे में उल्लेख है। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 37 के अधीन निदेशक तत्वों को न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकती, किन्तु उसमें वर्णित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य सरकारों का ध्यान इस मामले की ओर आकृष्ट किया जा रहा है और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें इस ओर समुचित रूप में ध्यान देंगी ;

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: I want to know whether due to special circumstances Government will not leave this matter to the States and take it up themselves?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यह मामला राज्य सरकारों का है, अत: मैं कुछ आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यह पुरानी बात है, और ठीक है कि 1954 मई में महा-अधिवक्ता श्री सीतलवाड ने यह मत सदन के समक्ष रखा था कि यह विषय राज्य के अन्तर्गत आता है। यह बात हमारी समझ में आ रही है। पर यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सब राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार है, क्या उन्होंने कभी राज्य करकारों को यह कहा कि वह लोगों की भावनाओं का ध्यान रखे ;

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैंने अभी हाल में सूची दे दी है और यह भी कहा है कि जहां तक संविधान इस बात की अनुमति देता है राज्यों ने गोहत्या पर रोक लगाई है। पर हम उन्हें कोई आदेश नहीं दे सकते।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : यद्यपि मन्त्री महोदय का वक्तव्य आशातीत नहीं है, फिर भी इसका स्वागत करता हूँ। क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से विचार किया है कि लोगों की भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए इस विषय को समवर्ती सूची में रख लिया जाये ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम संविधान को बदल नहीं सकते, विभिन्न क्षेत्रों के हालात भिन्न-भिन्न है, अत: प्रत्येक क्षेत्र में हालात के अनुसार ही कार्यवाही की जा सकती है।

श्री रंगा चित्तूर : जब सब दल गोहत्या पर रोक लगाने पर सहमत है और पदासीन दल को भी यह स्वीकार तो रोक नहीं लगाई जाती।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : खेद इस बात का है कि मामला चुनावों के निकट उठाया जा रहा है। हमने सारा मामला मुख्य मंत्रियों के नोटिस में ला दिया है।

श्री हेम बरूआ (गोहाटी) : जम्मू और काश्मीर में यह रोक गत 14 वर्षों से लगी है। वहां इसे राजनीति अथवा धार्मिक प्रश्न नहीं बनाया जाता। क्यों नहीं केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई एकरूप नीति अपनाने का प्रयास करती ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हम राज्य विधान मंडलों को इस प्रकार का कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यह दायित्व राज्यों का है और हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): Before the dawn of Independence certain promises were made regarding future policies. It was stated that reorganisation of provinces would be done on legislative basis, zamindari will be abolished and cow slaughter will be banned. But today cows are being slaughtered. Let me point out that about 18 thousands of saints of India have requested the Government to ban the cow slaughter. At the same time cow slaughter should be banned from emotional and economic point of view also. My submission is that Central Government should do something in this direction.

Shri Rameshwaranand (Karnal): It is wrong to state that imposing a ban on cow slaughter comes under the jurisdiction of the states. This is a matter which concerns the whole country.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : हमें संविधान के अनुसार चलना है, और उसके अन्तर्गत इस विषय का उत्तर दायित्व राज्य सरकार का है। हम उन पर प्रभाव तो डाल सकते हैं, परन्तु बाध्य नहीं कर सकते। हमने इस पर मुख्य मंत्रियों से भी चर्चा की है और मुझे आशा है कि वे सब इस मामले पर विचार करेंगे।

Shri Hukam chand Kachhavaiya: Sir, the Constitution should be amended.

Shri Rameshwaranand : Sir, I want that my question should be answered.

Mr. Speaker: Swamiji, you are obstructing the proceedings. I name you and request you to leave the House;

श्री सत्य नारायण सिंह : (संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री) : क्या आपने उन्हें नाम से पुकारा है

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

Shri Rameshsharanand: I will go out but I want that my question should be answered. If you wantme to be killed, I am prepared for that also. When lakhs of cows are being slaughtered, my death is nothing as compared to that.

इसके बाद श्री रामेश्वरानन्द उठ कर चले गये

Shri Rameshwarananb then left the House

Shri Maurya (Aligarh): Sir, I rise on a point of order.

Mr. Speaker: Let me finish the work, that I am doing. There is no point of order in that.

Shri Maurya: Sir, the hon. Minister has said that we are not responsible for this. It is a State subject. You will see, Sir, that all our activities are guided by the Directive Principles enunciated in our Constitution. I request that Government should pass legislation keeping these principles under Article 48 of the Constitution in view. Is it not the responsibility of Central Government to implement the Directive Principles.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar): The Constitution has been amended many times. The ban on cow slaughter concerns the entire country. The Constitution should be amended for this purpose.

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : यदि आप राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची या केन्द्रीय सूची में लाना चाहते हैं तो राज्य विधान मंडलों को पहले इस बारे में संशोधन के लिये सहमत होना होगा। मैं नहीं समझता कि इसके लिए संविधान में संशोधन आवश्यक होगा।

Shri Tyagi (Dehra Dun): Almost all the states have banned the cow slaughter. Why do the Central Government not pass legislation in this regard. Moreover, I want to know whether Government is doing any thing for those cows which have outlived their utility?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : बेकार हो गये पशुओं के लिये गोशालाएं बनाने का हमारा एक कार्यक्रम है।

स्वर्णकारों की मांगों के बारे में

RE. DEMANDS OF GOLDMITHS

अध्यक्ष महोदय : श्री भगत कल एक वक्तव्य देंगे।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, it is a very important subject and the statement should be made today.

श्री ब० रा० भगत (वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री) : संसद के दो सदस्यों के साथ अखिल भारतीय स्वर्णकार संघ के प्रतिनिधि मुझे मिले थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कुछ मांगे रखी। मैंने उनकी मांगे वित्त मंत्री तक पहुँचा दी है। वह उनपर विचार कर रहे हैं।

Shri Hukum Chand Kachhavaiya: We want to know the decision of Government.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : लोगों की मृत्यु हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह विषय बहुत दिनों से चला आ रहा है। हमें बताया गया था कि इस बारे में शीघ्र ही निर्णय की घोषणा कर दी जायेगी। अब कहा जा रहा है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे निराशा होना स्वाभाविक है।

श्री ब० रा० भगत : मुझे कहा गया था कि स्वर्णकारों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के बारे में वक्तव्य दूं। स्वर्ण नियन्त्रण आदेश एक अलग प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस भ्रम में था कि यह स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के बारे में है।

श्री हरि विष्णु कामत : (होशंगाबाद) श्रीमान जी, आपको याद होगा कि शुक्रवार को सभा के नेता ने सदन में व्यक्त किये गये विचारों से सहानुभूति व्यक्त की थी। यह भी कहा गया था कि सभा में एक वक्तव्य दिया जायेगा। मैं समझता हूँ कि सभा को गुमराह किया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : हम बहुत दिनों से यह प्रश्न उठा रहे हैं। सभा के नेता ने भी स्वर्णकारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। आपने भी कहा था कि थोड़े ही दिनों में एक वक्तव्य दिया जायेगा। मेरा आप से अनुरोध है कि आप सरकार को आदेश दे कि वह वक्तव्य दे। देश भर में आंदोलन चल रहा है और अनशन किये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार इस बारे में कोई वक्तव्य दे रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): श्रीमान जी इस सम्बन्ध में प्रतिदिन मेरे समक्ष नारे लगाये जाते हैं स्वर्ण नियन्त्रण का विषय आर्थिक नीति का विषय है । इसे शीघ्रता से बदला नहीं जा सकता । मुझे स्वर्णकारों के बहुत से प्रतिनिधि मंडल मिल चुके हैं । उनकी मांगे कई प्रकार की है। उनपर विचार हो रहा है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि इस विषय पर यहां पर चर्चा हो तो हमें भी अपने विचार व्यक्त करने होंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकार इस बारे में चर्चा होने से सहमत है तो मैं उसकी आज्ञा दे दूंगा।

श्री शचीन्द्र चौधरी : हमने इस बारे में विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की है। उसे शीघ्रता से अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। हमें आप दो तीन दिन का समय दें। अगले महीने की दो या तीन तारीख ठीक रहेगी।

श्री रंगा (चित्तूर) : इस बारे में कांग्रेस की कार्य कारिणी समिति की बैठक में शायद विचार होगा। पार्टी ने भी अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया। अब एक समिति नियुक्त कर दी गई है। क्या वह लोगों को मारना चाहते हैं। इस बारे में आप ने जो चिन्ता व्यक्त की है हम आप के प्रति आभारी हैं। इस बारे में सभी सहमत है कि स्वर्ण नियन्त्रण समाप्त होना चाहिये। सरकार को शीघ्र ही निर्णय करना चाहिये।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मन्दसौर) : माननीय मंत्री की बात से पता चलता है कि वह स्वर्ण नियन्त्रण आदेश को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं। इसी कारण एक समिति की नियुक्ति की गई है। इस बारे में समूचे देश में मांग की जा रही है कि स्वर्ण नियन्त्रण आदेश समाप्त कर दिया जाये। सरकार को पहले यह आदेश समाप्त करना चाहिये और उसके बाद समिति नियुक्त की जानी चाहिये।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : सरकार को इस बारे में शीघ्र ही निर्णय कर लेना चाहिये। हमें बताया जाये कि क्या 2 या 3 तारीख तक सरकार अपना निर्णय कर लेगी।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार निर्णय करने में इतना समय क्यों लगाती है। इस बारे में न केवल यहां पर बल्कि बम्बई के कांग्रेस के अधिवेशन में भी आशा बंधाई गई थी। अब कांग्रेस पार्टी पर यह ज़िम्मेदारी है कि इस बारे में दिया गया आश्वासन पूरा करे।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : एक प्रश्न स्वर्ण नियन्त्रण को हटाने का है। दूसरा प्रश्न यह है कि स्वर्णकार संसद भवन के सामने कई दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि जब तक स्वर्ण नियन्त्रण आदेश के हटाने का निर्णय नहीं लिया जाता, विशेष रूप से स्वर्णकारों की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार कार्यवाही करे ताकि एक गम्भीर स्थिति से बच जायें जब कि बहुत से लोगों की जिन्दगी का प्रश्न है।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) श्रीमान जी, सरकार को इस विषय के सभी पहलुओं पर

विचार करने के बाद अपना निर्णय शीघ्र देना चाहिये। मैं इस आदेश को समाप्त किये जाने का समर्थन करता हूँ।

श्री वासुदेवन नायगर (अम्बलपुजा) : हम नहीं चाहते कि इस विषय को 7 या 8 दिन बाद लिया जाये। बहुत से स्वर्णकार संसद भवन के बाहर अनशन किये हुए हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मन्त्री इस बारे में एक दो दिन में अपना वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : देश में किसी भी प्रकार के आंदोलन तथा अनशन पर हमें ध्यान देना चाहिये परन्तु इस प्रकार दबाव डालना उचित नहीं है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : सरकार स्वर्ण नियन्त्रण को समाप्त करने की मांग के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं तो कई प्रकार की कठिनाईयां खड़ी हो जायेंगी। आप को चाहिये कि हड़ताल करने वालों से मिलें और उनको अपनी सहानुभूति के बारे में बतायें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, you know that about two hundred and fifty goldsmiths have comitted suicide. This has been stated here time and again. You are already aware of that. Today there are many persons on hunger strike along with Shri Anil Basu. Shri Morarji Desai, the first author of Gold Control Act agrees that the purpose of the Act has heen forfeited and it should be repealed. The Government should, therefore, take decision immediately on this matter.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर विचार करने के लिये मुझे कुछ समय दिया जाये और इस पर चर्चा करने के लिये 3 तारीख नियत की जाये। जिन लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है, उनके साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। इसे उनके प्रतिनिधि जाकर बता सकते हैं और उन्हें हड़ताल खत्म करने के लिये राज़ी कर सकते हैं।

अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी शर्तों के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. SERVICE CONDITIONS OF TEACHERS

शिक्षा मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : सरकार अध्यापकों की सेवा सम्बन्धी अनेक मांगों से अवगत है। अध्यापकों के संगठनों के दृष्टिकोण से अध्यापकों का एक सा वेतनमान रखने का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि देश में अध्यापकों के वेतनमान एक समान नहीं है। एक ही राज्य में विभिन्न संस्थाओं के अधीन अध्यापकों के वेतनमान भी एक जैसे नहीं हैं। उदाहरण के लिये, राज्य सरकार के अधीन सेवा कर रहे अध्यापक का वेतनमान कुछ है और स्थानीय बोर्ड के अधीन उसी पद पर सेवा कर रहे अध्यापक का वेननमान कुछ और है।

सरकार ने वेतनमानों में समानता लाने के प्रश्न पर भी विचार किया है। जांच करने पर पता चला है कि देश भर में अध्यापकों के लिए एक-जैसा वेतनमान रखना सम्भव नहीं है। देश के विभिन्न भागों में अध्यापकों के वेतनमान कई बातों पर निर्भर करते हैं। जैसे अध्यापकों का उपलब्ध होना, राज्य की सेवा में तालन पदों के वेतनमान और इन सब से ऊपर, राज्य के वित्तीय संसाधन। इन्हीं कारणों से पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों

के अधीन काम करने वाले अन्य श्रेणियों के सिविल कर्मचारियों के वेतनमानों में भी एकरुपता नहीं है।

शिक्षा आयोग ने अन्य बातों के साथ साथ अध्यापन व्यवसाय सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार किया है और उन्होंने निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें की है :

1. अध्यापकों के आर्थिक, सामाजिक और व्यवसायिक पद को उठाने के लिए प्रोत्साहन और लगातार प्रयत्न की आवश्यकता है।
2. अध्यापकों, विशेषकर स्कूल स्तर पर, के वेतन को ऊंचा करना बहुत जल्दी आवश्यक है।
3. भारत सरकार स्कूल के अध्यापकों के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारित करे तथा समान अथवा ऊंचा वेतनमान निश्चित करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करे।
4. विभिन्न संस्थाओं के अधीन काम करने वाले स्कूल अध्यापकों के वेतन समान होने चाहिये।
5. प्रत्येक राज्य में समानता का नियम राज्य नीति के रूप में अपनाया जाये परन्तु इसकी पूरी क्रियान्विति को, यदि आवश्यक हो, पांच वर्षों में पूरा किया जाये।

यह निश्चय किया जा चुका है कि इस सम्बंध में सरकारी कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले शिक्षा आयोग की इन तथा अन्य शिफारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड से परामर्श लिया जाये।

भारत सरकार का हमेशा यह दृष्टिकोण रहा है कि हर स्तर पर अध्यापकों की सेवा की शर्तें तथा उनकी अहर्ताएं सुधारी जायें। राज्य सरकारों को दी गई सलाह के परिणामस्वरुप कई राज्यों में अध्यापकों के वेतन में वृद्धि कर दी गई है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल तथा केरल राज्यों ने अध्यापकों के वेतन बढ़ा दिये हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि तीसरी योजना में प्रारम्भिक और माध्यमिक अध्यापकों के वेतनों में सुधार करने के लिये क्रमश: 8.34 करोड़ रुपयं और 3.03 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे जब कि राज्य सरकारों ने क्रमश: लगभग 22.94 करोड़ रुपये और 14.63 करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : काफी पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान बढ़ाये थे किन्तु 6,000 से अधिक अध्यापकों को बढ़े हुए वेतनमान नहीं दिए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ताकि अध्यापकों में क्षोभ का और कोई कारण न हो ?

श्री मु० क० चागला : शिक्षा एक राज्य विषय है और इसका उत्तरदायित्व राज्य पर है। मैं राज्य को परामर्श दे सकता हूं किन्तु उसे वाध्य नहीं कर सकता।

जहां तक इसे समवर्ती सूची में लाने का सम्बंध है, ऐसा करने के लिए राज्यों के बहु-

मत की आवश्यकता है । अब तक केवल पंजाब राज्य सहमत हुआ है । इस मामले में माननीय सदस्य पश्चिम बंगाल की सरकार को लिखें ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारें माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों अथवा प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों का वेतन सीमित संसाधन के कारण नहीं बढ़ा सकती हैं और उन्होंने अध्यापकों की दशा सुधारने के लिये कुछ वित्तीय सहायता के लिए केन्द्र से अपील की है । यदि हां, तो चौथी योजना की अवधि में केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी राशि दी गई है या दी जाने की आशा है ।

श्री मु० क० चागला : अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि के लिए चौथी पांच-वर्षीय योजना में कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है । हमने निष्कर्ष निकाला है कि यह मामला राज्यों द्वारा सम्पन्न किया जाना चाहिये । जहां तक संसाधनों का सम्बंध है, जैसे वह सिविल कर्मचारियों का वेतन देते हैं, उसी प्रकार अध्यापकों को वेतन देने का उत्तरदायित्व भी राज्य सरकार का है ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : अध्यापकों की अवस्था बहुत खराब हो चुकी है । सरकार इस पूरे मामले पर फिर से विचार करें जिससे इन लोगों को कुछ आशायें बंधाई जायें । मंत्री महोदय इस सम्बंध में कुछ अधिक ठोस कदम उठायें ।

श्री मु० क० चागला : महाविद्यालय और विश्व विद्यालय के अध्यापकों के वेतनों के बारे में मैंने कुछ ठोस काम किया है । प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों की स्थिति कुछ भिन्न है । यह कई राज्यों का मामला है और इस पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होंगे । राज्यों की तरह हमारे संसाधन भी सीमित हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि अकतूबर की बैठक में हम इस पर अवश्य विचार करेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The Centre should insist upon the States to consider the question of Secondary Teachers and this question should be a condition for the aid that is given by the Centre to different States for education during the Fourth Five-Year Plan.

The Secondary education has become a trade these days. Thousands of teachers are appointed on temporary basis so that they may not earn an increment and salary for the vacation is not paid to them. This matter should be examined and the grievances of the teachers must be redressed. The Central Government should recommend some measures for improving the lot of these teachers and their assistance to the States for this purpose should be linked with those recommendations.

श्री मु० क० चागला : योजना विकास कार्यों के लिये बनाई जाती है । अध्यापकों के वेतन विकास कार्य में नहीं आते । अध्यापको को अच्छे वेतन देना राज्यों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है । राज्य सिविल कर्मचारियों का वेतन दे सकते हैं तो अध्यापकों के वेतन भी देने चाहिये । केन्द्र से सहायता मांगना एक अलग प्रश्न है और इसका योजना से कोई सम्बंध नहीं । शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हमने वही दृष्टिकोण लिया है और इसके लिए मैं उचित कारण दूंगा । यह अध्यापकों के हित में है कि उनके वेतन योजना का अंग न बनें ।

———

अनुपूरक अनुदानों की मागें (सामान्य) 1966-67—जारी

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1966-67—CONTD.

श्री त्यागी (देहरादून) : 218.93 करोड़ रुपये की अनुपूरक मांगों का मुख्य कारण अवमूल्यन है। इस रकम में से 6.21 करोड़ रुपये की रकम अवमूल्यन के कारण राजदूतावासों तथा मिशनों को अतिरिक्त अदा की जायेगी। दो करोड़ रुपये रेलवे को जायेंगे और अवमूल्यन के कारण कमी को पूरा करने के लिए रुपया प्रतिभूतियों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को 203 करोड़ रुपये जायेंगे। अनुपूरक मांग में सामान्य व्यय के लिये कोई रकम नहीं रखी गई। ऐसा होते हुये भी हमने अवमूल्यन के प्रतिरोध कोई सख्त कार्यवाही नहीं की। हलांकि अवमूल्यन के बाद अनुवर्ती कार्यवाइयों के बारे में बात चीत बहुत हो रही है फिर भी अभी तक वित्त मंत्रालय ने इस ओर एक भी कदम नहीं उठाया है।

[**उपाध्यक्ष-महोदय पीठासीन हुये**
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

घाटे की वित्त व्यवस्था विना रोक थाम के हो रही है। पिछले वर्ष राज्यों में 188 करोड़ रुपये और केन्द्र में 180 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार कुल 368 करोड़ रुपये की घाटे की वित्त व्यवस्था पिछले वर्ष की गई। इस वर्ष कितनी घाटे की वित्त व्यवस्था की जायेगी ?

सरकार को कमखर्ची करने के लिये कुछ ठोस उपाय काम में लाने चाहिए। अत्याधिक प्रचार नहीं होना चाहिये ; वह अधिकतर फिजूलखर्ची होता है। आर्ट-पेपर पर छपने वाले प्रकाशनों और फोटो चित्रों आदि सभी को रोक दिया जाना चाहिये।

आज कल हम केवल दिल्ली में ही लगभग 15,000 सरकारी टेलीफोनों पर 45 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च कर रहे हैं। यह खर्च कुछ कम किया जाना चाहिये। स्टाफ कारों का एक 'पूल' बनाया जाये जिससे उनका पूरा प्रयोग हो सके। भवन-निर्माण कार्य तुरंत बन्द किया जाना चाहिए। इन दिनों जब कि सीमेंट का अभाव है हमें सीमेंट इमारतें बनाने में बरबाद नहीं करनी चाहिये।

इसके पश्चात् प्रतिनियुक्ति भत्ते का प्रश्न है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को एक कार्यालय से दूसरे में स्थानान्तरित किये जाने पर प्रतिनियुक्ति भत्ते के रुप में 25 प्रतिशत की वृद्धि दी जाती है। मेरा सुझाव है कि इस प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिए। दौरों पर भी काफी खर्च होता है। दौरे यथा संभव कम किये जाने चाहिये।

योजना आयोग पर प्रतिवर्ष लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च आता है और इस खर्च में भी कटौती की जानी चाहिए।

हम 290 करोड़ रुपये के खाद्यान्नों का आयात करते हैं। इस आयात पर आज शर्तें भी लगाई जाती है। इसलिए खाद्यान्नों के आयात में कमी की जानी चाहिए। खाद्य-आयात पर हम जितना खर्च करते हैं उसकी आधी रकम सिंचाई योजनाओं तथा कृषि-विकास कार्यों पर खर्च कर सकते हैं जिससे हमें जल्दी ही लाभ होगा।

श्री अल्वारेस (पंजीम) : अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप सरकार को नई वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमें अनुसरणात्मक कार्यवाहियों पर विचार करना है और इस सम्बन्ध में उन दो विशिष्ट उपबन्धों पर विचार करना है जो इन अनुपूरक मांगों में किये गये हैं और जिनमें से पहला मंहगाई भत्ता आयोग के सम्बन्ध में है।

सरकार ने मंहगाई भत्ता आयोग के स्वविवेक को सभी प्रकार की प्रतिबन्धात्मक शर्तें लगा कर सीमित कर दिया है। यह न्यायोचित नहीं है। मंहगाई का निराकरण ऐसा किया जाना चाहिये जो स्वयं सिद्ध हो और जो स्वयंमेव हो जाये। सरकार को चाहिये कि गजेन्द्रगडकर आयोग के विचारार्थ-विषयों को उदार बनाये ताकि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के ऊंचे निर्वाह-व्यय का निराकरण करने में उक्त आयोग पूर्ण न्याय कर सके। दूसरी बात यह है कि निराकरण को केवल 400 रुपये तक ही सीमित रखना न्यायोचित नहीं है अतः सरकार को उक्त आयोग को यह छूट दे देनी चाहिये कि वह 700 रुपये के वेतन तक निराकरण कर सकता है जैसा कि पिछली बार वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ तय किया गया था।

तीसरी बात यह है कि देश में मजदूर वर्ग वेतन वृद्धि पर रोक को स्वीकार नहीं करेगा। समृद्ध देश में तो वेतन-वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है किन्तु जिस देश में मजूरी सामान्य स्तर से पहले ही कम हो, वहां वेतन-वृद्धि पर रोक की बात करना तो बिलकुल ही हास्यास्पद है। किन्तु उत्पादक का प्रश्न महत्वपूर्ण है और अवमूल्यन के संदर्भ में इस स्थिति पर विचार करने के लिये प्रधान मंत्री को सब मजदूर संघों का एक सम्मेलन बुलाना चाहिये जिसमें इस बात पर विचार किया जाये कि उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है और शर्त यह रहे कि अधिक उत्पादन तथा ऊंची मजूरी को कुछ अनुपात में सम्बद्ध कर दिया जायेगा।

देश के सामने सबसे महत्वपूर्ण तथा अत्यावश्यक प्रश्न खाद्य उत्पादन का है और आम तौर पर उत्पादकता का प्रश्न है। अवमूल्यन के पश्चात् हमें जो काम तत्काल करना चाहिये, वह यह है कि देश और सरकार की आर्थिक व्यवस्था पर एक प्रकार का आर्थिक अनुशासन लागू किया जाये, देश में सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी क्षेत्रों में वित्तीय अनुशासन भंग करने के लिये बहुत हद तक सरकार को दोषी ठहराया जा सकता है।

निर्मित मुद्रा के तरीके से, घाटे की अर्थ व्यवस्था से तथा एकाधिकार नियंत्रण से देश की अर्थ व्यवस्था ऐसी हो गई है कि मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर काबू पाना सरकार के लिये कठिन हो गया है।

अवमूल्यन के पश्चात् सरकार तथा निगम क्षेत्र को वित्तीय तथा मुद्राविषयक अनुशासन लागू करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु इस ओर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेरा सुझाव यह है कि सरकार के लिये यह उपयुक्त होगा कि वह उस 203 करोड़ रुपये की राशि को रोक ले जो वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी तथा विश्व बैंक को अप्रक्राम्य प्रतिभूतियां (नौन-नेगोशिएबल सिक्यूरीटीज) के रूप में देती है। अगले दो वर्ष की अवधि में वह इस धनराशि को परिचालन से वापस ले ले ताकि वह (सरकार) धीरे-धीरे अपस्फीति की नीति की ओर चल पड़े।

देश में आज काला धन ही नहीं अपितु काफी मात्रा में सोना भी छिपा पड़ा है। देश में 4,000 करोड़ रुपये के मूल्य का सोना प्रारक्षित है। सरकार को इस सोने के कम से कम कुछ भाग को तो इकट्ठा करने के लिये गंभीर रूप से प्रयत्न करना चाहिये। यदि ऐसा किया गया, तो भुगतान शेष की हमारी सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी और इसके अलावा हम अपने वित्तीय तथा मुद्रा विषयक सौदों में जिम्मेदारी लागू कर सकेंगे।

श्री शिंकरे (मरमागोआ) : चूंकि भारत सरकार द्वारा तीन वित्तीय संस्थाओं को दिया गया चन्दा रुपये प्रतिभूतियों के रूप में था इसलिये फिर ऐसी कौन सी बात है जिसने भारत सरकार को उन संस्थाओं से यह अनुरोध करने से रोक रखा है कि वह हमारा चन्दा पहले की दर से लेते रहें ताकि यहां अधिक मुद्रा स्फीति न हो ?

मांग संख्या 25, 96 तथा 137 का सम्बन्ध उस कोर्ट फीस से है जो सरकार की ओर से तीन हारे हुए मुकदमों के कारण देय हो गई है। हमें यह बताया जाये कि क्या इन तीनों मुकदमों में सरकार ने उचित सावधानी बरती थी खासकर उस समय जब उसे मुकदमे का अन्तिम नोटिस मिला था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री व० रा० भगत) : जब हमने विनिमय की नई दर अपनाली है तब हम इन सम्बन्धित वित्तीय संस्थाओं को दिये जाने वाले अंशदान के बारे में पुरानी दर नहीं रख सकते। दर तो एक ही होगी चाहे वह देश के लिये हो अथवा विदेश के लिये। दो दर संभव नहीं हैं।

जहां तक तीन मुकदमों का सम्बन्ध है मैं इसी समय तो इस बारे में जबाब दे नहीं सकता, किंतु माननीय सदस्य को सूचना दे दी जायेगी।

जहाँ तक कच्छ राज्य के भारत में विलय सम्बन्धी प्रवेश संलेख (इन्स्ट्रुमेन्ट ऑफ ऐक्सेशन) का प्रश्न है, जिसे इस सभा में नाट्कीय ढंग से उठाया गया था, मूल दस्तावेज भारत सरकार के कब्जे में है। माननीय सदस्यों ने अवमूल्यन के पश्चात् अनुसरणात्मक उपायों की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में शंका व्यक्त की है। सभा को विदित है कि इस समय सरकार को बहुत भारी खर्च उठाना पड़ रहा है और घाटे की अर्थ व्यवस्था भी इस समय अभूतपूर्व है। जहां तक घाटे की अर्थ व्यवस्था का सम्बन्ध है; हम इसे न केवल समाप्त करने के लिये ही प्रयत्नशील हैं अपितु हमने इसके विपरीत दिशा में भी पग उठाये हैं और खर्च में कमी करने का हर सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

खर्च में कमी करने के बारे में वास्तविक कार्य यह किया गया है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति यह जांच कर रही है कि खर्च में कितनी कमी कर सकना सम्भव है और उक्त समिति इस महीने के अन्त तक अपना पुनरीक्षण समाप्त कर लेगी।

प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय से भी इसी प्रकार पुनरीक्षण करने को कहा गया है ताकि यह कार्य लगातार चलता रहे। सरकार ने नये भवन न बनाने का भी निश्चय कर लिया है।

यह धारणा कि सरकार अवमूल्यन की अनुसरणात्मक कार्यवाही नहीं कर रही है, गलत है। सरकार अपनी पूरी शक्ति से अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही कर रही है। क्योंकि यदि हमने

ऐसा नहीं किया तो अवमूल्यन करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। सरकार ने राजस्व व्यय में 3 प्रतिशत की कटौती, पूंजी व्यय में 5 प्रतिशत की कटौती तथा सम्पूर्ण रूप से 10 से 15 प्रतिशत तक की कटौती करने की घोषणा की है।

अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही में केवल खर्च में कमी करना ही काफी नहीं होगा। हमें अपने सरकारी क्षेत्र के कारखानों को ठीक प्रकार से काम में लाते हुए अधिक साधन जुटाने होंगे। हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं, यह कहना ठीक नहीं है कि मंहगाई भत्ते आयोग का "विचारार्थ विषय" कर्मचारियों के विरुद्ध हैं, जैसा कि सदन को पता है कि इस आयोग की नियुक्ति के बाद आर्थिक स्थिति बिलकुल बदल गई है। इसलिए जब यह कहा जाता है कि आयोग सब मामलों पर विचार करेगा तो इसका अर्थ यह है कि वह उन दशाओं पर भी विचार करेगा जिनमें निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की बढ़ते हुए मूल्यों को सहन करने की क्षमता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त इस आयोग ने विचारार्थ विषयों के अनुसार अभ्यावेदनों पर भी विचार करना स्वीकार कर लिया है। जहां तक विचारार्थ विषयों का सम्बन्ध है, वे अंतिम है और सरकार उनमें कोई परिवर्तन नहीं करेगी।

यह कहा जाता है कि मूल्य ऊंचे हैं और राजकीय सहायता दी जानी चाहिए। राजकीय सहायता का अर्थ होगा लोगों पर फिर से अधिक बोझ। जहां तक अच्छे चावल का सम्बन्ध है, उसमें कोई राजकीय सहायता नहीं है। राज्य सरकारें भिन्न-भिन्न मूल्य लेती हैं क्योंकि वे कुछ चावल तो देश के भीतर से ही खरीदती हैं, कुछ चावल विदेशों से आयात किया जाता है और उसी के आधार पर वे मूल्य लेती हैं। राज्य सरकारें इसमें कोई मुनाफा नहीं कमाती, मोटे चावल के लिये राजकीय सहायता दी जाती है और इस कारण हम काफी धन खर्च कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभी कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखे जायेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : (कानपुर) कटौती प्रस्ताव संख्या 6 मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध है अतः उस पर अलग से मतदान लिया जाये।

कटौती प्रस्ताव संख्या 6 पर लोक सभा में मत विभाजन हुआ और पक्ष में 20 तथा विपक्ष में 91

The Lok Sabha divided :

Ayes 20

Noes 91

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The cut motion was negatived

अन्य सभी कटौती प्रस्ताव सभी के मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the other cut motions were then put and negatived

अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 6, 16, 17, 23, 30, 34, 35, 66 और 117 पर सभा

में मत-विभाजन हुआ—पक्ष में 93, विपक्ष में 21 ; तदनुसार निम्नलिखित मांगें पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

मांग संख्या	मांग का नाम	अनुपूरक मांग की राशि
		रुपये
6	रक्षा सेवायें,--सक्रिय-नौसेना	80,00,000
16	वैदेशिक कार्य	3,73,41,000
17	विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,47,29,000
23	लेखापरीक्षा	9,50,000
30	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,21,000
34	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय	3, 85,000
35	कृषि	41,65,000
66	लोहा और इस्पात मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,00,00,000
117	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	2,03,60,79,000

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के तेरहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव (जारी)

MOTION RE : THIRTEENTH REPORT OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (CONTD.)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमती मा० चन्द्रशेखर द्वारा 18 अगस्त, 1966 को पेश किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे विचार करेगी।

"कि यह सभा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त के वर्ष 1963-64 के 13 वें प्रतिवेदन पर जो 12 अप्रैल, 1966 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

श्री बाल्मीकी अपना भाषण जारी रखें।

Shri Balmiki (Khurja): Mr. Deputy Speaker, Sir, the sense of social equality in a society is the most vital factor for its uplift and advancement. It is necessary to create a sense of social equality and affinity among all the sections of the people in the country. We cannot achieve desired success in our Five Year Plans unless and untill we develop this quality. Untouchability, which is the most suffocating social evil in our society still exists today and could not be eradicated. It is, absolutely necessary to take such measures, may be stringent ones, as may completely eradicate all the existing social evils lest they might lead to serious developments, contrary to the interest of the national and sentimental integrity. The amounts allo-

cetad for the uplift of backward classes in plans were and are not fully spent. This happens because State Governments mostly ignored Central directives and district officials ignore the instructions of State Governments. The Government should take special steps to ensure that funds allocated for them are fully utilised. Then only it will be possible to improve the lot of backward classes who are still ill-fed and ill-clad.

Harijans should be given preference in technical and academic education and in agriculture. More money should be provided for all these purposes.

Harijans are prepared to leave their customary rights but for that they should be given proper compensation, Atleast 20 crores of rupees should be spent on this work. The persons who are immediately prepared to leave this work should be given five thousand rupees in the form rehabilitation grants. New schemes should also be chalked out to promise employment to such persons. In this connection some special programme should be included in the Fourth Five Year Plan.

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा-पूर्व) : यह बात कुछ अजीब सी लगती है कि हमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग के 15 वें प्रतिवेदन की बजाय 13वें प्रतिवेदन पर चर्चा करने को कहा जा रहा है जो कि वर्ष 1963-64 के सम्बन्ध में हैं। स्वयं सरकार को इस पर विचार करने में दो वर्ष लगे हैं। इसी से प्रतीत होता है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की किस प्रकार उपेक्षा कर रही है।

प्रति वर्ष अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त एक प्रतिवेदन देता है जिसमें कुछ सिफारिशें भी की जाती हैं। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि सरकार इन सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करती है। इस प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि पहले दी गई सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

यह दुख तथा शर्म की बात है कि आजादी के 19 वर्ष बाद तथा आजोजन के 15 वर्ष पश्चात भी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 950 लाख लोगों की दशा अत्यधिक असह्य हो गई है। इन लोगों की स्थिति सुधारने के लिये न तो केन्द्र और न ही राज्य सरकारों ने कोई ठोस कार्यवाही की है। तीन पंचवर्षीय योजनाओं में इन लोगों के सुधार के लिये यद्यपि 200 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये तथापि इस ओर प्रगति न के बराबर है।

यह सही है कि सरकार ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिये कानून बनाया है। परन्तु क्या इससे अस्पृश्यता दूर हो सकी ? इस प्रतिवेदन में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि निचली जाति के लोगों को उन कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी जाती जिनसे तथाकथित ऊंची जाति के लोग पानी भरते हैं। पंचायत में भी अनुसूचित जाति के सदस्यों को तथकथित ऊंची जाति से सम्बन्ध रखने वाले पंचायत के सदस्यों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी जाती।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लोग हमारे समाज में आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से सबसे अधिक पिछड़े हुए हैं। इनमें से अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर हैं परन्तु उनके पास भूमि नहीं है। इनमें से कुछ लोग वनों में काम करने वाले भी हैं। महाजनों द्वारा इन लोगों का बहुत शोषण किया जा रहा है। इन वर्षों में सरकार इन लोगों को अच्छा रोजगार देने तथा कृषि के लिये भूमि देने में असफल रही है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी इन लोगों की अधिक प्रगति नहीं हुई है। प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस मामले में भी सरकार न्यूनतम लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता रही है। मुझे बताया गया है कि होस्टलों में रहने वाले अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को केरल सरकार द्वारा घर से अपना राशन लाने के लिये कहा गया है। क्या इन जातियों की सहायता करने का यह एक तरीका है।

त्रिपुरा में आदिम जाति लोगों के भूमि सम्बन्धी अधिकारों की सुरक्षा के लिये ढेबर आयोग ने यह सिफारिश की थी कि त्रिपुरा के कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाये। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की बजाय त्रिपुरा सरकार महाराजा के समय में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूची से हटाने के बारे में सक्रिया रूप से विचार कर रही है। महाराजा के राज्य में त्रिपुरा में आदिम जातियों के आरक्षित क्षेत्र थे और महाराजा का यह आदेश अभी तक रद्द नहीं किया गया है। परन्तु सरकार अब इसको हटाने के बारे में विचार कर रही है। त्रिपुरा के आदिम जाति लोग इस बात को सहन नहीं करेंगे और इसके विरोध में यह लोग अगरतल्ला में 30 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं।

1947 में त्रिपुरा में आदिम जातियों का बहुमत था। वास्तव में त्रिपुरा को आदिम जातियों की परम्परागत भूमि कहा जाता था। परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि आज यह लोग अल्पसंख्यक बन गये हैं और कभी यह लोग दूसरे लोगों को संरक्षण देते थे परन्तु आज स्वयं उन्हें ही संरक्षण की आवश्यकता है।

मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि संविधान की पांचवी अनुसूची को त्रिपुरा पर भी तुरन्त लागू किया जाये तथा आदिम जाति के समूचे क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाये और इन क्षेत्रों में सभी अनुसूचित आदिम जातियों को जिन्हें राष्ट्रपति के आदेशानुसार त्रिपुरा की अनुसूचित आदि जातियों स्वीकार किया गया है समान सुविधायें प्रदान की जायें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो त्रिपुरा की आदिम जातियों के लोगों को निकट भविष्य में भूमि से पूर्णतया बेदखल कर दिया जायेगा।

झूम काश्त का समूचा क्षेत्र वन संरक्षण के अधीन किया जा चुका है। इससे झूम की काश्त बिल्कुल बन्द हो गई है और सारे झूम लोग बेरोजगार हो गये हैं। प्रति वर्ष कई झूमी भुखमरी से मर जाते हैं। इस बारे में देबर आयोग ने जो सिफारिश की थी उसको भी सहकार द्वारा कार्यान्वित नहीं किया गया है।

यह बड़े दुख की बात है कि सरकार समाज के कमजोर वर्ग की रक्षा करने की बजाय जब कभी अवसर पाती है इन आदि जाति लोगों को परेशान करती है। आदिम जातियों तथा गैर आदिम जातियों के बीच भूमि संबंधी झगड़ों की कई घटनाएं हुई हैं। उनमें से लगभग सब में आदिम जाति के लोगों को तंग किया गया है। पुलिस द्वारा उनको पकड़ा गया तथा उनको भूमि से हरा दिया गया है जहाँ वे लोग कई वंशों से आबाद थे।

आसाम की आदि जातियों के लोगों की पृथक पहाड़ी राज्य की मांग वैध तथा सवर्था

उचित है । सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आदिम जाति के लोगों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । आसाम में जितनी जल्दी पृथक पहाड़ी राज्य बना दिया जायेगा राष्ट्रीय एकता के लिये उतना ही अच्छा होगा ।

Shri Sheo Narain (Bavei): The present struggle in the country is not between the so-called high and low castes but it is between the rich and the poor. The present minister is a staunch socialist and I hope that he will do his best to remove the disparity. But no one can change the psychology or the mentality of the people overnight; it will definitely take some time and we should hope for the best.

So far as the matter of providing employment to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is concerned Government should see that the quota reserved for them is completely filled.

Government should also provide proper amenities and facilities to the school going children of these classes. Government should not only give higher education but educated persons of these classes should be appointed at high posts otherwise there would dissatisfaction amongst them.

We know that Government is sincere in its intentions but the officials who are responsible for implementing the policies are efficient enough. Government should pay more attention in this respect.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I would like to draw the attention of the Government to an area where the religion of the Tribal people is being changed by the Christian missionaries. It is a fact that Government is spending money for their welfare but they are not getting the benefit which should have accrued to these people.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुये
SHRI SHYAM LAL SARAF *in the Chair*]

These missionaries are spending crores of rupees in these areas whreas the money alloted by the Government is not spent properly School, college and Hospital facilities are not available to these people.

Government should make a study of the problems of the Tribals and other people of backward classes and every possible action should be taken to see that the religion of these people is not changed. Discriminatory treatment is being meted out to the Scheduled Caste people in the Government offices of the so called high castes are spoiling the character rolls of the Scheduled Castes people working under them so that they may not get promotion. All these things should be avoided. Quota reserved for these castes should be filled in fully. In Ministries and administration the employees belonging to Chamar Caste outnumbers those belonging to other scheduled castes and as a result thereof other castes do not develop as much as the Chamar. This is not reasonable. The Government should enquire into the matter and ensure that members of other scheduled castes may also enjoy the same benefits so that there is equal development of all scheduled castes.

We want to bring Harijans and others at par with other castes. But that is not possible so long as discrimination is there. Unless the problem of Harijans such as poverty, unemployment and illiteracy are solved they cannot be brought at par with other castes. Hence, we should chalk out a programme to provide Harijans with as much facilities as possible.

The report of Locur Committee is a bogus one. We should not implement it. The Harijans and people belonging to Backward classes had not participated in this Committee. The Government should take this fact into account that Harijans are so backward that they have neither land nor shelter. Such Harijan cultivators who don't have land should be provided with land.

The Harijans are not employed in the Ministries according to the schedule laid down for them. Their number is negligible in the Ministry of External Affairs. The progress made in the work done for the development of Harijans and other Backward classes is very slow and should be expedited.

Shri Kajrolkar (Bombay Central) : The Report for the year 1963-64 has come up for discussion in this House after three years. That shows how our Government machinery is slow towards the upliftment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I hope that our Minister, Shri Ashok Mehta, who believes in Socialistic pattern of society, will help in overcoming the difficulties in this connection. The Deputy Minister, Shrimati Chandrasekhar, has also done a lot of work for the upliftment of Harijans. But delay in submitting a report has been caused because of the illness of the Commissioner for Scheduled Castes. The Government should do something in this connection. It is only in this department that this much delay has been tolerated.

We had attained independence nineteen years ago. Mahatma Gandhi and other Hindus had given an assurance that Harijans, Adivasis and other Backward Classes will be brought at par with other castes. With that end in view Untouchability Offences Act was enforced. But the object of that law has not been achieved. The reason for this is that the officials responsible to implement it are 'Swarand Hindus' who do not want to take any action. Effort should be made to implement this law. The population of Harijans is about 7-8 crores. Only 101 cases have been filed and 30 have been decided so far.

The students of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not get scholarshi time. Hence, the very purpose of scholarships is defeated. Efforts should be made that they get scholarships in the begining of the academic year.

The landless Harijan labourers should be provided with land. The Scheduled Caste people involved in cases of land disputes of various types should be given legal assistance. In the absence of such assistance, it is difficult to expect that full justice will be done to these people.

Government should take suitable steps to meet the demand of these people for studies abroad. More hostels should be opened for the Harijan Girls. Adequate amount should be provided for the development of these people. Government should also make up the deficiency especially in services.

Adequate arrangements should be made during the Fourth Five Year Plan to make available drinking water in the Harijan colonies.

Shri Maurya (Aligarh): The doubt of Dr. Ambedkar that the exploited communities will not be able to prosper was after Independence proves to be true if we look at the present state of affairs.

I will take first of all the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Acoording to the 1961 census report the population of the country was 43 crores and

92 lakhs. Out of this the population of Scheduled Castes was 4 crores and 44 lakhs and that of Scheduled Tribes three crores. Now, according to proportional increase the population comes to about 50 crores. On the basis of this population the population of scheduled castes comes to about 8 crores of scheduled tribes to about 3 crores. If we add the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes it comes to about 11 crores.

But the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been shown less at page 161 of this report. Even if we take this Report as correct the population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes will be more.

The reservation of posts for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been based on the figure which it should be enhanced according to the latest figures available. The reservation based on their population in the centre as well as in the States, should be 22.5 percent.

Now I would like to give some information regarding the posts filled up by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

In the permanent Central Government Services there were 8,830 Class II officers in 1963. Out of them the number of the Scheduled Castes people was only 151. In the category of class II there were 13, 981 officers and the number of scheduled caste people was 391. So was the case of class III officers. This number was also proportionately less.

The percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in temporary Government services has also been gradually reducing.

In the I. A. S., I. P. S., and I. F. S., the posts are not filled up from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes according to percentage fixed.

Justice has not been done to them even in promotions. They have been superseded. In Railways 86, in the Ministry of Defence 81, in the Ministry of Finance 43 persons have superseded them.

Apart from that there are some Ministries where there is no officer belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Government should pay proper and special attention about their representation in services.

I would not like to say much in case of defenc services because there is no reservation there. But I am sorry to state that even there their number has declined by 67 percent, Either they have been superseded or retrenched. Now I would like to say something about the landless labourers. Seventy percent landless labourers belong to scheduled castes and scheduled tribes. Even now about two crore acres of land are lying unculivated in our country. No survey has so far been made in our country about the barren land. Therefore, I would suggest that some survey should be made in that direction so that we may know about the availability of such land. This land should be distributed amongst the Scheduled castes and Scheduled tribes.

I will now come to the education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The percentage of educated people in India is 24 percent and out of them the percentage of Scheduled Castes is 10.29 and that of Scheduled Tribes 8.54. That shows that they have not been able to get education side by side with other people. The Government should pay special attention about their education. Free and compulsory education upto High School should be provided to the children of scheduled castes and scheduled tribes.

Now I will come to their housing problem. It would have been better had Shri Khanna been there at this time. It is these people who come from villages and construct these palatial buildings in the cities but they don't have any place to live at. Government should pay attention to their housing problems also.

Untouchability is still in existence in our country. One Gazetted officer belonging to the Scheduled Caste was beaten by a clerk merely on the ground that he was occupying the chair being a chamar. Untouchability should be put on end to in a free country like India. Otherwise its consequences can be ruinous. If we want to maintain democracy in the country we should do away with this evil. The scheduled castes and scheduled tribes are being treated as slaves for a pretty long time. If this sort of state of affairs is not put an end to then there is every possibility of a dangerous situation being created in the country.

I will now say something about Bastar and Bande. Those people who have ruled in this contry have demanned a separate state. They have remained slaves for only two hundred years. What about us who have been treated as slaves for thousands of years.

The recommendations of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not very good. Government should either implement them or the post of commissioner should beabolished.

Shri Tula Ram (Sonbarsa) : It has been provided in the Constitution that special facilities will be given to the Backward Classes to uplift them. We have also resolved that we will march forward towards socialism. But the fact is that three Five Year Plans have beencompleted but we have not gone much headway in this direction.

I don,t believe in casteism. Accordsing to me there are only two classes; the rich and the poor.

I want to know whether the problem Harijans is not a national problem. Is is not a blot on the face of the country? Is it not a challange to the nation as a whole ? Can we do without solving this problem ? We are not following the path shown by Mahatma Gandhi.

I don't say that laws are not framed to remove untouchability. But they are not implemented. Untouchability is mostly prevalent in rural areas. Harijans cannot enter the temples there. They are still treated as slaves in villages.

India is predominantly an agricultural country. Our seventy percent population depends upon agriculture. The agricultnral labourers are mostly Harijans. Though much efforts have been made to improve their lot yet no improvement has taken place. We have not been able to raise their standard of living. Efforts should be made to raise their standard of living.

A Member of Parliament was compelling the Harijans for forced labour in the Darbhanga District of Bihar. The Harijans are still being exploited by such cruel persons. In case I protest an attempt is being made to murder me. I was charged of abrogating the poor. I want protection from the Government though I fear I will not be able to get it.

The Harijans can improve their lot in case Government provides educational facilities to them. Government should spend more on their education.

I was submitting another thing on the floor of this House. Government is creating a feeling of isolation by providing a separate hostel for Harijans. They have an inferiority complex in this way. They should be allowed to live in common hostel.

Th Harijans should be given land to construct houses for themselves. They should also be provided drinking water facilities with immediate effect.

There is unemployment amongst educated Harijans. The result is that they don't send their children to school. Government should make efforts to provide them with suitable jobs.

Shri Mate (Tikamga h) : The Harijans have not been provided with any special facilities duri ng the last 19 years and, therefore, they have not made much progress in improving their vot. They are still being treated as untouchables. Separate wells are constructed for them in villages even now. Unless and until this sort of treatment is not checked we cannot remove untouchability in the country.

The financial condition of Harijans and Adivasis is still very deplorable. They don,t have any source of regular income. Government should give them land and money if they want to do something for them sincerely.

Harijans and Adivasis are not allotted lands though Government have issued such orders. But such orders are not implemented. The amounts allocated for the welfare and uplift of Harjsans and Adivasis are not utilised for the specific purposes for which they were earmarked.

In regard to employment also, these people are being neglected. They do not get any employment in institutions like hospitals etc. because they do not have enough money to offer as bribe.

विमान निगमों के बारे में आधे घन्टे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISCUSSION RE ; AIR CORPORATIONS

श्री दाजी (इन्दौर) : मैं एयर इंडिया इंटरनेशनल से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे में 9 अगस्त के प्रश्न से उत्पन्न हुई बातों पर चर्चा उठाना चाहता हूँ। मैं आरम्भ में यह आश्वासन दे देना चाहता हूँ कि हम सरकारी क्षेत्र की इस निगम पर कीचड़ उछालना नहीं चाहते। हम इस बात की सराहना करते हैं कि यह निगम विदेशी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा के बावजूद अच्छा काम कर रहा है हमारा यह चर्चा उठाने का इरादा केवल यही है कि इस निगम के कार्यकरण में जो भी त्रुटियां हैं वे दूर हो जायें और यह देशोंकी नजरों में चढ़ें। इसलिये इस बारे में कोई विवाद नहीं है मैं सीधे प्रश्न पूछूंगा ताकि उनके सीधे उत्तर प्राप्त हो सकें ।

क्या यह सही नहीं है कि एक प्रबन्धक को जिसे उसके विरूद्ध चल रही जांच के कारण निलम्बित कर दिया गया है 75 प्रतिशत वेतन विर्वाह भत्ते के रूप में दिया जा रहा है जबकि सामान्य नियम 50 प्रतिशत या इसके लगभग वेतन देने का है ? निदेशकों को यह शक्ति प्राप्त है कि वे विशेष मामलों में 75 प्रतिशत वेतन दे सकते हैं। परन्तु यह शक्ति उस अधिकारी के ममले में क्यों प्रयोग में लाई गई जिसे गम्भीर अनियमितताओं के कारण निलम्बित कर दिया गया है ? पिछली बार मन्त्री महोदय ने कहा था कि इस बारे में जांच की जायेगी। दूसरे, यह कहा गया था कि एक अधिकारी की भर्त्सना की गई है। मैंने प्रश्न काल में कहा था कि उस अधिकारी के विरूद्ध गम्भीर आरोप है और उसे भर्त्सना करके ही छोड़ देना काफी नहीं है मन्त्री महोदय ने कहा था कि कितना दण्ड दिया जाना चाहिए इस बारे में विचार नहीं किया जा सका क्योंकि निगम ने प्रत्येक बात पर विचार कर के एक निर्णय कर लिया है। यह एक साधारण मामला नहीं है। वह एक वरिष्ठ

अधिकारी है और उसने बहुत से निममों का उल्लंघन किया है। उसने सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने उस माल का ब्यौरा भी नहीं दिया था। उसने कहा था कि वह बारूद गलती से आ गया था और उसे वापिस कर दिया जाना चाहिये। इसे उस विमान की माल सूची में भी नहीं दिखाया गया था। एयर इंडिया कारपोरेशन के वारिष्ठ अधिकारियों की जाली नामों में माल बुक करने की आदत बन गई है और बाद में कोई व्यक्ति उन्हें छुड़ाने से लिये नहीं आता है अब प्रश्न यह है कि क्या उसे वापिस लौटा दिया गया था, अथवा नहीं ? यह स्पष्ट रूप से तस्करी का मामला है।

तीसरें, हांगकांग में एक अधिकारी ने एक लाख से अधिक हांगकांग डालरों की धोखादेही की है। उसे अन्य मामलों में भी पकड़ा गया है। मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि उसके विरूद्ध अभियोग चलाया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं कि क्या उसके विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा हैं अथवा क्या वह हांगकांग में जेल में बन्द है ? क्या उसके अलावा उसके पीछे एक पूरा गिरोह काम कर रहा है और क्या विदेशी मुद्रा की तस्करी का पता लगा लिया गया है अथवा नहीं और यदि हां तो कैसे ?

एयर इंडिया कारपोरेशन के ध्यान में एक छोटा परन्तु सिद्धान्त का मामला आया था। उन दिनों सभी मन्त्रियों को 5 पौन्ड मूल्य की विदेशी मुद्रा ले जाने की अनुमति थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कुछ व्यक्तियों के पारपत्र देखने की आदत बना ली और जिस किसी मन्त्री ने विदेशी मुद्रा जारी नहीं कराई थी उसकी विदेशी मुद्रा वह जारी करा लेता था। यह मामला उस समय पकड़ा गया जब किसी विदेशी यात्री को यह ध्यान आ गया कि उसने विदेशी मुद्रा जारी नहीं कराई थी जबकि काउन्टर से उसे यह पता चला कि उसे विदेशी मुद्रा जारी कर दी गई थी। उस अधिकारी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी परन्तु उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। इससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा की तस्करी किस प्रकार की जा रही है।

इसी प्रकार 'पी' प्रपत्र के मामले में मन्त्री महोदय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सात अधिकारी जिम्मेदार पाये गये हैं उनमें से चार नोकरी में हैं और तीन नोकरी छोड़ चुके हैं। इसलिये उन तीन अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकती। परन्तु मै यह जानना चाहता हूँ कि शेष चार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और उन्हें क्या दण्ड दिया गया है। क्या इस बारे में कोई जांच की गई थी ? मैं ये सब तथ्य जानना चाहता हूँ।

लोक लेखा समिति ने अमीन चन्द प्यारे लाल फर्म के मामले में ये विचार व्यक्त किये हैं कि लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के बहुत से अधिकारी सेवानिवृत्ति, छंटनी, नौकरी से निकाले जाने आदि के बाद अमीनचन्द प्यारेलाल फर्म में काम करते पाये गये हैं। इसी प्रकार सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति को अमीनचन्द प्यारेलाल का एक बीजक हाथ लगा था जो तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को रूरकेला इस्पात कारखाने की दरों से 15 रुपये प्रति टन कम दर से पेट्रोल पाइप बेचे जाने के बारे में था जबकि एकमात्र वही कारखाना यह पाईप बनाता है। यह किसी को नहीं सूझा कि ऐसी सूरत में एक गैर-सरकारी फर्म कैसे इतनी कम दर का टेन्डर भेज सकती थी। टेन्डर अमीनचन्द प्यारेलाल का था। घोटाला यह था उन्होंने रूरकेला इस्पात कारखाने के विक्रय अधिकारी से सांठगांठ करके अच्छी पाईपों को रद्दी घोषित कराया

और उन्हें रद्दी के भाव में खरीद कर तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को सप्लाई किया। जब विक्रय अधिकारी के बारे में पूछताछ की गई हो अब उत्तर प्राप्त हुआ है कि वह अमीनचन्द प्यारेलाल कम्पनी में एक वरिष्ठ अधिकारी है चूंकि उसने त्यागपत्र दे दिया था इसलिये उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आगे के लिये सेवा की शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन किये जाने चाहिये जिससे कि किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में सन्देह होने पर उसका त्यागपत्र स्वीकार न किया जा सके। अन्यथा वह त्यागपत्र देकर साफ बच निकलेगा। उसकी कोई अमानत सरकार के पास होनी चाहिये जिसको जब्त करने का अधिकार सरकार को हो। मैं तो यहां तक कहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी के परिवार की तथा गैर-सरकारी कम्पनी की सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जानी चाहिये।

इससे एक बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होता है। इन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध जो जांच की गई है हम उससे सन्तुष्ट नहीं हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ अधिकारी ईमानदार तथा नेक हैं और हम उनकी प्रशंसा करते हैं परन्तु आजकल वातावरण ही ऐसा हो गया है कि सरकारी अधिकारी एक-दूसरे की सहायता करने में ही अपनी भलाई देखते हैं। श्री बख्शी, श्री पटेल तथा श्री रुस्तमजी जैसे उच्च अधिकारियों की एयर इंडिया के एक अन्य अधिकारी द्वारा जांच किये जाने से सारे अपराध प्रकाश में नहीं आ सकते। इसलिये हम चाहते हैं कि उनकी स्वतंत्र रूप से तथा एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति द्वारा जांच कराई जानी चाहिये। मंत्री महोदय ने इसे बार यह कहकर टालने की कोशिश की है कि सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने हाल ही में इस मामले की जांच की है और इसलिये और जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य होने के नाते मैं कहता हूँ कि उस समय हमारे सामने ऐसी कोई चीज नहीं लाई गई। हमने केवल विमान निगमों की कार्य प्रणाली की जांच की थी। यदि इस समिति द्वारा ही जांच कराई जानी है तो इसे यह काम सौंप दिया जाये और समिति का सभापति इस मामले की जांच आरम्भ कर देगा।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : एयर इंडिया के कर्मचारियों में ऐसे कर्मचारियों की प्रतिशतता क्या है जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं ? क्या यह पता लगाना सम्भव है ?

लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन में दिया हुआ है कि ट्रेवल एजेंटों को 30 लाख रुपये कमीशन दिया जाता है। मुझे नहीं पता कि इसमें इंडियन एयरलाइन्स भी शामिल है अथवा नहीं। यह दो वर्ष पहले की बात है। हो सकता है कि नये मंत्री जी को इसका पता न हो। इंडियन एयरलाइन्स का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है और इसे ध्यान में रखते हुए इतनी अधिक राशि कमीशन के रूप में दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Was a mere reprimand of the officer, who was involved in smuggling of ammunition, enough ? Do such traitors not deserve severe punisment.

Shri Madhu Limye (Monghyr) : The hon. Minister stated on the last occasion that Mr. Uppal is in the employment of this corporation. But it is not a fact. He has tendered his resignation and he did not come to give evidence in Mr. Bakshi,s case. He stated that he was not under the corporation's discipline.

I again want to raise a question about the former General Manager Mr. Patel. Did he ever declare before the corporation or any other department that his son was a dependent relative of his though he was drawing more salary than him. I want a clarification in this respect. The transfer of Mr. Patel to Air India International was not an adequate punishment.

So far as this practice of resignation is concerned, after resigning from Hindustan Steel Mr. Bakshi has joined the firm of Amin Chand Pyarelal as their legal advisor. He has an astonishing hold over Steel Ministry and the Steel Controller's office.

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : मैं विशेषकर पी-प्रपत्र के घुटाले के बारे में प्रश्न करना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मन्त्री जी यह बहाना बना रहे हैं कि कुछ कागजात गुम हो गए है और इसलिये इस मामले की अच्छी तरह जांच नहीं की जा सकती। मैं जानता हूँ कि सरकारी कागजात के नष्ट किये जाने के बारे में क्या नीति अपनाई जाती है। क्या कागजात एक अथवा दो वर्ष के लिये भी नहीं रखे जाते।

श्री संजीव रेड्डी (परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मन्त्री) : मैं श्री दाजी के इस कथन के लिये उनका आभारी हूँ कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की ख्याति को क्षति नहीं पहुँचाई जानी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि सभी सदस्यों ने रचनात्मक सुझाव दिये हैं। यदि कहीं कोई गलती है, तो मैं अपने माननीय मित्रों को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि न ही तो सरकार और न ही निगम किसी व्यक्ति को शरण देना चाहता है, परन्तु उन्हें सजा देने में कुछ समय लग सकता है।

यह कहा गया है कि निलम्बित अधिकारी को 75 प्रतिशत भत्ता क्यों दिया जा रहा है। निगम ने इसपर विचार किया था और नियमों के अन्तर्गत निगम को 100 प्रतिशत तक देने का अधिकार है। परन्तु यदि यह मान भी लिया जाये कि वह 75 प्रतिशत के हिसाब से आंका जाता है तो भी वह केवल 50 प्रतिशत.....

सभापति महोदय : निर्वाह भत्ता ?

श्री संजीव रेड्डी : जी हां। अब जांच पूरी हो गई है और कुछ दिन पहले उस अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है।

बारूद सम्बन्धी मामला पिछली बार मेरी जानकारी में लाया गया था और मैंने उसकी जाँच की थी। उसे अमरीका में किसी दोस्त ने यहां के एक अधिकारी को भेजा था। वह यहां वाहन नियमों के अनुसार लाया गया परन्तु असैनिक उड्डयन महानिदेशक की अनुमति नहीं ली गई थी। उसे यहां स्वीकार नहीं किया गया और इसलिये उसे वापस भेज दिया गया। वह बारूद खतरनाक नहीं होता है ; उससे बत्तखों आदि का ही शिकार किया जाता है।

Shri Madha Limaye : It has not been sent back.

श्री संजीव रेड्डी : मैं यह माने लेता हूँ। मुझे वही सूचना दे रहा हूँ जो मुझे अधिकारियों द्वारा दी गई है। उसके अनुसार वह वापस भेज दिया गया है। परन्तु माननीय सदस्य कहते हैं कि उसे वापस नहीं भेजा गया है। मैं इसकी आगे जांच करूंगा और यदि अधिकारियों ने मुझे गलत जानकारी दी है तो उन्हें इसके लिए जिम्मेदारी ठहराया जायेगा।

जहां तक हांगकांग स्थित कार्यालय में हुये घोटाले का सम्बन्ध है, लगभग 1,50,000 रुपये का घुटाला हुआ है। लेखा कार्यालय में एक चीनी नागरिक ले लिया गया था। इसका गत जनवरी में पता लगा। यहां से अधिकारी गये और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसने यह घोटाला किया था। वह जेल में 9 मास की सजा भुगत रहा है। निगम के पास उसके लगभग 8000 रुपये थे और इस राशि को जब्त कर लिया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिये एक भारतीय लेखापाल नियुक्त कर दिया गया है।

पी-प्रपत्र के बारे में बार बार शिकायतें की गई हैं। यह सही है कि पिछले वर्ष बहुत सी अनियमितताएं हुई थी। उनका पता लगाया गया और कुछ लोगों को दण्ड दिया गया। पी-प्रपत्र बिना यात्रा करने वाले व्यक्तियों की एक सूची भी सभा पटल पर रखी गई थी।

श्री दाजी (इन्दौर) : क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री संजीव रेड्डी : निदेशालय ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा है।

अब नियमों को कड़ा कर दिया गया है जिससे लोग पी-प्रपत्रों का दुरुपयोग नहीं कर सकते यही कारण है कि पिछले वर्ष से अब तक ऐसा कोई मामला हमारे ध्यान में नहीं लाया गया है।

एयर इंडिया में देश तथा विदेश में कुल मिलाकर 7000 कर्मचारी हैं। इसलिये यदा कदा कुछ अनियमितताएं हो सकती हैं। हमें इस निगम के प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिये जिसे विश्व के विभिन्न भागों में इतने सारे व्यक्तियों को नियंत्रण में रखना होता है। जब भी किसी अनियमितता का पता लगता है निगम उन लोगों को सजा देने में किसी से पीछे नहीं है।

ट्रेवल एजेंटों को कमीशन के रूप में 30 लाख रुपये दिये जाने की बात भी कही गई है। मैं इस बारे में 'हां' अथवा तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है कि क्या वास्तव में उन्हें 30 लाख रुपये दिये जाते हैं। परन्तु यह काफी बड़ी राशि है। मैं पता लगाऊंगा तथा निगम से अन्य व्यवस्था करने के लिये कहूँगा। यदि अन्य व्यवस्था हो सकी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री उप्पल ने 6 जून को त्याग पत्र दे दिया है और वह किसी अन्य कम्पनी में चला गया है। उसके साक्ष्य की आवश्यकता नहीं थी। श्री बख्शी को उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है।

जहां तक श्री बी० आर० पटेल के लड़के का सम्बन्ध है, लड़का, लड़की अथवा पत्नी के बारे में नियमों में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि उनका आश्रित होना जरूरी नहीं है।

श्री दाजी : मन्त्री महोदय को गलत सूचना दी गई है।

श्री संजीव रेड्डी : यदि यह गलत है, तो मैं अपनी गलती मानने के लिये तैयार हूँ। मैं दुबारा नियमों का अध्ययन करने के लिये कहूँगा।

Shri Madhu Limaye : If I bring in a privelege motion, it is said that I am abusing the procedure of the House. One or two opportunities are enough to make a correct statement.

श्री संजीव रेड्डी : परिवार के सदस्यों जैसे लड़का, लड़की अथवा पत्नी का आश्रित होना जरूरी नहीं है। दूर के रिश्तेदारों के बारे में यह घोषणा करना जरूरी है कि वे आश्रित रिश्ते-

दार है। श्री पटेल का लड़का अवश्य हो गया था और मैंने इसकी भी जांच कराई थी इस तरह से वह आश्रित भी नहीं है—कि वह कहीं काम करता है और पैसा कमा रहा है। परन्तु उसे निमंत्रण दिया गया था और इसी आधार पर उसे पी-प्रपत्र मिला था। उसे वे सब सुविधाएं श्री पटेल का लड़का होने के नाते मिली थी क्योंकि नियमों के अन्तर्गत लड़का, लड़की अथवा पत्नी जैसे निकट सम्बन्धियों का आश्रित होना जरूरी नहीं है। दूर के रिश्तेदार का आश्रित होना जरूरी है।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 24 अगस्त, 1966 / 2 भाद्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, 24th August, 1966/Bhadra 2, 1888 (Saka).

Tirthraj Press, Allahabad.